GS WORLD

IAS PCS

Committed To Excellence

प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का हिन्दी भावानुवाद

संदर्भित तथ्य एवं संभावित प्रश्नों सहित

(दिसम्बर, 2017)

Head Office

629, Ground Floor, Main Road, Dr, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Ph. : 011-27658013, 9868365322

INDEX

1.	वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Paper - II)	इंडियन एक्सप्रेस	1 दिसंबर
2.	चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर चुनौती के जवाब में (Paper - II)	लाइव मिंट	2 दिसंबर
3.	अत्याचार के खिलाफ (Paper - II)	द हिन्दू	5 दिसंबर
4.	वित्तीय संकल्प कानून (Paper - III)	द हिन्दू	5 दिसंबर
5.	15वें वित्त आयोग के लिए कार्य (Paper - III)	लाइव मिंट	6 दिसंबर
6.	ऐट द सेम रेट (Paper - III)	इंडियन एक्सप्रेस	7 दिसंबर
7.	एक निरीक्षण की समस्या (Paper - II)	इंडियन एक्सप्रेस	8 दिसंबर
8.	आंशिक रूप से मुक्त (Paper - III)	इंडियन एक्सप्रेस	11 दिसंबर
9.	भारतीय कूटनीति, कसौटी से परी (Paper - II)	इंडियन एक्सप्रेस	12 दिसंबर
10.	रोजगार की समस्या, आंकड़ों में (Paper - III)	इंडियन एक्सप्रेस	13 दिसंबर
11.	अयोग्य कार्यवाही : एक प्रश्न (Paper - II)	द हिन्दू	14 दिसंबर
12.	आपदा प्रबंधन की समस्या (Paper - III)	द हिन्दू	15 दिसंबर
13.	विश्व व्यापार संगठन में गतिरोध (Paper - II)	द हिन्दू	16 दिसंबर
14.	बिटकॉइन की समस्याओं से परे सोचना (Paper - III)	लाइव मिंट	18 दिसंबर
15.	एक सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए (Paper - III)	द हिन्दू	19 दिसंबर
16.	मानसिक हेल्थकेयर अधिनियम में व्याप्त कमियां (Paper - II)	लाइव मिंट	20 दिसंबर
17.	भारतीय कानूनों की समीक्षा (Paper - II)	द हिन्दू	21 दिसंबर
18.	घोटाला या लोककथा? 2जी मामले के फैसले पर (Paper - II)	द हिन्दू	22 दिसंबर
19.	स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करना (Paper - II)	इकनॉमिक टाइम्स	23 दिसंबर
20.	न्याय की कीमत (Paper - II)	इंडियन एक्सप्रेस	25 दिसंबर
21.	विश्व व्यापार संगठन का विकास एवं अवनति (Paper - II)	द हिन्दू	26 दिसंबर
22.	भारत अयोग्य पेटेंटों का त्याग कैसे कर सकता है (Paper - II)	द हिन्दू	27 दिसंबर
23.	वर्ष 2018 : भारत के विकास को मजबूत करना (Paper - III)	फाइनेंसियल एक्सप्रेस	28 दिसंबर
24.	वनों का विस्तार करना (Paper - III)	द हिन्दू	29 दिसंबर
25.	एक आवश्यकत सुधार : हितों के संघर्ष पर (Paper - IV)	द हिन्दू	30 दिसंबर

GS World
Committed To Excellence

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2017

साभार: इंडियन एक्सप्रेस
(1 दिसंबर, 2017)

अश्विनी देशपांडे
(अर्थशास्त्र की प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय),

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

लिंग अंतराल व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता के रास्ते में रुकावटों का निर्माण करता है, इसलिए भारत को वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए।

क्रेडिट रेटिंग कंपनी, मूडीज ने भारत की निवेश रैंकिंग को निम्नतम से एक पायदान ऊपर तक बढ़ा दिया है। जहाँ इसने 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत को 30 स्थान की बढ़ोतरी करते हुए इसे 130 से 100वें स्थान तक पंहुचा दिया था। ये रैंकिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या दर्शाती है, यह विवादास्पद है, लेकिन यहाँ एक अन्य रैंकिंग के बारे में बात की जा रही है, जिसे दफना दिया गया है।

2017 के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रैंकिंग पिछले महीने जारी किया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में भारत इस रैंकिंग में 21 स्थानों से पीछे हो गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि इसे अन्य की तरह क्यों अनुरूप विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण नहीं प्राप्त हुआ? संभवत: इस विश्वास की वजह से कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस आर्थिक विकास और भौतिक कल्याण के लिए प्रत्यक्ष परिणाम है, जबकि लैंगिक अंतराल रैंकिंग निष्पक्षता, समानता या सशक्तिकरण के बारे में अधिक है। जो जाहिर है, ऐसा नहीं है, एक ऐसी मानसिकता जो यहाँ सोचता है कि महिलाएं द्वितीय श्रेणी में आती है, घर के अंदर और बाहर दोनों जगह।

सभी सूचकांकों की तरह, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसे पहली बार 2006 में पेश किया गया था, एक सार है, जिसमें चार अलग-अलग उप-सूचकों का संयोजन होता है, प्रत्येक एक से अधिक संकेतक का सारांश करता है। सूचकांक 0 और 1 के बीच स्थित है, जहाँ 1 पूर्ण समता को दर्शाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सूचकांक लैंगिक अंतराल पर केंद्रित है न कि महिलाओं ने लैंगिक लड़ाई जीत ली है, अर्थात पुरुषों के संबंध में महिलाओं की स्थिति (जो कि लिंग समानता है) पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उनकी पूर्ण स्थिति (जो कि, महिला सशक्तीकरण) के बजाय यह समय-समय पर विचार करना और सभी देशों में लैंगिक अंतराल में परिवर्तनों को ट्रैक करना है।

इसके अलावा, ऐसे सभी सूचकांकों की तरह इसमें ऐसी सभी चीजें शामिल नहीं हैं, जो लैंगिक समानता के लिए होती हैं, लेकिन केवल कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर केंद्रित होती हैं। इस प्रकार, यह लिंग समानता पर एक व्यापक ग्रंथ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण सारांश आंकड़ों के एक उपयोगी संकेतक या हाइलाइटर के रूप में जिन्हें विश्वसनीय तरीके से मापा और ट्रैक किया जा सकता है, के रूप में देखा जाना चाहिए।

तालिका में समग्र सूचकांक के मूल्यों, साथ ही चार उप-सूचकांक और 2016 और 2017 के लिए इनमें से प्रत्येक में 144 देशों के एक समूह में भारत का रैंक दिखाया गया है। कुल मिलाकर, हम देखते हैं कि भारत की स्थिति 21 अंकों के बावजूद फिसल गई है। इस तथ्य के बावजूद कि सूचकांक का मूल्य मामूली गिरा है। भारत की स्थिति में यह स्लाइड इस बात को प्रतिबिंबित करती है कि इन आयामों पर भारत में लिंग अंतराल बिगड़ गई है, समय के साथ भी और दूसरे देशों की तुलना में भी (जो कि अन्य देशों ने बेहतर किया है)।

समय के साथ इस स्लाइड के लिए सूचकांक के दो उप-घटक आर्थिक भागीदारी और अवसर और राजनीतिक सशक्तिकरण हैं। पूर्व में तीन संकेतक शामिल हैं: भागीदारी अंतर (पुरुष और महिला के बीच श्रम शक्ति में अंतर), पारिश्रमिक अंतर (अनुमानित महिला-से-पुरुष अर्जित आय के अनुपात के हार्ड डेटा आंकड़े और साथ ही गुणात्मक सूचक समान कार्य के लिए मजदूरी समानता), और प्रगति अंतर (दो हार्ड आंकड़ों के माध्यम से मापा गया: महिलाओं के लिए विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों के बीच अनुपात और तकनीकी और पेशेवर श्रमिकों के बीच महिलाओं के अनुपात में)। बाद के उपाय राजनीतिक फैसले के उच्चतम स्तर में लैंगिक अंतराल की पहचान करते हैं और इसमें पिछले 50 वर्षों में कार्यकारिणी कार्यालय (अध्यक्ष या प्रधानमंत्री) में मंत्रियों के बीच पुरुषों और महिलाओं के अनुपात शामिल हैं।

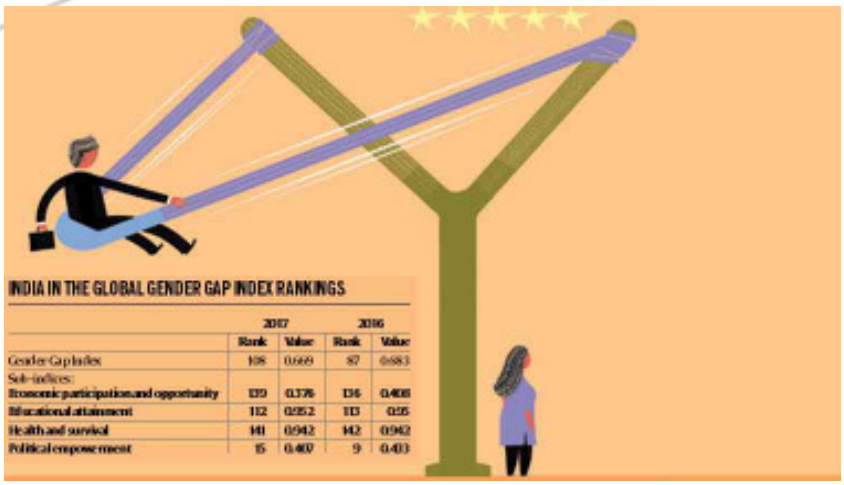

सूचकांक के अन्य दो घटक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों में शैक्षिक प्राप्ति में लैंगिक अंतर के रूप में शामिल हैं।

दक्षिण एशिया इंडेक्स का दूसरा सबसे कम मूल्य है। दूसरे शब्दों में, यह क्षेत्र निम्न लैंगिक समानता से चिह्नित है। भारत इस क्षेत्र के चार देशों में से एक है जिसके कई आयामों में स्थिति दयनीय है: राजनीतिक सशक्तिकरण, साथ ही प्रबंधकों, विधायकों, तकनीकी और पेशेवर श्रमिकों के हिस्से में। शैक्षिक संकेतकों में भारत की प्रगति अच्छी रही है, क्योंकि यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नामांकन में अंतराल को बंद करने में सफल रही है और साथ ही तृतीयक नामांकन में अंतर भी लगभग बंद कर दिया है। हालांकि, यह स्वास्थ्य संकेतकों में लैंगिक अंतराल के मामले में पीछे रह गया है।

क्या इन रैंकिंग को भौगोलिक समूहों या आर्थिक विकास के स्तर से समझाया जा सकता है? शीर्ष 10 रैंकिंग पर गौर करे तो इन देशों के एक विशिष्ट समूह का पता चलता है, जो भौगोलिक रूप से विस्तृत है और आर्थिक रूप से विविध है। सामान्य संदिग्धों के अलावा नॉर्डिक देशों में, हम इस सूची में रवांडा, निकारागुआ और स्लोवेनिया पाते हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश की रैंकिंग 47 है जो भारत की तुलना में बेहतर है, यहां तक कि अमेरिका के मुकाबले कम लैंगिक अंतराल भी है, जो कि 49 वें स्थान पर है। बांग्लादेश ने धर्म और गरीबी से जुड़ी सामान्य रूढ़िवादियों को खारिज करते हुए सभी संकेतकों पर लैंगिक अंतर को कम करना जारी रखा है।

लिंग अंतर की चर्चा अक्सर उन कार्यकर्ताओं, एनजीओ समुदायों और विकास सहायता एजेंसियों को व्यस्त रखने वाले मुद्दों के रूप में खारिज कर दी जाती है। इस विशेष रैंकिंग के बारे में महत्वपूर्ण यह है कि यह विश्व आर्थिक मंच, एक स्विस संगठन द्वारा संकलित है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए अग्रणी राजनीतिक, व्यापार और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करता है।

2017 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छी प्रतिभा ढूंढने के लिए यह बेहद जरूरी है और साथ ही सभी को समान अवसर मिलना चाहिए: जब महिलाएं और लड़कियों को ही एकीकृत नहीं किया जायेगा, तो वैश्विक समुदाय कौशल, विचारों और दृष्टिकोणों को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए यह वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करने और नए अवसरों का इस्तेमाल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

संबंधित तथ्य

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2017

- 2 नवंबर, 2017 को विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2017' जारी की गई।
- इस वर्ष लैंगिक अंतराल सूचकांक में 144 देशों को सूचीबद्ध किया गया है।
- सूची में आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया। इसका कुल स्कोर 0.878 है।
- इसके पश्चात सूची में नॉर्वे (स्कोर-0.830) को दूसरा, फिनलैंड (स्कोर-0.823) को तीसरा, रवांडा (स्कोर-0.822) को चौथा तथा स्वीडन (स्कोर-0.816) को पांचवां स्थान दिया गया है।
- इस सूची में निचले क्रम के 5 देश हैं-यमन (144वां स्थान), पाकिस्तान (143वां स्थान), सीरिया (142वां स्थान), चाड (141वां स्थान) तथा ईरान इस्लामिक गणराज्य (140वां स्थान)।
- भारत को 0.669 स्कोर के साथ सूची में 108वें स्थान पर रखा गया है। गत वर्ष 144 देशों की सूची में भारत को 87वां स्थान दिया गया था।
- सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की स्थिति इस प्रकार रही-
  1. आर्थिक भागीदारी एवं अवसर-139वां स्थान
  2. शैक्षणिक उपलब्धियां-112वां स्थान
  3. स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता-141वां स्थान
  4. राजनीतिक सशक्तिकरण-15वां स्थान
- सूची में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश को 47वां स्थान, चीन को 100वां स्थान, नेपाल को 111वां स्थान, भूटान को 124वां स्थान तथा श्रीलंका को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका 19वें स्थान, रूस 71वें स्थान तथा ब्राजील 90वें स्थान पर रहा।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक चार क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। यह निम्नलिखित हैं-
  1. आर्थिक भागीदारी और अवसर
  2. शैक्षणिक उपलब्धियां
  3. स्वास्थ्य एवं उत्तर जीविता
  4. राजनीतिक सशक्तिकरण
- यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है।

संभावित प्रश्न

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है। इसके पीछे निहित कारणों की चर्चा करते हुए भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसरों में व्याप्त अंतर की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें। (200 शब्द)

In the Global Gender Interval Report released by the World Economic Forum (WEF), the position of India in the gender gap index has decreased compared to the previous year. Discussing the underlying reasons behind it, analyze the current situation of the difference between the economic participation of women and the difference in opportunities in India. ***(200 words)***

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर चुनौती के जवाब में

साभार: लाइव मिंट
(2 दिसंबर, 2017)

हर्ष वी. पंत
(प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, किंग्स कॉलेज लंदन में),

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सामना कर रहे चुनौतियों को देखते हुए, भारत को एक प्रभावी जवाबी कार्यवाही प्रदान करने के लिए और अधिक कोशिश करने की आवश्यकता होगी।

हाल ही में चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) सभी गलत कारणों के लिए सबका ध्यान आकर्षित किया है। पाकिस्तान ने कथित तौर पर 14 अरब डॉलर के ड्रमर-भाषा डैम के लिए चीन की सहायता की पेशकश को खारिज कर दिया है, बीजिंग को 60 अरब डॉलर सीपीईसी से परियोजना को बहार रखने के लिए कहा है ताकि पाकिस्तान अपने आप ही बांध का निर्माण कर सके। क्योंकि यह परियोजना विवादित क्षेत्र में थी, इसलिए एशियाई विकास बैंक ने इसे वित्त पोषित करने से इनकार कर दिया था। इसलिए चीन इस मामले में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन पाकिस्तान को यह महसूस हुआ कि परियोजना, संचालन और रखरखाव लागत के स्वामित्व से संबंध में बीजिंग द्वारा लगाए गए कठिन परिस्थितियां और बांध की सुरक्षा परियोजना को राजनीतिक और आर्थिक रूप से असमर्थनीय बना देगी। इसलिए, पाकिस्तान आत्म-वित्तपोषण की तरफ बढ़ गया है।

इसके बाद अमेरिकी डॉलर की तर्ज पर पाकिस्तान में चीनी युआन के इस्तेमाल पर मतभेद थे। पाकिस्तान को इस मांग को भी खारिज करना था और इसने यह तर्क दिया कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में युआन के सामान्य उपयोग, डॉलर की तरह विनिमय योग्य, पारस्परिक आधार पर होना चाहिए।

चूंकि सीपीईसी के आसपास के प्रारंभिक उत्साह परियोजना की लागत का अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन प्रदान करता है, अब ऐसा लगता है की बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों अपने संबंधो की शर्तों को दोबारा एक नया आयाम प्रदान करना चाहते हैं। चीन परियोजना के संचालन में अधिक स्वायत्तता और सुरक्षा की मांग कर रहा है और पाकिस्तान के लिए इन मांगों में से अधिकांश को स्वीकार करना मुश्किल है। अब धीरे-धीरे पाकिस्तान में रोष बढ़ रहा हैं, जिसमें चीन पाकिस्तान से सीपीईईई का बड़ा लाभार्थी है, स्थानीय बाजारों की कीमतों पर परियोजनाओं के लिए माल और श्रम आयात करने की अपनी कार्यप्रणाली को स्थापित करना और इस्लामाबाद को चीनी बैंकों को भविष्य में ऋण अदायगी करनी पड़ेगी जैसी चिंताएं शामिल है।

पाकिस्तान में चीन के राजदूत सन वीडोंग ने हाल ही में स्पष्ट किया कि पाकिस्तान उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा है, जो चीन में आवश्यक हैं। तभी जब चीनी कंपनियां पाकिस्तान में ऐसे उत्पादों का उत्पादन शुरू करेंगी तो उनके अनुसार व्यापार संतुलित हो जाएगा। देखा जाये तो इस बयान ने इस धारणा को भी मजबूत किया है कि चीन चाहता है कि चीनी कंपनियों के लाभ के लिए सीपीईसी के बुनियादी ढांचे की उन्नति का उपयोग किया जाये।

इस बीच, चीन ने भारत को वन बेल्ट, वन रोड (ओबोर) में शामिल होने के लिए अपनी कशिशे और बढ़ा दी है। भारत में चीनी राजदूत लू झाहाई ने हाल ही में एक भाषण के दौरान कहा था कि चीन सीपीईसी का नाम बदल सकता है और जम्मू और कश्मीर, नाथु ला पास या नेपाल से भारत की चिंताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर सकता है। इससे यह बात स्पष्ट हो रही की आने वाले दिनों में सीपीईई की व्यवहार्यता के लिए भारत की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी।

भारत ने अभी तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग लेने से इनकार किया है, जो सीपीईसी में चीन के निवेश के विरोध को बरकरार रखता है, जो पाकिस्तान-कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है। भारत ने मई में बेल्ट और रोड फोरम का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, अर्थात भारत ने कहा था कि कोई भी देश एक ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता है जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अपनी मुख्य चिंताओं को अनदेखा कर सकता है। भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर ने 2017 में रायसीना वार्ता में इस स्थिति को स्पष्ट किया: चीन इसकी संप्रभुता के प्रति बहुत संवेदनशील आर्थिक गलियारा एक अवैध क्षेत्र से गुजरता है, एक क्षेत्र जिसे हम पाक-कब्जे वाले कश्मीर कहते हैं। आप इस तथ्य पर भारत की प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी किसी परियोजना को हमसे परामर्श किए बिना शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोर देकर कहा था कि ऐसी कनेक्टिविटी अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता को कम नहीं कर सकती है।

भारत के लिए ओबोर के दीर्घकालीन सामरिक परिणामों से चीन को भारत के खर्च पर हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की अनुमति मिल सकती है। चीन अपनी भू-राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग कर सकता है और ऐसा होने पर, भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं तेज हो जाएँगी। सीपीईईई ने पश्चिमी हिंद महासागर में ग्वादर बंदरगाह के साथ चीन की सामरिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित एक पैर जमाने की जगह प्रदान की है, जहां चीनी युद्धपोतों और एक पनडुब्बी आराम से शरण ले सकते है। यहां पहुंचने से चीन दुनिया के उस हिस्से (भारत के लिए एक कमजोर बिंदु) में समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक क्षमता प्रदान करता है, जो कि मध्य पूर्व के 60% से अधिक तेल आपूर्ति करता है। यदि सीपीईईई चीन की मलक्का दुविधा को हल कर लेता है, अर्थात अपनी ऊर्जा संसाधनों के परिवहन के लिए मलक्का जलडमरूमध्य पर अधिक निर्भरता को, तो यह एशिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था को संचालन की जगह देगी ताकि समुद्री क्षेत्रों में नेपाली की स्वतंत्रता की हानि और भारत सहित हिंद महासागर क्षेत्र के कई राज्यों की व्यापार-ऊर्जा सुरक्षा के लिए एकतरफा हितों का पीछा किया जा सके।

भारतीय विपक्षी ने अब उन लोगों को जकड़ दिया है जो पाकिस्तान में ओबोर के साथ-साथ बाकी हिस्सों में ओबोर के पीछे चीनी उद्देश्यों पर संदिग्ध दिखते हैं। पश्चिम अब पाकिस्तान में अपनी चिंताओं और आवाजों में और अधिक मुखर है, परियोजना की एक

पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत को अपने विरोधियों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने की अपेक्षा ज्यादा करना चाहिए। वैश्विक कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर दुनिया के लिए एक नया टेम्पलेट प्रदान करने की आवश्यकता है। हाल ही में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) की एक अभिव्यक्ति के साथ नई दिल्ली इस दिशा में आगे बढ़ी है। एएजीसी, अफ्रीका और ओशिनिया के साथ पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ने के लिए संरचित है, अधिक सलाहकार और समावेशी होने के अपने वादे के साथ ओबोर एक आदर्श विकल्प प्रदान करता है। एएजीसी, भारत और जापान के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और जिम्मेदार ऋण वित्तपोषण प्रथाओं के आधार पर एक खुले, पारदर्शी और गैर-अनन्य तरीके से कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे के विकास और उपयोग सुनिश्चित करने वाले सभी देशों के महत्व को रेखांकित किया गया है।

यह एक स्वागत योग्य पहला कदम है, लेकिन सीपीईसी के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, भारत को एक प्रभावी जवाबी कार्यवाही प्रदान करने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता होगी।

संबंधित तथ्य

आर्थिक गलियारा क्या है और उसका इतिहास क्या है?

- चूंकि विश्व की अधिकतर जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्ध में निवास करती है, इसलिए नए बाजारों की खोज में शुरू से ही समुद्रों का सहारा लिया गया। भारत भी उसी खोज का परिणाम रहा। कुछ एक अपवाद जैसे ब्रिटेन के महाशक्ति रहने के दौरान व्यापार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ, अन्यथा यह सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर ही होता आया है। इसी तरह का एक व्यापार मार्ग मध्य एशिया से पाकिस्तान, उत्तरी भारत में होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत तक पहुंचा करता था।
- भारत-पाकिस्तान विभाजन के कारण उत्तरी भारत, अफगानिस्तान जैसे बाजारों से कट गया। पाकिस्तान को भी हानि हुई।
- सन् 1991 में भारत में उदारीकरण के साथ ही नए आर्थिक द्वार खुले और तब से पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक और व्यावसायिक द्वार खोलने पड़े।
- चीन-पाकिस्तान के इस आर्थिक गलियारे ने पारंपरिक उत्तर-दक्षिण व्यापार पथ को पलटकर रख दिया है। पाकिस्तान ने ऐसे आर्थिक और भौगोलिक मार्ग को चुन लिया है, जिसका नक्शा चीन तय करता रहेगा।

'वन रोड वन बेल्ट' पहल क्या है?

- रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिये सितंबर 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था।
- विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिये है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।
- साथ ही साथ इससे चीन की अर्थव्यवस्था, श्रमशक्ति एवं बुनियादी ढांचा-तकनीक भंडारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- बेल्ट के गलियारे यूरेशिया में प्रमुख पुलों, चीन-मंगोलिया-रूस, चीन-मध्य एवं पश्चिम एशिया, चीन-भारत-चीन प्रायद्वीप, चीन-पाकिस्तान, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार से गुजरेंगे।
- सामुद्रिक रेशम मार्ग अथवा "रोड" बेल्ट के गलियारों का सामुद्रिक प्रतिरूप है और उसमें प्रस्तावित बंदरगाह तथा अन्य तटवर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेटवर्क है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्वी अफ्रीका तथा उत्तरी भूमध्य सागर में बनाए जाएंगे।

भारत एवं दक्षिण-एशिया पर इसका प्रभाव

- यह समझौता पाकिस्तान के लिए भी अनवरत संघर्ष का विषय बना रहेगा। पाकिस्तान को इससे लाभ होने की भी कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। यह एक तरह से चीन का पाकिस्तान में निवेश है, जिसे लौटाया जाना है। इसके अलावा चीन का निवेश पाकिस्तानी जनता के किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि यह चीनी बैंकों से सीधा पाकिस्तान में उसकी निर्माणाधीन उन परियोजनाओं पर लगाया जाएगा, जिनमें चीनी लोग ही काम करेंगे।
- चीन के लिए यह समझौता अवश्य ही बहुत लाभ का है। इससे चीन को हिंद महासागर में प्रवेश मिल गया है। इसके माध्यम से चीन ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के अलावा पश्चिम एशिया में अपना राजनैतिक और सैनिक प्रभुत्व बनाने के लिए एक उपनिवेश स्थापित कर लिया है।
- यही कारण है कि इसे चीनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देखा जा रहा है।पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सेनाओं का मिलन भी भारत के लिए चिंता का दूसरा विषय है।

भारत पर संभावित प्रभाव

- भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि चीन का वन बेल्ट वन रोड का सपना साकार हो गया तो चीन निर्विवाद रूप से एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा, जिससे भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को धक्का लग सकता है।
- दरअसल चीन चाहता है कि भारत भी उसके वन बेल्ट वन रोड प्रॉजेक्ट का हिस्सा बने लेकिन भारत इसे लेकर सावधानी बरत रहा है। इसकी खास वजह यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) भी ओबीओआर का ही हिस्सा है।
- इसके अलावा दिल्ली ने वन बेल्ट वन रोड पर इसलिये भी रजामंदी नहीं जताई है क्योंकि पेइचिंग इसके जरिये क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भारत, चीन-पाक इकनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। भारत की नजर में यह कॉरिडोर उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाला है।
- ओबीओआर के माध्यम से चीन अन्तराष्ट्रीय सीमाओं को नई दिशा देना चाहता है जो इसने दक्षिण एशिया में करना भी शुरू कर दिया है, भारत पर इसका सीधा तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा। चीन कि इस पहल में भूराजनीतिक उद्देश्य निहित हैं।

संभावित प्रश्न

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) एक तरफ जहाँ चीन और पाकिस्तान के हितों का पोषण करेगा, वहीं भारत के लिये एक गंभीर भू-राजनीतिक समस्या साबित होगा। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)

While the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) will feed the interests of China and Pakistan on one side, India will prove to be a serious geopolitical problem. Critical analyze. *(200 words)*

एक अनिश्चित ऊर्जा का भविष्य

साभारः इंडियन एक्सप्रेस
(4 दिसंबर, 2017)

विक्रम एस मेहता
(अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्य, ब्रुकिंग्स इंडिया)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इसलिए यहाँ व्याप्त दुविधाओं को समाप्त करना होगा।

सरकार को हमेशा एक अक्षय ऊर्जा संबंधी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उसने खुद को 2022 तक सौर ऊर्जा की क्षमता में चौगुना करने और 2030 तक आंतरिक दहन मॉडल से विद्युत वाहनों (ईवी) के नए मोटर वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। समानांतर में, यह स्वच्छ ऊर्जा उद्योग को विकसित करना चाहता है और अपने 'मेक इन इंडिया' एजेंडे के ढांचे के अंतर्गत यह ऊर्जा और ऊर्जा संबंधी आयात पर देश की निर्भरता को कम करना चाहता है।

दुविधा यहाँ यह है कि यह इन तीन उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि आज भी इसके समक्ष कई चुनौतियाँ व्याप्त हैं। यह संभवतः, सौर ऊर्जा और ईवी लक्ष्य को पूरा कर सकता है, लेकिन अगर यह प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग को पॉलीसिलिकॉन, फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल और लिथियम आयन बैटरी के सबसे सस्ता स्रोतों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में घुसने की अनुमति प्रदान करता है, तब पीवी पैनल सौर ऊर्जा की लागत का 60 प्रतिशत और लिथियम आयन बैटरी की कीमत के 40 प्रतिशत ईवी की लागत का हिस्सा है। वर्तमान में चीन तीनों उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर हावी है। दूसरी ओर, यह 'मेक इन इंडिया' और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के अपने उद्देश्यों को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इन उत्पादों के आयात पर केवल टैरिफ या एंटी डंपिंग शुल्क लागू कर सकता है। परिणामस्वरूप प्रभाव उच्च लागत और सौर ऊर्जा उत्पादन और ईवी उत्पादन की अक्षमता होगी। यह उपभोक्ताओं को इन क्लीनर विकल्पों में बदलने से रोकता है और सरकार को इसके उत्पादन लक्ष्य को छोड़ देना पड़ सकता है। संक्षेप में, सरकार अपने तीन उद्देश्यों में से केवल दो ही हासिल कर सकती है।

सरकार ने सौर ऊर्जा की पीढ़ी क्षमता को 2022 तक मौजूदा 15 जीडब्ल्यू से बढ़ाकर 100 गीगावॉट तक करने का लक्ष्य रखा है। सोलर क्षमता, उस वक्त जब इन लक्ष्यों की घोषणा की गई थी, केवल 2.5 गीगावॉट थी। आज, 11.5 गीगावॉट क्षमता निर्माणाधीन है और नीलामी के लंबित अन्य 5.6 गीगावॉट निविदाएं शेष हैं। इसलिए यदि सरकार ने ऐसा ही एक उच्च बार सेट नहीं किया था, तो यह वृद्धि दर प्रशंसनीय है। लेकिन फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। निश्चित तौर पर यह इस दर पर, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा, इसके लिए इसे अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करना इतना भी आसान नहीं है। चीन की मांग में तेजी से बढ़ोतरी के कारण पीवी मॉड्यूल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है (2016 में 14 फीसदी) (चीन ने 2016/17 में सौर ऊर्जा की 45 जीडब्ल्यू क्षमता स्थापित की, जो कि पिछले एक दशक में स्थापित की गयी क्षमता से अधिक है)। जीएसटी कर की दर अपेक्षा से अधिक है और भूमि अधिग्रहण में व्याप्त खामियों, अनुमति और अनुबंध प्रवर्तन को अभी तक संतोषजनक रूप से हल किया जाना बाकी है।

विद्युत वाहनों पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने 2030 तक बिजली के वाहनों के साथ सभी नई कारों को बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनका अंतर्निहित उद्देश्य वाहनों के उत्सर्जन को शामिल करना है। यह एक प्रशंसनीय उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अनुमान लगाया है कि भारत को वर्तमान में दुनिया भर के सड़कों पर मौजूद ईवी की संख्या का पांच गुना (जो कि, 10 मिलियन से अधिक) बेचना होगा। इसके अलावा, इस लक्ष्य को संबद्ध निवेश, विनियामक परिवर्तन, अभिनव वित्तपोषण और साझेदारी के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उदाहरण के लिए, सरकार को चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना, चार्जिंग प्रोटोकॉल और मानकों को सरेखित करने, कम लागत वाली वित्तपोषण और क्रेडिट गारंटी के लिए वित्तीय साधनों का निर्माण करने और अगर टेस्ला के वर्तमान अनुभव से कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, तो मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को बोर्ड पर लाना होगा। टेस्ला को भारी लागत और समय का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने का अनुभव नहीं था।

उपरोक्त लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा, भले ही सरकार भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण की लागत, विवादित विनियामक मानकों और असंगत नीति से संबंधित घरेलू बाधाओं को दूर करे। सौर और ईवी उद्योग के विकास के लिए जरूरी महत्वपूर्ण कच्चे माल और घटकों के उत्पादन पर चीन का निकट एकाधिकार है। फिलहाल, पोलिसिलिन के वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में चीन का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है; पीवी मॉड्यूल के लिए 80 प्रतिशत और लिथियम आयन बैटरी कोशिकाओं के लिए 55 प्रतिशत (और पहले से ही किए गए मौजूदा निवेशों के आधार पर, यह 2021 तक 75 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा)। चीन ने इन सामग्रियों और घटकों में अक्षय ऊर्जा बाजार के विकास की प्रत्याशा में बेहद निवेश किया है और आजकल कई चीनी कंपनियां इस शुरुआती निवेश को जीवित रखने के लिए संघर्षरत है, क्योंकि कीमतों में इनकी अपेक्षा के खिलाफ तेजी से गिरावट आई है, इन उत्पादों की आपूर्ति का सबसे सस्ता स्रोत अभी भी चीन से बाहर है। हमारे घरेलू उत्पादकों द्वारा की जाने वाली कीमतों की तुलना में भारत में चीनी सामग्रियों की सीआईएफ मूल्य काफी कम है। अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे उद्योगों द्वारा स्वदेशी क्षमता को बढाने का प्रयास नही किया जाता है। और अगर सरकार सब्सिडी, टैक्स क्रेडिट और सस्ती वित्तपोषण की पेशकश करती है, तो नीति अच्छे अर्थशास्त्र की तरह कमजोर पड़ जाती है। लेकिन ऐसे प्रोत्साहनों की अनुपस्थिति में और पॉलीसिलिकॉन, पीवी मॉड्यूल और लिथियम-आयन बैटरी के लिए घरेलू उद्योग का निर्माण करने के लिए, भारत को अपने ऊर्जा भविष्य को चीन की नीतियों के लिए बाध्य करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह ऐसा कर सकता है?

संबंधित तथ्य

नवीकरणीय ऊर्जा क्या है?

- यह ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है।

यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- यह स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रकार है जोकि प्रकृति में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है।
- कुछ देशों में नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से सस्ती है। कुछ देशों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक सस्ता विकल्प है। ध्यातव्य है देशों की उच्च क्षमता के कारण उनके लिये नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना अपेक्षाकृत आसान होता है।
- एक पवन ऊर्जा टरबाइन से 300 घरों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।
- जीवाश्म ईंधनों के समान नवीकरणीय स्रोत प्रत्यक्षत: हरित गृह गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ध्यातव्य है कि हरितगृह गैसों के कारण ही वैश्विक तापन की घटना देखने को मिलती है।
- सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि विश्व में कोयला, तेल, गैस और यूरेनियम की अपेक्षा भू-तापीय ऊर्जा के लिये संसाधन आधार काफी अधिक मात्र में उपलब्ध हैं।
- वर्तमान में बायोमास अमेरिका का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि वहाँ मौजूद इसके 200 संयंत्र लगभग 1.5 मिलियन अमेरिकी घरों को बिजली उपलब्ध कराते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA)

- अंतर-सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का भारत संस्थापक सदस्य है। यह एजेंसी भविष्या में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के लिए देशों की सहायता करती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में काम करने के साथ-साथ एक विशिष्टता केंद्र, नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन और अक्षय ऊर्जा पर आधारित वित्तीय जानकारी के एक स्रोत के रूप में भी काम करती है।

इस एजेंसी की दो मुख्य नियंत्रण संरचनाएं हैं:

- आईआरईएनए असेम्बली, जो वृहद स्तर पर निर्णय लेती है और आईआरईएनए को नीति संबंधी निर्देश देती है।
- आईआरईएनए काउंसिल, जो एजेंसी का मुख्य नियंत्रण निकाय है और असेम्बली के विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

आज विश्व समुदाय का ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। इस कथन के सन्दर्भ में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के फायदे और नुकसानों पर चर्चा करें। (200 शब्द)

Today the attention of the world community is attracting more towards renewable energy sources. Discuss the advantages and disadvantages of the use of renewable energy in India in relation to this statement. *(200 words)*

अत्याचार के खिलाफ

साभार: द हिन्दू
(5 दिसंबर, 2017)

कॉलिन गोन्साल्वेस (संस्थापक, मानवाधिकार कानून नेटवर्क और सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

भारत अत्याचार के खिलाफ कन्वेंशन को मंजूरी देने के लिए बार-बार वादा करता आया है और बार-बार इसमें असफल साबित होने के बाद अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं ही कम कर दिया है।

1987 में यातना के खिलाफ कन्वेंशन (CAT) लागू हुआ और भारत ने 1997 में इस पर हस्ताक्षर किया। आज, कैट (CAT) में 162 देश शामिल हैं; और 83 हस्ताक्षरकर्ता हैं। कैट को मंजूरी देने से इनकार करते हुए, भारत अंगोला, बहामा, ब्रुनेई, गाम्बिया, हैती, पलाऊ और सूडान जैसे देशों के शर्मनाक कंपनी में शामिल है। 2008 में, यूएन के मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) द्वारा सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा में, कई देशों ने अनुशंसा की थी कि भारत को भी अपने अनुमोदन में तेजी लानी चाहिए और इस मामले में भारत का जवाब था कि अनुमोदन प्रक्रिया में है।

वर्ष 2011 में, संयुक्त राष्ट्र के एचआरसी पर नियुक्त होने की इच्छा रखते हुए, भारत ने सीएटी को स्वीकृति देने के लिए स्वेच्छा से प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा में कहा: भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रणाली का लगातार समर्थन कर रहा है और कैट की पुष्टि करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन आज परिषद में किये गये वादे को भारत भूल गया है। वर्ष 2012 की समीक्षा में, एक बार फिर देश ने अत्यधिक सिफारिश की थी कि भारत तुरंत कैट पर कार्य को आगे बढ़ाएगा जिस पर भारत ने समर्थित जवाब दिया था, जो इस समझौते को भी दर्शाता है। समीक्षा में कहा गया है कि भारत के एनएचआरसी ने पुलिस और सुरक्षा संगठनों से संबंधित कई यातना वाले मामलों की सूचना दी थी। कार्य समूह की समाप्ति की सिफारिश थी कि भारत को कैट को शीघ्रतापूर्वक स्वीकृति देना चाहिए और अत्याचार अधिनियम के खिलाफ रोकथाम करना चाहिए। फिर से इस वर्ष सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा में, भारत ने सीएटी को स्वीकृति देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत वादे तो बेशक कर रहा है, लेकिन उस पर कायम होने का इरादा नहीं रखता है, समीक्षा कार्यों में भाग लेने वाले देशों की निराशा के लिए यह काफी है।

इस बीच, यह देखा जा सकता है कि भारत में यातना के मामलों में वृद्धि हुई है। हरियाणा राज्य (1980) के रघुबीर सिंह बनाम राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये पुलिस यातना से गहराई से परेशान थे। पुलिस लॉक-अप, अधिक भयानक बनती जा रही हैं। शकील अब्दुल गफ्फार खान बनाम वसंत रघुनाथ धोबले (2003) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ते हुए यातनाओं के मामले खतरनाक रूप ले सकती है। रघुबीर के मामले में जो चिंता दिखायी गयी थी, उसमें ज्यादा सफलता देखने को नहीं मिली। मुंशी सिंह गौतम बनाम एम.पी. राज्य (2004) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: सभ्यता ही कुल क्षय की ओर बढ़ने के परिणाम को जोखिम में डालती है, जिससे अराजकता और बर्बरता की याद दिलाती है।

भारत के बहाने के जवाब में यह मानना है कि मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने एक संसद का समर्थन किया था, जिसने कहा था कि यह एक गलत विचार और एक गलत धारणा थी कि राज्य को पहले कानून बनाना चाहिए और बाद में पुष्टि देना चाहिए। अनुमोदन केवल राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन करने की प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत देता है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप हों। यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों का पालन करने के लिए सद्भावना और राजनैतिक इरादों को दर्शाता है।

एक कदम आगे

यातना निवारण विधेयक, 2010 के रूप में नए कानून का मसौदा तैयार करना संसद द्वारा एक उत्कृष्ट प्रयास है। भारतीय कानून के विपरीत, जो हत्या और टूटी हुई हड्डियों (गंभीर चोट) पर केन्द्रित है, यातना को भोजन ना देना, जबरन भोजन देना, सोने ना देना, अपशब्द से यातना देना, बिजली के झटके, सिगरेट से जलाना और अन्य रूपों तक विस्तारित किया गया। भारतीय पुलिस बल इन तकनीकों का उपयोग करते हैं। उसी वर्ष संसद की एक चयन समिति ने इस विधेयक का समर्थन किया और पुनर्वास, क्षतिपूर्ति और गवाह संरक्षण के लिए कुछ सकारात्मक सिफारिशें कीं। चयन समिति ने कहा कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की एक बड़ी संख्या विधेयक के पक्ष में थी। विधेयक को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी।

तब 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कैट की पुष्टि करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र के निकायों को कई वादें करने के बावजूद, सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय कानून आयोग इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। भारतीय दंड संहिता में तदर्थ संशोधन के बदले कानून आयोग द्वारा एक रिपोर्ट के शीघ्र आने से अनुमोदन की व्यापक सिफारिश और व्यापक कानून के प्रारूप तैयार करने से यह बहाना बेकार साबित हुआ। केंद्र पुष्टि नहीं करने के लिए अभेद्य रहता है, क्योंकि यहाँ पारदर्शिता आ जाती है और बाद के अनुसमर्थन प्रक्रियाओं में राष्ट्रों के सशक्तिकरण की भागीदारी भी है।

दुनिया को दिखाते हुए कि भारत को अपनी ताकत के आतंक से निपटने और यूएन में किए गए अपने वादे को लागू करने का कोई इरादा नहीं है, सरकार ने भारत की प्रतिष्ठा को कम कर दिया है, एक विश्व शक्ति होने के लिए, भारत को एक जैसा कार्य करना चाहिए।

संबंधित तथ्य

अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

- वर्ष 1997 में भारत ने यातना के खिलाफ यू.एन. कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये थे। हालाँकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
- इस कन्वेंशन के अंतर्गत यातना को एक दण्डित अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह कन्वेंशन राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी क्षेत्र में यातना को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर बल देता है, साथ ही यह ऐसे लोगों को जिनके संबंध में यह विश्वास है कि जहाँ भी जाएंगे ऐसी ही समस्या उत्पन्न करेंगे, को किसी भी देश में परिवहन के लिये प्रतिबंधित भी करता है।

इस संबंध में भारतीय प्रयास

- भारत में इस संबंध में एक विधेयक अर्थात यातना निवारण विधेयक को प्रस्तावित किया गया, लेकिन 6 मई, 2010 को लोकसभा द्वारा पारित होने के 6 साल बाद भी इस विधेयक के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

यातना निवारण विधेयक (Prevention of Torture Bill), 2010

- यातना निवारण विधेयक के अंतर्गत यातना को एक दंडनीय अपराध माना गया है। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि यह विधेयक वर्ष 1975 के अत्याचार के खिलाफ यू.एन. कन्वेंशन की पुष्टि के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- यह विधेयक सरकारी अधिकारियों द्वारा किये गए अत्याचार के लिये सजा की व्यवस्था करता है।
- विधेयक के अंतर्गत यातना को गंभीर चोट या जीवन, अंग और स्वास्थ्य के खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यातना के संदर्भ में छह महीने के भीतर शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिये। न्यायालय द्वारा किसी भी शिकायत के संबंध में कार्यवाही करने से पहले उपयुक्त सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक होगा।

भारत के लिये इस कन्वेंशन को अनुमोदित करने की क्या आवश्यकता है?

- सर्वोच्च न्यायालय के सुधार: इस कन्वेंशन के अनुमोदन न करने से उत्पीड़न के कई मामलों के दोषियों का अन्य देशों से भारत में प्रत्यर्पण कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार, यदि भारत इसे अनुमोदित कर देता है तो उत्पीड़न के दोषियों का प्रत्यर्पण आसान हो जाएगा एवं आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएगा जो भारत के लिये हितकर होगा।
- पुरुलिया हथियार मामले के आरोपी किम डेवी का प्रत्यर्पण करवाने में भारत सफल नहीं हो सका, केवल इस संदेह के आधार पर ही भारत में इसके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है।
- भारत में हिरासत में हिंसा, दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न की व्यापक प्रवृत्ति को देखते हुए मौजूदा विधायी ढाँचा और प्रशासनिक क्षमता अपर्याप्त हैं।
- इसके अनुमोदन से भारत की हिंसा एवं अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध की अपनी छवि को मजबूती मिलेगी।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

समाज के सभी वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये उत्पीड़न एवं अमानवीय व्यवहार के खिलाफ मजबूत कानून का निर्माण करना, वर्तमान युग की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। इस कथन के सन्दर्भ में भारत के लिए 'उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' का अनुमोदन करना क्यों इतना आवश्यक है? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

To preserve the rights of all sections of the society, creating a strong law against harassment and inhuman treatment is an important requirement of the present era. Why is it so important for India to approve 'United Nations Convention against Persecution' in relation to this statement? Discuss. *(200 words)*

वित्तीय संकल्प कानून

साभार: द हिन्दू

5 दिसंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

सरकार को प्रस्तावित वित्तीय संकल्प कानून की फिर से जांच करने की जरूरत है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय संकल्प और जमा बीमा विधेयक, 2017 में बेल-इन (bail-in) खंड के बारे में व्याप्त डर को बुद्धिमानी से दूर करने की कोशिश की है। इसे अगस्त में संसद में पेश किया गया था, इसमें बैंक में लाखों परिवारों की जमाराशि की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गयी है। यहाँ आशंका है कि यह करदाताओं (या संभावित खरीदारों) द्वारा बेल-आउट के बजाय बैंकों को जमाकर्ताओं के फंडों द्वारा बेल-इन करने में सक्षम होगा। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण योजना का वादा किया है, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता के जरिए दी जा रही बकाया ऋण पर कटौती की तैयारी कर रहे हैं। डर यह है कि जमाकर्ताओं को बैंक में अपनी बचत के मूल्य पर इसी तरह की कटौती का सामना करना पड़ सकता है, शायद इसके बजाए प्रतिभूतियों को जारी किया जा सकता है।

एफआरडीआई विधेयक में यह प्रावधान वित्तीय संस्थाओं के बीच दिवालियापन के परिदृश्यों को हल करने की आशंका है, जिनमें से कुछ बहुत असफल या प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हैं। शुक्रवार को श्री जेटली ने कहा कि बहुत सारे सुधार अभी भी हो सकते हैं; इस विधेयक की वर्तमान में एक संसदीय समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है जिसका रिपोर्ट कैबिनेट द्वारा विचार किया जाएगा। विधेयक में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (1960 के दशक में स्थापित दो बैंकों के ढहने के बाद) की समाप्ति का प्रस्ताव है, जो एक बैंक के निपटारे के मामले में 1 लाख तक की बैंक जमा राशि की चुकौती की गारंटी देता है। वित्त मंत्रालय के तहत एक नया संकल्प वित्तीय संस्थाओं को बेहतर बनाएगा और जमा के लिए एक समान कवर की पेशकश करेगा। जमा की मात्रा की गारंटी पर विधेयक की चुप्पी चिंता का एक प्रमुख स्रोत है और मौजूदा 1 लाख जमा गारंटी को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता जरूरी हो सकता है, जिसे 1993 से संशोधित नहीं किया गया है।

नाकाम होने की कगार पर बड़े वित्तीय फर्मों से निपटने के लिए एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसे विशेष रूप से 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अच्छी तरह से समझी जा सकती है। वित्तीय कंपनियों के लिए एक संकल्प उपकरण के रूप में, बेल-इन खंड का विषय बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इसके बावजूद यह दुनिया भर में अच्छी तरह से कम ही स्थापित है। यहां तक कि एफआरडीआई कानून तैयार करने वाली समिति ने ध्यान दिया है कि इसका उपयोग आम तौर पर किया जाना चाहिए, जहां फर्म की सेवाओं को जारी रखना महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसकी बिक्री अबाधनीय है। जन धन योजना और विमुद्रीकरण जैसे पहल पर जोर देने के साथ, सरकार ने अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की ओर धकेल दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे प्राप्त लाभ अभी भी बचे हुए है, सरकार को बेल-इन के प्रावधान के पीछे स्पष्टता और किस परिस्थिति में अंततः इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर तर्कसंगत संवाद करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बैंक जमा राशि की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए जो नई व्यवस्था के तहत सुरक्षित रहेगी।

संबंधित तथ्य

क्या है नए दिवाला और दिवालियापन संहिता में ?

- नया दिवालिया और दिवालियापन संहिता- 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code-2016) आरोपी प्रबंधन के विरुद्ध शेयरधारकों, लेनदारों और कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिये लाया गया है।
- इसके प्रावधानों के तहत डिफॉल्ट के मामले में किसी बैंकिंग कंपनी को दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिये निर्देशों हेतु आरबीआई को प्राधिकृत करने के लिये 04 मई, 2017 को बैंकिंग नियमन संशोधन अधिसूचना 2017 लागू किया गया है।
- यह अधिसूचना बाध्य होने के बावजूद परिसंपत्तियों के मामले में निर्देश देने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को देता है।
- रिजर्व बैंक के तहत आंतरिक निगरानी समिति बनाई गई है।
- इस समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पाँच कर दी गई है।
- पुनर्निर्धारित निगरानी समिति को 500 करोड़ रूपए से अधिक उधार के मामलों को सुलझाने के लिये समीक्षा के अधिकार दिये गए हैं।

द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016

- विदित हो कि विगत वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता संबंधी विधेयक पारित किया था।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट और प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920

को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और सेक्यूटाईजेशन एक्ट समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।

- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। देश में अभी तक दिवालियापन से संबंधित कम से कम 12 कानून थे, जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।

वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017

- वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 को सांसद भूपेंदर यादव की अध्यक्षता में गठित दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा परीक्षण करके संसद में रिपोर्ट पेश करने के लिए भेजा गया है।
- नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में जून, 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समाधान और जमा राशि बीमा विधेयक 2017 के पेश किए जाने के प्रस्ताव का अपनी मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान से जुड़े प्रावधान उपलब्ध हैं।

विधेयक के लाभ:

- वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 के लागू होने पर एक समाधान निगम की स्थापना हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। इससे इस विधेयक की अनुसूचियों में सूचीबद्ध क्षेत्रवार अधिनियम के समाधान संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने अथवा संशोधित करने में मदद मिलेगी।
- इसके परिणामस्वरुप जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को समाप्त करने से लेकर जमा राशि बीमा अधिकारों के स्थानांतरण और समाधान निगम के प्रति उत्तरदायित्व कायम करना भी संभव होगा।
- समाधान निगम वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व और दृढ़ता का संरक्षण करेगा और एक तर्कसंगत सीमा तक बाध्यताओं के दायरे में उपभोक्ताओं का संरक्षण करेगा तथा एक संभव सीमा तक लोगों के धन का भी संरक्षण करेगा।

विधेयक का लक्ष्य:

- वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 का लक्ष्य वित्तीय तौर पर खस्ताहाल वित्तीय सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को राहत देना है। खस्ताहाल कारोबारों को बचाने के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को सीमित करके वित्तीय संकट के समय में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच अनुशासन स्थापित करना भी इसका लक्ष्य है।
- संकट के समय आवश्यक औजार उपलब्ध कराकर, पर्याप्त रोकथाम के उपायों को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थायित्व कायम रखने में मदद मिलेगी।
- इस विधेयक का लक्ष्य बड़ी संख्या में खुदरा जमाकर्ताओं के लाभ के लिए जमाराशि बीमा के मौजूदा ढांचे को सशक्त और सुसंगत बनाना है।
- इसके अलावा, इस विधेयक के माध्यम से खस्ताहाल वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं के निदान के लिए लगने वाले समय और धन में कमी लाना भी इसका लक्ष्य है।

बैंकों में जमा धनराशि भी जोखिम की स्थिति में है

- फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (Financial Stability Board - FSB) की अगस्त, 2016 की पीयर रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकिंग प्रणाली के भीतर 63% वित्तीय निवेश आम भारतीयों का है, पीएसबी की बाजार हिस्सेदारी 63% है, जबकि निजी बैंक की 18% भाग पर नियंत्रण है।
- अधिकांश सार्वजनिक बैंकों की अस्थिर वित्तीय स्थिति को देखते हुए, इन बैंकों में जमा धनराशियाँ भी अत्यधिक जोखिम की स्थिति में हैं।
- हालाँकि इस संबंध में सुरक्षा प्रदान करने की सबसे अच्छी स्थिति यह हो सकती है कि यहाँ एक सरकारी बेल-आउट मौजूद हो।
- अन्य संभावनाएँ यह भी हो सकती हैं कि इन सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण एक ब्रिज सेवा प्रदाता के द्वारा किया जाए अथवा किसी मौजूदा बैंक के साथ विलय या परिसमापन कर दिया जाए। परंतु, इसके बावजूद इनमें से कोई भी विकल्प ग्राहक के पैसे की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है।

संभावित प्रश्न

सरकार को प्रस्तावित वित्तीय संकल्प कानून की फिर से जांच करने की जरूरत है। इसमें व्याप्त चिंताओं की चर्चा करते हुए बताये कि सरकार को इसके निदान के लिए क्या अपेक्षित कदम उठाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

The government needs to re-examine the proposed financial resolution legislation. Referring to the concerns surrounding this, what should the government take the necessary steps to diagnose it. Discuss. *(200 words)*

15वें वित्त आयोग के लिए कार्य

साभार: लाइव मिंट 06 दिसंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

सहकारी संघवाद को मजबूत करना, सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार करना और वित्तीय स्थिरता को बचाने में मदद करना, 15वें वित्त आयोग के लिए मुख्य कार्य के रूप में शामिल है।

एन.के. सिंह के नेतृत्व में 15 वें वित्त आयोग ने इस सप्ताह अपनी पहली बैठक आयोजित की। इसकी शुरुआत अनोखी है, जहाँ इसे राजकोषीय संघवाद के नियमों के बाद इसकी सिफारिशों को करना होगा, क्योंकि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत ने इसे गहराई से फिर से स्थापित कर दिया है। यह पहला वित्त आयोग है जो नए कर प्रणाली के तहत अपना काम करेगा।

संघीय सार्वजनिक वित्त पर जीएसटी का प्रभाव अभी भी स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, तथ्य यह है कि नया टैक्स जो कि एक गंतव्य लेवी है, उत्पादन से उपभोग के लिए कराधान की घटनाओं को बदल देगा, अर्थात् कि यह विभिन्न राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष करों का वितरण महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। जीएसटी दर के बारे में राजस्व-तटस्थ अस्पष्टता भी मध्यम अवधि के दौरान सभी स्तरों पर सार्वजनिक वित्त के स्वास्थ्य पर एक बड़ा सवाल है। सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में भारतीय कर को बढ़ाने की बड़ी चुनौती के खिलाफ इन मुद्दों को तैयार करना होगा।

कई वित्त आयोगों ने कर राजस्व के अनुपात में वृद्धि की है, अर्थात प्रत्यक्ष करों के बढ़ते महत्व को देखते हुए और आवश्यक रूप से स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं में राज्य सरकारों द्वारा उच्च व्यय की आवश्यकता को देखते हुए, एक आवश्यक बदलाव की जरूरत की है। के.सी. नियोगी की अध्यक्षता वाली प्रथम वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को एकत्रित कुल करों का दसवां हिस्सा केंद्र से प्राप्त होप्ता है। वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का हिस्सा 42% होना चाहिए।

संविधान वित्त आयोगों को मुख्य मुद्दों से परे जाने की शक्ति प्रदान करता है कि कैसे एक ओर नई दिल्ली और राज्यों और दूसरी ओर राज्यों के बीच क्षैतिज रूप से करों को बीच में बांटें। संवैधानिक प्रावधानों ने वित्त आयोगों को स्वस्थ वित्त के हित में व्यापक सिफारिशों को भी बनाने की अनुमति दी है, जो हमारे संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण का एक प्रमाण है।

15 वीं वित्त आयोग को एक प्रमुख मुद्दा, जिससे इसे सामना करना है कि राजकोषीय अनुशासन से छुटकारा पाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कैसे करना है। नए आयोग के संदर्भ में कई मापदंडों के लिए स्थानान्तरण को जोड़ने का सुझाव दिया गया है, जैसे जीएसटी को बेहतर करने के लिए किए गए प्रयास, कितनी जल्दी एक राज्य प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर की दिशा में कदम उठाता है, बिजली क्षेत्र के घाटे को दूर करता है, व्यापार करने में आसानी से सुधार करता है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और स्वच्छता में प्रगति लाता है। ये प्रदर्शन मापदंड स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी सरकार की नीति वरीयताओं का प्रतिबिंब है।

एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो एक मुश्किल राजनीतिक मुद्दा भी है, कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या का उपयोग करने का निर्णय विभिन्न राज्यों के व्यय आवश्यकताओं की गणना के आधार के रूप में है। यहां तक कि 14 वें वित्त आयोग को विचलन सूत्र तय करते समय स्पष्ट रूप से 1971 की आबादी की संख्या का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। नवीनतम जनसांख्यिकी के लिए बदलाव आवश्यक है, क्योंकि राज्यों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं के खर्चों को नागरिकों की संख्या से जोड़ना पड़ता है, लेकिन दक्षिणी राज्यों के लिए यह एक गंभीर मुद्दा भी हो सकता है जो जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में और अधिक सफल रहे हैं।

पंद्रहवीं वित्त आयोग को भी संघ और राज्य सरकारों के लिए नए वित्तीय लक्ष्यों की सिफारिश करने की उम्मीद है। यह माना जा सकता है कि लक्ष्य मोटे तौर पर हाल के वित्तीय समीक्षा समिति द्वारा सुझाए गए कार्यों के समान होगा।

राज्य वित्त पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, खासकर राज्यों के राजकोषीय मानदंडों में हालिया गिरावट को देखते हुए। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र मैक्रो प्रदर्शन में इसके महत्व को देखते हुए वित्त आयोग को भी केंद्र सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

हर वित्त आयोग को एक राजनीतिक संतुलन कार्य करना होगा। भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उप-राष्ट्रीय सरकारों के बढ़ते महत्व को देखते हुए राज्यों को अधिक संसाधन देने की आवश्यकता है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि रक्षा मंत्रालय जैसे प्रमुख राष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तुओं में नई भूमिका निभाने के लिए नई दिल्ली को वित्तीय रूप से बाध्य नहीं किया गया है। संघवाद केवल तभी भर सकता है, जब एक मजबूत केंद्रीय एजेंसी के साथ होता है जो एक नए राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए नियमों को विश्वसनीय रूप से लागू करता है।

15 वीं वित्त आयोग के तीन केंद्रीय कार्य, सहकारिता संघवाद को मजबूत करना, इच्छित खर्च में सार्वजनिक खर्च को बदलने के लिए आवश्यक प्रोत्साहनों को तैयार करना और वित्तीय स्थिरता से समझौता किए बिना ऐसा करने के लिए तैयार होंना शामिल है।

संबंधित तथ्य

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पिछले हफ्ते 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी देने के बाद सोमवार को एनके सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले पांच साल की अवधि के लिए होंगी।
- एन.के. सिंह नीति आयोग से पहले अमल में रहे योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अनूप सिंह वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं।
- आयोग अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2019 तक सौंपेगा। आयोग केंद्र व राज्य सरकारों के वित्त, घाटे, ऋण स्तर व राजकोषीय अनुशासन प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा। यह राजकोषीय स्थिति मजबूत करने की व्यवस्था पर सुझाव देगा।

वित्त आयोग

- वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 280 के अनुसार इसका गठन राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक कार्यों के बारे में अनुभव हो और अन्य चार सदस्य निम्नलिखित में से नियुक्त किए जाते हैं-

1. एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा ऐसी ही योग्यता रखने वाला व्यक्ति
2. एक व्यक्ति, जिसे सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान है
3. एक व्यक्ति, जिसे वित्तीय विज़यों और प्रशासन के बारे में व्यापक अनुभव है
4. एक व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान है।

वित्त आयोग के प्रमुख कर्तव्य:

1. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आबंटन के बारे में,
2. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में,
3. राज्यों में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्द्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में, तथा;
4. राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्द्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में,

राष्ट्रपति को वित्त आयोग सिफारिश करता है। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

15वीं वित्त आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करते हुए बताये कि वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति व कार्य क्या हैं? (200 शब्द)

Discussing the major challenges before the 15th Finance Commission, what are the constitutional status and functions of the Finance Commission? ***(200 words)***

ऐट द सेम रेट

साभार: इंडियन एक्सप्रेस 07 दिसंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

भारतीय रिजर्व बैंक के संकेत: विकास के लिए नीतिगत सहायता में अब कमी की जा सकती है। सरकार को निजी निवेश के लिए नए उपायों पर कार्य करना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बुधवार को महत्वपूर्ण नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय विश्लेषकों और वित्तीय बाजारों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। यह अर्थव्यवस्था की निकट अवधि की संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। मुद्रास्फीति में वृद्धि या इसके प्रक्षेपवक्र के उलट और यह तथ्य कि सरकार की राजकोषीय घाटा 2017-18 के बजट अनुमान के 96.1 प्रतिशत पार कर चुका है, यह संकेत करता है कि मौद्रिक ढील या राजकोषीय उत्तेजना के लिए कोई संभावना नहीं है। इसलिए, मौद्रिक नीति समिति ने अगले दो तिमाहियों में अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति 4.3 से 4.7 प्रतिशत पेश करने के लिए 'तटस्थ' नीति रुख बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि वित्त वर्ष 18 के पहले जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) के अनुमानित 6.7 प्रतिशत के साथ जाने पर, खाद्य और ईंधन की कीमतों पर ऊपर के दबाव दिखता है।

एमपीसी और अन्य विश्लेषकों का मानना है कि पहले से ही 50 डॉलर प्रति बैरल में तेल की कीमतें, कंपनियों के मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव के जोखिम के साथ और इस क्रम में, विकास पर निर्भर रह सकती हैं। खाद्य कीमतों में भी अक्टूबर में, विशेष रूप से सब्जियों की तरह खराब होने वाली चीजें, हालांकि शीतकालीन महीनों में इसमें नरमी आनी चाहिए। इसके साथ मिलकर आरबीआई का अपना सर्वेक्षण है, जो अमेरिका में वित्तीय विस्तार और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के कारण आगे साल में मुद्रास्फीति की उम्मीदों को मजबूत करने और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता से उत्पन्न जोखिमों को इंगित करता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि विकास के लिए नीति सहायता में कमी की जा सकती है।

दरअसल, केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जीएसटी दरों में कमी के कारण कम राजस्व के प्रभाव को झेलने के बाद इस वित्त वर्ष के 6.7 फीसदी विकास दर के अनुमान के मुताबिक जोखिम समान रूप से संतुलित है। आरबीआई ने कहा है कि अक्टूबर में ऋण वृद्धि में यह बढ़ोतरी देखी गई है और उम्मीद है कि अगले दो तिमाहियों में बढ़ोतरी होगी, साथ ही अपने औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण ने तीसरी तिमाही में पिक-अप का संकेत दिया है। अब तक की अधिकांश उम्मीदें निजी निवेश पर टिकी होंगी। सरकार को जीएसटी के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने और सूक्ष्म विनियमन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए काम करना चाहिए।

पिछली बार, अक्टूबर में, आरबीआई ने जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं को व्यक्त करते हुए कहा था कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए संभावनाओं को अल्पावधि में अनिश्चित बनाना और इस तरह निवेश गतिविधि के पुनरुद्धार में देरी शामिल है। तब से जीएसटी परिषद और सरकार ने दिवालियापन कानूनों में गड़बड़ियों और देरी को हल करने के लिए कई कदम उठाये हैं। अब सरकार और आरबीआई के साथ अधिक पूंजी के साथ बैंकों को मजबूत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जो अनुमान लगाया गया था उसके मुकाबले यह इंतजार लंबा हो सकता है।

संबंधित तथ्य

क्या है पूरा मामला

- मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे में बढोतरी के जोखिम के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने आज जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में अपनी प्रमुख ब्याज दर को ज्यों का त्यों बरकरार रखा। केन्द्रीय बैंक ने वित्त वर्ष के अंत तक के लिए मुद्रास्फीति के अपने पिछले अनुमानों को बढ़ाकर 4.3-4.7 प्रतिशत के दायरे में कर दिया है।
- रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चालू वित्त वर्ष की पांचवीं मौद्रिक नीति समीक्षा में आज मुख्य नीतिगत दर रेपो को 6 प्रतिशत पर यथावत रखा। रिवर्स रेपो दर भी 5.75 प्रतिशत पर ही रखी गयी है। रेपो वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को तात्कालिक जरूरत के लिए नकद ऋण सुलभ करता है। रिवर्स रेपो वह दर है जिस पर वह बैंकों से अल्पकालिक नकदी लेता है।
- रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने महंगाई दर पर अंकुश के अपने मध्यकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत ब्याज दर में बदलाव नहीं करने का निर्णय किया है। बैंक का लक्ष्य वृद्धि को समर्थन देते हुये खुदरा मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखना है। इसमें कुछ समय के लिए हद से हद दो प्रतिशत घट-बढ़ सहन किया जा सकता है।
- केन्द्रीय बैंक ने हालांकि, चालू वित्त वर्ष के अपने आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर पूर्ववत रखा है लेकिन तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति के अनुमान को पहले के 4.2-4.6 से बढ़ाकर 4.3-4.7 प्रतिशत कर दिया।
- रिजर्व बैंक ने इससे पहले अगस्त में मुख्य नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था। रिवर्स रेपो दर भी तब इतनी ही घटकर 5.75 प्रतिशत कर दी गई थी।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान को कायम रखा

- भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2016-17) के लिए 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान को कायम रखा है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।
- वित्त वर्ष 2017-18 में मौद्रिक नीति की पांचवीं द्विमासिक समीक्षा में कहा कि दूसरी तिमाही की वृद्धि दर अक्तूबर की समीक्षा में लगाए गए अनुमान से कम है। कच्चे तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि से कंपनियों के मार्जिन और सकल मूल्यवर्धित (जीवीए) वृद्धि दर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
- केंद्रीय बैंक ने अक्तूबर की समीक्षा में 2017-18 के लिए जीवीए वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। इससे कायम रखा गया है क्योंकि जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।
- समीक्षा में कहा गया है कि खरीफ उत्पादन और रबी की बुवाई में कमी से कृषि क्षेत्र के परिदृश्य के नीचे की ओर जाने का जोखिम है। यदि सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो हालिया महीनों में ऋण की वृद्धि दर कुछ तेज हुई है। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पूंजीकरण से भी ऋण का प्रवाह बढ़ेगा।
- रीयल एस्टेट जैसे सेवा क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में कमजोरी देखी जा रही है। समीक्षा में कहा गया है कि सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र चौथी तिमाही में मांग, वित्तीय स्थितियों तथा कुल कारोबारी परिस्थितियों में सुधार की उम्मीद कर रहा है।
- केंद्रीय बैंक ने उम्मीद के अनुरूप महत्वपूर्ण नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन चालू वित्त वर्ष के शेष बचे समय के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 4.3 से 4.7 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति :एमपीसी: ने रेपो दर को छह प्रतिशत तथा रिवर्स रेपो दर को 5.75 प्रतिशत पर कायम रखा है।

क्यों नहीं घटाई ब्याज दरें

- आरबीआई के पास ब्याज दरों में कमी करने की गुंजाइश काफी कम थी और ब्याज दरों में इजाफा होना भी मौजूदा लिहाज से मुश्किल नजर आ रहा है। अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरों को बढ़ाता तो महंगाई दर में और इजाफा हो सकता है। ऐसे में आरबीआई को ग्रोथ और ब्याज में से किसी एक को चुनना होगा। मौजूदा दौर के आरबीआई पहले ही कच्चे तेल और महंगाई की मुश्किल झेल रही है। ऐसे में अगर ब्याज दरों में और इजाफा होता है तो विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालना शुरु कर देगें। जिससे मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वहीं ऐसा हमेशा देखा गया है कि महंगाई के आंकड़े ज्यादा आने के कारण सस्ते कर्ज की उम्मीद कम हो जाती है।

आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा

- मौद्रिक नीति एक तरह का टूल है जिसके आधार पर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति ही यह तय करती है कि रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस पैसा लेगा। मौद्रिक नीति को तय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपने केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशे शामिल करता है। जिसमें अर्थशास्त्री, उद्योगपति और नीति निर्माता शामिल होते हैं। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के लिए सरकार के आर्थिक विभागों से सलाह-मशविरा करता है, लेकिन अंतिम निर्णय रिजर्व बैंक का ही होता है।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति की दो दिवसीय बैठक में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। मौद्रिक नीति समिति के कार्यो की चर्चा करते हुए सरकार को निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या अपेक्षित कदम उठाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

There was no change in the repo rate and reverse repo rate in the recently held Monetary Policy Committee's two-day meeting. Discussing the function of monetary policy committee what steps should the government take to promote private investment? Discuss. ***(200 words)***

एक निरीक्षण की समस्या

साभार: इंडियन एक्सप्रेस

08 दिसंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

वर्तमान में, संसद एक एकीकृत तरीके से आर्थिक मुद्दों पर नजर रखने के लिए खास तौर पर अव्यवस्थित है।

इन कॉलमों के एक टुकड़े में ('Give accountability a chance', इंडियन एक्सप्रेस, 2 दिसंबर) सुरजीत भल्ला ने सुझाव दिया कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को साल में दो बार संसद के समक्ष बयान देना चाहिए और सांसदों के मुद्दे को उठाते हुए गवर्नर से सही सवाल पूछने की इजाजत देनी चाहिए। इनका लेख देश की समष्टि आर्थिक चुनौतियों पर नजर रखने की संसद की क्षमता के बारे में व्यापक सवाल उठाता हैं।

वर्तमान में, व्यापक आर्थिक और मौद्रिक नीतिगत मुद्दों पर संसद में सीमित बहस होती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए संसद दो तंत्रों का उपयोग करती है। जिसमें पहला है सदन में बहस के द्वारा और दूसरा है समितियों के माध्यम द्वारा। पहला तंत्र मुद्दे को हाइलाइट करने का सबसे आम तरीका है। लेकिन संसद में अर्थव्यवस्था का मुद्दा शायद ही कभी एक बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हो। पिछली बार वर्ष 2008 में आर्थिक स्थिति की चर्चा की गई थी और लोकसभा में पांच घंटे तक चर्चा हुई थी। आमतौर पर यह विषय केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान लाया जाता है और वर्षों से बजट चर्चाओं की अवधि निरंतर कम हो रही है। संसद के पहले दशक के दौरान, बजट पर बहस 123 घंटे की औसत के लिए चली। जो कि पिछले दशक में, यह संख्या 40 घंटे तक आ गई।

आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का दूसरा मौका तब आया जब सांसदों ने देश में बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर बहस की। पिछले दशक के दौरान, यह एक ऐसा विषय रहा है जो हर साल संसद के एजेंडा का हिस्सा होता है। हांलाकि, इस पर बहस अनिर्णायक रहती है और दोष तथा राजनीतिक वक्तव्य के रूप में वर्णित एक परिचित पैटर्न का पालन करता है।

अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर चर्चा के लिए दूसरा मंच संसदीय समितियों का है। ये समितियां विशिष्ट सरकारी मंत्रालयों को जवाबदेह बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे वित्त, कानून और मंत्रालयों के कामकाज की छानबीन करते हैं। उनका जनादेश क्रॉस-कटिंग व्यापक आर्थिक मुद्दों की जांच करने के लिए नहीं करता है उदाहरण के लिए, पिछले 10 वर्षों में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स ने वित्त समिति के समक्ष कम से कम 15 बार बयान दिए है। उनका बयान हमेशा से एक क्षेत्र तक ही सीमित था, क्योंकि समिति ज्यादातर नीतिगत मामलों की जांच करती है और वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए जाने वाले कानून की जांच करती है। यह केवल एक अवसर पर है कि उनकी गवाही समग्र आर्थिक स्थिति पर थी। संसद में तीन वित्त समितियां हैं - लोक लेखा, अनुमान और सार्वजनिक उपक्रम समिति।

इसलिए मौजूदा संसदीय तंत्र सीमित हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि देश में आर्थिक स्थिति पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं है। संस्था को एक विशेष समिति की आवश्यकता है जो देश के व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे। अन्य देशों के संसद में ऐसी समितियां हैं। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की एक समिति है जिसे संयुक्त आर्थिक समिति कहते हैं। यह आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करता है और नीति में सुधार की सिफारिश करता है। यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक आर्थिक मामलों की समिति है। इसकी भूमिका आर्थिक मामलों पर विचार करना है और वर्तमान में ब्रिटेन के श्रम बाजार पर ब्रेक्सिट के प्रभाव की जांच कर रहा है। ऐसी समिति का विचार हमारे देश के लिए नया नहीं है।

वर्ष 2002 में, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने एक संसदीय समिति के अभाव को एक एकीकृत तरीके से प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर नजर रखने के लिए उजागर किया। आयोग ने पर्याप्त संसाधनों के साथ समर्थित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक नोडल स्थायी समिति की स्थापना की सिफारिश की।

आयोग ने अनुमान लगाया कि समिति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निरंतर विश्लेषण करेगी। उनकी राय यह थी कि इस समिति के निष्कर्ष राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर राय की चर्चा करने में सरकार और संसद दोनों में मदद करेंगे।

अगर ऐसी एक समिति गठित की जाती है तो वह आरबीआई के गवर्नर और अन्य सरकारी अधिकारी जैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार को अपनी कार्यवाही को साक्ष्य और समृद्ध करने के लिए आमंत्रित कर सकते है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जांच करने के व्यापक जनादेश से अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली कई नीतिगत मुद्दों पर जुड़ने और टिप्पणी करने में सक्षम होगा।

संबंधित तथ्य

भारतीय ससंद के कार्य एवं शक्तियों को विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय एंव अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. **विधायी कार्य :** मूलतया संसद कानून बनाने वाली संस्था है। केन्द्र और राज्यों में शक्ति विभाजन किया गया है जिसके लिए तीन सूचियां है- संघसूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं और संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून राज्यों की व्यवस्थापिका बनाती है समवर्ती सूची के विषयो पर दोनों, राज्य एवं केन्द्र की व्यवस्थापिका कानून बना सकती है। परन्तु समवर्ती सूची के

किसी विषय पर संसद तथा राज्य दोनों कानून बनातें है और दोनों द्वारा बनाए कानून में अतं र्विरोध है, तो केन्द्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जायेगी। ऐसा कोई विषय जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नही किया गया हो तो ऐसी अविशिष्ट शक्तियां संसद के पास है कि वह उस विषय पर कानून बना सकेगी। इस प्रकार संसद की कानून निर्माण संबंधी शक्तियां बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची तथा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में वर्णित विषय भी आ जाते हैं

2. **कार्य पालिका संबंधी कार्य :** संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ सबंध होता हैं। अपने सभी के कार्यो के लिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से ससंद के प्रति उत्तरदायी होती है । ससंद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद् को पदच्युत कर सकती है। भारत में ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा 1999 में हुआ जब अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार केवल एक मत से लोक सभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रही और उसने त्यागपत्र दे दिया। अत: अविश्वास मत या विश्वास मत संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सर्वाधिक कठोर तरीका है। इसका प्रयोग केवल विशेंष परिस्थितियों में ही किया जाता है। नित्य प्रति के कार्यो में भी संसद कई प्रकार से कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। उनमें से कुछ इस प्रकार है :-

- केन्द्रीय सरकार से संबंधित मामलों में किसी भी विषय के बारे में सांसद प्रश्न अथवा पूरक प्रश्न पूछ सकते है। ससंद के प्रत्यक कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता हैं। जिसमें मंत्रियों को सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते है।
- यदि सदस्य सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते तो वे उस विषय पर अलग से चर्चा करने की मांग कर सकते है।
- संसद कई प्रस्तावों के माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव कुछ ऐसे साधन है जिनके द्वारा लोक महत्व के तत्कालीन अत्यावश्यक मामले उठाये जाते हैं। सरकार इन प्रस्तावों को बड़ी गम्भीरता से लेती है क्योंकि इसमें सरकारी नीतियों की कडी आलोचना की जाती है। जिसका प्रभाव जनता पर पड़ता है।
- बजट अथवा धन विधेयक, ही नहीं किसी साधारण विधेयक को भी अस्वीकार करके लोक सभा मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट कर सकती है।

3. **वित्तिय कार्य:** संसद महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करती है। इसे सरकारी धन का संरक्षक माना जाता है। यह केन्द्रीय सरकार की सम्पूर्ण आय पर नियंत्रण बनाए रखती है। बिना संसद की आज्ञा के कोई धनराशि व्यय नहीं की जा सकती। यह स्वीकृति वास्तविक व्यय से पूर्व या फिर किसी असाधारण स्थिति में व्यय के पश्चात ली जा सकती है। संसद हर वर्ष सरकार के आय-व्यय अर्थात बजट को स्वीकृति प्रदान करती है।

4. **निर्वाचन संबंधी कार्य:** संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मडंल के सदस्य होते है। इसलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वे भाग लेते है वे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते है। लोक सभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का तथा राज्य सभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती हैं।

5. **अपदस्थ करने की शक्ति:** संसद की पहल पर कई महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय अधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रकिया से अपदस्थ किया जा सकता है। यदि संसद के दोनो सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत कराया जा सकता है।

6. **संविधान संशोधन संबंधी कार्य:** संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। परन्तु कुछ प्रावधान ऐसे है। जिनमें संसद द्वारा संशाोधन के लिए राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। भारत एक संघ राज्य होने के नाते संसद की संशोधन सबंधी शक्तियां अत्यंत सीमित रखी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कहा है कि संसद संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकती। आप एक अन्य पाठ में संविधान संबंधीं संशोधन प्रक्रिया को पहले ही पढ़ चुके है।

7. **विविध कार्य:** उपरोक्त कार्यो के अतिरिक्त संसद कई अन्य कार्य भी करती है जो इस प्रकार है:-

- यद्यपि आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति की है तथापि आपातकाल की सभी ऐसी घोषणाओं को स्वीकृति की है। लोक सभा तथा राज्य सभा दोनों की स्वीकृति संसद ही प्रदान करती आवश्यक है।
- किसी राज्य से कुछ क्षेत्र अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती हैं। यह किसी राज्य की सीमाएँ अथवा नाम में भी परिवर्तन कर सकती है । कुछ वर्ष पूर्व (2002) में छत्तीसगढ, झारखण्ड तथा उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) नए राज्य बनाए गये।
- संसद किसी नए राज्य का विलय भारतीय संघ में कर सकती है। जैसे 1975 में सिक्किम को भारत में विलय किया गया। स संसद राज्य विधान परिषद् को समाप्त कर सकती हैं अथवा इसका निर्माण भी कर सकती है।

संभावित प्रश्न

देश में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्षो को हल करने का माध्यम संसद है। लेकिन अगर राजनेताओं द्वारा अर्थव्यवस्था के मुद्दे को अनदेखा किया जाता है तो फिर संकट और गहरा सकता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)

The medium of solving social, economic and political conflicts in the country is the Parliament. But if the issue of economy is ignored by politicians then the crisis can deepen. Analyze this statement. ***(200 words)***

आंशिक रूप से मुक्त

साभार: इंडियन एक्सप्रेस
(11 दिसंबर, 2017)

अपार गुप्ता
(अधिवक्ता)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

इंटरनेट आजादी की एक रिपोर्ट में भारत की रेटिंग काफी चिंताजनक दर्शाई गयी है।

एक तरफ यह साल अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ फ्रीडम हाउस की इंटरनेट स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट में भारत की स्थिति काफी चिंताजनक मुद्दे के रूप में सामने आई है। पहली नजर में, जश्न मनाने का कारण यह है कि भारत ने 100 में से 41 का स्कोर (एक औंधा पैमाने पर काम करता है) और आंशिक रूप से मुक्त का एक दर्जा दिया गया है। हालांकि, यह दो कारणों से भ्रामक मालूम पड़ता है, जो एक स्वतंत्र इंटरनेट के लिए सकारात्मक प्रवृत्तियों के रूप में चिह्नित हैं, कुछ हद तक डिजिटल अधिकारों को कमजोर करने के लिए जारी सरकारी प्रयासों को दर्शाता हैं।

पहले सकारात्मक रिपोर्ट की व्यापक पद्धति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो सभी तक इंटरनेट सुविधाओं के पहुंच में सुधार के लिए उसके एक चौथाई अंक आवंटित करता है। हांलाकि, अधिक से अधिक भारतीयों तक इंटरनेट की पहुँच बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार, साथ ही साथ दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे प्रयसों की सराहना की जानी चाहिए। भारत अधिक इंटरनेट ग्राहकों को जोड़ना जारी रखता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति बढ़ती जा रही है और प्रति मेगाबाइट मूल्य गिरना भी जारी है। हालांकि, इस नैतिक चक्र को सामग्री और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन पर प्रतिबंध द्वारा तैयार किया गया है। यद्यपि सामग्री प्रतिबंधों और उपयोगकर्ता अधिकारों के उल्लंघन दोनों पर व्यक्तिगत स्कोर बनाए रखा जाता है, लेकिन फिर भी यह रिपोर्ट चिंताजनक रुझानों को इंगित करता है।

हालांकि भारत ने परंपरागत रूप से व्यक्तिगत वेबसाइटों को अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन सभी इंटरनेट ट्रैफिक को बंद करना एक ऐसी प्रथा है, जिसे अब आधिकारिक रूप से भी प्रसिद्धि प्राप्त हो रहा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा एक प्रभावशाली अध्ययन ने यह दिखाया है कि भारत ने पिछले साल कम से कम 22 इंटरनेट शटडाउन किए थे, जो विश्व स्तर पर उच्चतम फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े को कम से कम 37 व्यक्तिगत उदाहरणों तक पहुंच गया। सितंबर में अधिसूचित नियमों को एक नौकरशाही प्रक्रिया में शामिल किया गया और शटडाउन आदेश जारी करने के लिए कानूनी मंजूरी को औपचारिक रूप दिया गया। इंटरनेट पहुंच पर ऐसा प्रतिबंध विचार या धारणा को निरंतर साझा करने से गिरफ्तारी के साथ मेल खाता है जो राज्य की नीतियों या राजनीतिक व्यंग्य की आलोचना करता है। इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रेस रिपोर्टों द्वारा एकत्रित किया जाता हैं, क्योंकि ऑनलाइन सामग्री के लिए शटडाउन या गिरफ्तारी के सरकारी आंकड़े अनुपलब्ध होते हैं। इंटरनेट शटडाउन की संख्या पर संसदीय प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहते हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के वार्षिक प्रकाशन, भारत में अपराध, जिसमें साइबर अपराध पर एक अलग अध्याय शामिल है, से थोड़ी भी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें इसके संबंध में विवरण शामिल ही नहीं है।

सर्वोच्च स्कोर में उदारता का दूसरा कारण न्यायमूर्ति पुट्टस्वामी का निर्णय था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के मौलिक अधिकार पर छाए बादल को हटाने की कोशिश की थी। मूलभूत अधिकार के रूप में गोपनीयता की स्थिति को सरकार द्वारा न केवल आधारभूत नीति को अग्रिम करने के लिए एक कानूनी आक्षेप के रूप में विवाद में लाया गया था, बल्कि यह राज्य सत्ता के एक और अधिक बड़े पैमाने पर प्रयास के लिए एक तर्क के रूप में भी था। हमारे नेटवर्क जीवन में डिजिटल सेवाओं और डेटा-आधारित राज्य नीतियों की प्राथमिकता को देखते हुए, बिना उचित सुरक्षा उपायों के उच्च नियंत्रण के लिए महत्वाकांक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। वर्तमान में, गोपनीयता का मूल अधिकार मुकदमेबाजी पर लागू होता है, लेकिन सार्थक सुरक्षा उपायों को सक्रिय रूप से भारत में अनुपस्थित रहते हैं। न्यायमूर्ति पुट्टस्वामी द्वारा दिया गया फैसला खुद एक कानून में लाने के लिए एक ठोस राज्य दायित्व रखता है ताकि डेटा संग्रह, विश्लेषण और प्रकटीकरण के नुकसान के खिलाफ नागरिकों की रक्षा की जा सकें। हालांकि सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति, व्यापक सम्मानित न्यायविद् न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण, इस निर्वात को भरने के लिए डेटा संरक्षण कानून लाने का वादा करते है, लेकिन इस समिति में स्वयं सिविल सोसायटी की प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता की कमी है।

कई उदाहरणों में, स्वतंत्र अभिव्यक्ति ऑनलाइन के लाभ को वर्ष 2015 में घोषित श्रेया सिंघल फैसले के रिपोर्ट में मान्यता प्राप्त है। इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66 ए को कमजोर बना दिया और ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए अदालत और कार्यकारी आदेश भी अनिवार्य कर दिया।

दरअसल, इंटरनेट आधुनिक युग की सर्वाधिक उपयोगी सेवाओं में शुमार हो गया है। दुनिया का कोई कोना, कोई विषय, कोई क्षेत्र उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। इंटरनेट पर दिनोंदिन बढ़ती निर्भरता ने उसे अनिवार्य आवश्यकता बना डाला है। इसके चलते वह सर्वसुलभ तो गया है, लेकिन समान दरों पर सभी तक उसकी पहुंच के लिए दुनिया भर में वातावरण बनाया जा रहा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट का संपूर्ण ध्यान सोशल मीडिया पर राज्य प्रायोजित दुष्प्रचार अभियान के वैश्विक उदय पर केन्द्रित था। राजनीतिक दलों के अनौपचारिक प्रथाओं में शामिल ऑनलाइन रिपोर्टों के बावजूद, ऐसे उदाहरणों को भारत विशिष्ट रिपोर्ट के सार्थक विश्लेषण में शामिल नहीं किया जाता है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आंशिक रूप से मुक्त (partly free) का कोई रेटिंग लोकतंत्र के पास नहीं है, जो डिजिटल अधिकारों का मूल्यांकन करता है। शुक्र है, हमें इस मामले में अगले साल बेहतर करने का एक और मौका मिलता है, नहीं तो परिस्थिति और दयनीय हो जाती।

संबंधित तथ्य

क्या है नेट न्यूट्रैलिटी?

- नेट न्यूट्रैलिटी शब्द का पहली बार इस्तेमाल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मीडिया लॉ के प्रोफेसर टीम वू ने किया था। नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांत के अनुसार कोई भी सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी इंटरनेट के किसी भी कंटेट, डेटा और एप्लीकेशंस को बराबरी का दर्जा देगी। कोई भी वेबसाइट और पेज तब तक नहीं ब्लॉक किए जाए, जब तक कि उस पर कोई गैर कानूनी तथ्य न हो। इसका मतलब यह हुआ कि छोटी-बड़ी सारी वेबसाइट को इंटरनेट समान रूप से जगह देगी।

क्यों जरूरी है नेट न्यूट्रैलिटी?

- आज स्थिति यह है कि हमारे गाँव-शहर, घर-दफ्तर, कल-कारखाने, खेत-खलिहान, धर्मस्थल, स्कूल और बैंक, सब इंटरनेट पर आने को बेताब हैं।
- अब यह कैसे संभव है कि ये सब चीजें जिस गेटवे पर हैं, उन्हें रोक दिया जाए या वहाँ आने-जाने पर पाबंदी लगा दी जाए? नेट निरपेक्षता इसीलिये जरूरी है।
- कुछ ऐसे मामले भी देखने में आते रहते हैं, जिनसे पता चलता है कि नेट निरपेक्षता की समस्या केवल अधिकार की सैद्धांतिक बहस या लड़ाई भर नहीं थी, बल्कि यह तकनीकी-व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी खड़ी करने लगी थीं।
- नेट न्यूट्रैलिटी ऐसा सिद्धांत है जिसके मुताबिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सभी डेटा को समान दर्जा देती है।
- चाहे सेवा वेबसाइट विजिट करने की हो या अन्य कंटेट प्राप्त करने की।
- नेट न्यूट्रैलिटी की वजह से सर्विस प्रोवाइडर कंपनी न तो डेटा ब्लॉक कर सकती है और न ही उसकी स्पीड स्लो ही कर सकती है।
- नेट न्यूट्रैलिटी न होने पर ऑपरेटर डेटा कीमतों के अलावा कॉलिंग सर्विस के लिए अलग से पैसे वसूल सकते हैं।
- नेट न्यूट्रैलिटी को लागू नहीं किया गया तो मोबाइल कंपनियां इन सर्विसेज के लिए अलग से ज्यादा चार्ज भी कर सकती हैं।

ट्राई की प्रमुख सिफारिशें?

- देश में किफायती, स्तरीय और सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पाने का सभी को समान अधिकार है।
- यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि इंटरनेट एक खुला मंच है और इसमें किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती और किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।
- देश में इंटरनेट की सुविधा है और एक समान सभी उपभोक्ताओं को इसकी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत को लागू करना बेहद जरूरी है।
- इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियाँ नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत को लागू कर रही हैं या नहीं, इसकी निगरानी के लिये एक मल्टी स्टॉक होल्डर बॉडी (बहु अंशधारक निकाय जैसी विशेष संस्था) बनाई जानी चाहिए, जिसमें सरकार, उद्योग जगत और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हों।
- विशेष परिस्थितियों में इंटरनेट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिये इंटरनेट सेवा प्रदाता को भी विशेष अधिकार देने की सिफारिश की गई है। यह इंटरनेट टेलीफोनी या मेसेजिंग जैसी सेवाओं पर लागू हो सकता है।
- कंपनियों के लाइसेंसिंग नियमों में भी बदलाव होना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सामग्री के आधार पर इंटरनेट पहुंच के मामले में भेदभाव नहीं हो रहा है।

नेट न्यूट्रैलिटी के खिलाफ तर्क

- पहला तर्क यह दिया जाता है कि सरकार को मुक्त बाजार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिये। प्रतिस्पर्धी बाजार में जो सबसे कम कीमतों पर सबसे अच्छी सेवाएँ देगा, उसे जीतना चाहिए।
- एक अन्य तर्क यह दिया जाता है कि दूरसंचार ऑपरेटरों ने अपना नेटवर्क खड़ा करने में भारी-भरकम धनराशि खर्च की है, जबकि व्हॉट्स एप जैसी सेवाएँ मुफ्त में वॉइस कॉल की सेवा देकर उनके उन्हीं नेटवर्क्स का फायदा उठा रही हैं।
- इससे टेलीकॉम कंपनियों के कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह की कॉलिंग सर्विस देने वाली कंपनियों को टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क के इस्तेमाल के लिये अतिरिक्त कीमत चुकानी चाहिए।
- पाँचवीं पीढ़ी यानी 5-जी, 6-जी, 7-जी इंटरनेट को लागू करने की राह में नेट न्यूट्रैलिटी सबसे बड़ी बाधा सिद्ध होगी, क्योंकि यह नई तकनीक उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें नेट न्यूट्रैलिटी प्रभावी नहीं हो सकती।
- विरोधियों का तर्क है कि 1995 की सर्किट तकनीक में तो नेट न्यूट्रैलिटी को लागू किया जा सकता है, लेकिन अब जो 220-230 के टेलीकॉम प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उनमें इन्हें लागू करना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिये कि भविष्य की तकनीकी क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित रहने वाली है। इसके अलावा नेट न्यूट्रैलिटी को प्रौद्योगिकी के विकास के भी खिलाफ माना गया है।

संभावित प्रश्न

वर्तमान में इंटरनेट पर दिनोंदिन बढ़ती निर्भरता ने इसे अनिवार्य आवश्यकता बना डाला है। ऐसे में भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता पर लगा प्रश्न चिन्ह और इसकी स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी का डिजिटल इंडिया अभियान पर क्या व्यापक असर पड़ेगा? चर्चा कीजिये। **(200 शब्द)**

In increasing dependence on the internet in present times, has necessiated its importance. In this context, what will be the impact of 'questions put on Internet freedom in India and the ignorance of government to improve it', on the Digital India Campaign? ***(200 words)***

भारतीय कूटनीति, कसौटी से परे

साभार: इंडियन एक्सप्रेस
(12 दिसंबर, 2017)

सी. राजा मोहन
(निदेशक, कार्नेगी इंडिया, दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

कई देशों के साथ नई दिल्ली की भागीदारी एक बहुध्रुवीय दुनिया में अपने हितों को बदलने के साथ-साथ विदेश नीति को परिपक्व बनाने का संकेत देती है।

इस सप्ताह भारत की गहन राजनयिक गतिविधियां हमें दिल्ली की प्रगतिशील बहु-दिशात्मक विदेश नीति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। जहाँ वह भारत अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ एक दिन की बैठक कर सकता है और रूसियों और चीनी के साथ परामर्श कर सकता है, जो निश्चित रूप से दिल्ली में पारंपरिक सोच वाले लोगों को विचलित कर सकता है। लेकिन दक्षिण ब्लॉक और बहुध्रुवीय दुनिया में भारत का उदय एक निश्चित व्यावहारिकता को दर्शाता है, जो एक नए रूप में नए दृष्टिकोण को दर्शाता है।

लेकिन इस सप्ताह दिल्ली के राजनयिक कैलेंडर से पहले यह बोधी पर्व के निष्कर्ष के साथ शुरू हुआ, जो बे ऑफ बंगाल फोरम की 20 वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए बौद्ध विरासत का उत्सव है, जिसे बिम्सटेक के रूप में जाना जाता है। यह पांच दक्षिण एशियाई देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका) और दो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों (बर्मा और थाईलैंड) को एकजुट करता है। इस हफ्ते दिल्ली में भारत की वर्तमान 'पूर्व की ओर देखो नीति' ने भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जो भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों (आसियान) के 10 सदस्यीय संघ को जोड़ने पर एक सम्मेलन है।

अगर सांस्कृतिक, डिजिटल और भौतिक कनेक्टिविटी इन दिनों भारतीय कूटनीति में महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं, तो कई सहयोगियों के साथ अल्पसांस्कृतिक विचार भी है। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के नवीनीकरण के लिए दिल्ली का समर्थन पिछले महीने एक और जटिल दुनिया में भारत के हितों को आगे बढ़ाने के लिए तात्कालिक और लचीली व्यवस्था पर जोर देता है।

पिछले डेढ़ दशक में एक सतत त्रिपक्षीय सगाई के हिस्से के रूप में दिल्ली इस सप्ताह रूसी और चीनी विदेश मंत्रियों की मेजबानी कर रहा है। इसके बाद यह सप्ताह जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक और त्रिपक्षीय मंच की मेजबानी करेगा। दिल्ली, टोक्यो और कैनबरा के शीर्ष राजनयिकों ने पिछले तीन सालों से नियमित रूप से बैठक की है। यह चतुर्भुज वार्ता के साथ ही अमेरिका और जापान के साथ-साथ चल रहे त्रिपक्षीय संबंधों को भी पूरक बनाती है। दिल्ली ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले टू प्लस टू संवाद भी ले रहा है जिसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा सचिव एक साथ बैठक करेंगे।

इस मिश्रण में कुछ अतिरिक्त मसाला जोड़ने के लिए, दिल्ली राष्ट्रमंडल के महासचिव, बैरनेस पेट्रीसिया, स्कॉटलैंड का स्वागत भी किया जायेगा, इस सप्ताह यह पिछले महीने राजकुमार चार्ल्स द्वारा दिल्ली की यात्रा का अनुसरण करता है, जब दोनों पक्ष राष्ट्रमंडल में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने के लिए संभावनाओं पर विचार करने पर सहमत हुए।

चतुर्भुज के पुनरुद्धार ने निश्चित रूप से दिल्ली और उससे आगे के राजनीतिक समुदायों में हड़कंप मचा दिया है। जिसमें से कुछ गुट-निरपेक्ष के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में चिंतित हैं और भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव को गलत मानते हैं। दिल्ली, किसी भी तरह से रक्षात्मक रूप नहीं अपनाये हुए है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए प्रकार के महान शक्ति संबंधों के निर्माण के लिए चीनी प्रयास को इंगित करता है, अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बीजिंग के चतुष्कोणीय वार्ता को इंगित करता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिका के साथ एक भव्य सौदेबाजी में रूस की रुचि को इंगित करता है। निश्चित रूप से यहाँ रूस और चीन के साथ अपना संबंध छोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। भारत निश्चित रूप से रूस और चीन के साथ सहयोग के क्षेत्र को विस्तारित करने और कई तरह के विवादों को सीमित करने के लिए उत्सुक दिख रहा है।

विदेश नीति समुदाय में परंपरावादियों के लिए, भारत की बहुपयोगी योजनाएं काफी हद तक समझ से परे प्रतीत होती हैं। चाहे हम सरकार से सहमत हों या नहीं, यह काफी स्पष्ट है कि दिल्ली अब विरासत में मिले राजनयिक कसौटी के लिए बाध्य नहीं है। एक अलग युग से विश्वदृष्टि से जुड़े विचारकों के विपरीत, दिल्ली में यथार्थवादियों ने लगातार अनुकूलन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे यूरोप और एशिया में रूसी और चीनी जबरदस्ती के बीच संयुक्त राज्य द्वारा प्रभुत्व को शीत युद्ध विश्व व्यवस्था के बाद के टूटने को इंगित करते हैं और इसलिए अब भारत को एक अनिश्चित विश्व में अपने हितों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

शीत युद्ध समाप्त होने के बाद व्यावहारिकता वास्तव में अनिवार्य रही है। वर्तमान प्रयासों में से कई, सामान्य रूप से पश्चिम में खुलने और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय संबंध और चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता सभी को पी.वी. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा शुरू और उन्नत किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान इन पहलों से अधिक ऊर्जा लाने को शामिल करने से और पिछली राजनीतिक बाधाओं को त्यागने से जुड़ी हुई है। शीत युद्ध के बाद व्यावहारिकता का अर्थ है कि दिल्ली गुट-निरपेक्ष आंदोलन से परे था। आज भारत जी -20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे विविध संगठनों का हिस्सा है। इन सभी दशकों में राष्ट्रमंडल को नजरअंदाज करने के बाद, दिल्ली अब मंच पर अधिक सकारात्मक दिख रहा है जो 50 से अधिक सदस्यों को एक साथ जोड़ता है। यह भारतीय नेतृत्व के लिए एक संभावित क्षेत्र है।

इस बीच भारत का उदय वैश्विक शक्ति की संरचना में दिल्ली का स्थान बदल रहा है। यह बदले में भारत की महान शक्ति संबंधों की गति को बदल देगा। अतीत में दिल्ली का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नए प्रभुत्व के लिए जगह बनाने के लिए महान शक्ति प्रतियोगिता को रोकने के लिए था। आज बढ़ती सैन्य क्षमता वाले विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भारत महान शक्ति राजनीति को आकार देने और भारत-प्रशांत और यूरेशिया में सत्ता के संतुलन को प्रभावित करने की स्थिति में है।

भारत की 'एक्ट ईस्ट और लुक वेस्ट' नीति ने भारतीय कूटनीति को एक नई दिशा दी है। परन्तु मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में भारत अपनी भूमिका को उस प्रकार से सक्रिय नहीं रख सका है, जैसा कि होना चाहिए था। क्रूड ऑयल के लिए भारत की निर्भरता पश्चिम एशियाई देशों पर ही है। इसके बावजूद चीन और रूस ने बाजी मार ली है। चीन-रूस-ईरान की संधि फल फूल रही है और इन सबके बीच भारत एक किनारे पर रह गया है।

आखिरकार, बहुध्रुवीय दुनिया के लिए भारत की इच्छा को स्वीकृति दे दी गयी है। लेकिन, एक बहुध्रुवीय दुनिया एक ऐसी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर है जो एकल शक्ति का वर्चस्व है या द्विध्रुवीय के आसपास संरचित है। बहुसंख्यक दुनिया में प्रमुख शक्तियों के बीच सबसे कमजोर होने के नाते दिल्ली को सभी दिशाओं में आगे बढ़ने की जरूरत है और विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे और बहुपक्षीय मंचों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होना पड़ेगा।

बिम्सटेक

बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation)

- एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में BIMSTEC की स्थापना जून 1997 में हुई थी। इस संगठन में भारत सहित नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। प्रारंभ में यह चार देशों भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड (BISTEC) के आर्थिक सहयोग पर आधारित संगठन था। संगठन का स्थायी कार्यालय ढाका में स्थापित किया गया है।
- मूल रूप से यह एक सहयोगात्मक संगठन है, जो कि व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन और प्रौद्योगिकी इन छः क्षेत्रों को आधार बनाकर सृजित किया गया था, परंतु बाद में कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु-परिवर्तन को भी इसमें शामिल किया गया।

भारत के लिये बिम्सटेक के महत्त्व

- पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका के कारण भारत सार्क के बदले बिम्सटेक को ज्यादा प्रमुखता दे रहा है।
- भारत की बिम्सटेक में सक्रिय भागीदारी से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- बिम्सटेक सदस्यों से बहुस्तरीय संबंध स्थापित कर भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सकता है।
- बिम्सटेक भारत-म्यांमार के बीच कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) राजमार्ग परियोजना के विकास में भी सहयोग की उम्मीद की जा सकती है।
- यह संगठन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी देशों के बीच सेतु की तरह काम करता है। इस समूह में दो देश दक्षिणपूर्वी एशिया के हैं। म्यांमार और थाईलैंड भारत को दक्षिण पूर्वी इलाकों से जोड़ने के लिये बेहद अहम है। इससे भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

बिम्सटेक के समक्ष चुनौतियाँ

- बिम्सटेक क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के विकास के लिये एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर सदस्य देशों के बीच सहमति अभी नहीं बन पाई है।
- संगठन के कुछ सदस्य देशों के बीच शरणार्थियों की समस्या क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा कर रही है।
- संगठन की बैठकें अथवा शिखर सम्मेलन नियमित नहीं हैं, जिसके कारण सदस्य देशों का संगठन के उद्देश्यों के प्रति रुचि कम हो जाती है।

क्या है एक्ट ईस्ट नीति?

- भारत की वर्तमान विदेश नीति के बारे में कहा जा रहा है कि भारत इस मोर्चे पर आज जितना मजबूत है, उतना कभी नहीं था। यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत आधार देने के बाद भारत सरकार ने कूटनीति के अगले चरण में पूर्वी एशियाई देश में पहल करते हुए लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में तब्दील कर दिया था।
- लुक ईस्ट नीति का उद्देश्य आसियान देशों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये खास मुहिम चलाना है। गौरतलब है कि आसियान देशों का महत्त्व भारत के लिये सिर्फ भू-राजनीतिक वजहों से ही नहीं है, बल्कि जिस रफ्तार से भारत आर्थिक प्रगति करना चाहता है, उसके लिहाज से आसियान देश भारत के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। खास तौर पर तब, जब भारत अपने निर्यात के लिये नए बाजारों की तलाश में है।

संभावित प्रश्न

पिछले कुछ समय में हुई प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं काफी प्रभावशाली रही हैं। इसके बावजूद, भारत को सभी दिशाओं में आगे बढ़ने की जरूरत है और विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे और बहुपक्षीय मंचों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होना पड़ेगा। इस कथन के सन्दर्भ में भारत को अपने विदेश नीति में क्या सुधार करने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

The Prime Minister's foreign visits during the past few years have been very influential. Despite this, India needs to move forward in all directions and will have to actively engage with various types of small and multilateral forums. In relation to this statement, what should India do to improve its foreign policy? Discuss. *(200 words)*

रोजगार की समस्या, आंकड़ों में

साभार: इंडियन एक्सप्रेस
(13 दिसंबर, 2017)

राधिका कपूर
शोधकर्ता, आईसीआरआईईआर)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

कई डेटा सेट्स रोजगार सृजन की सुस्त गति को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए बहस में कमी का कारण अब डेटा की कमी नहीं हो सकती।

रोजगार आज भारत की राजनीतिक कथा का अभिन्न अंग हैं। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि एनडीए की सरकार भारत की तेजी से बढ़ती कार्यबल के लिए बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण करने के वादे के बाद ही सत्ता में आई थी। हालांकि, पिछले कुछ सालों से रोजगार के प्रदर्शन पर ज्यादा बहसें उच्च आवृत्ति रोजगार आंकड़ों की अनुपस्थिति के कारण अस्पष्टता में फंस गई हैं। सरकार ने भारत के रोजगार डाटा प्रणाली को सुधारने के लिए एक कार्यबल को लगाया है, लेकिन नए रोजगार आंकड़ों का जल्द बाहर आने की संभावना बहुत कम हैं। हालांकि, अंतरिम अवधि में रोजगार के रुझान को समझना अनिवार्य है। हाल के एक अध्ययन में, वेटिंग फॉर जॉब्स, कई डेटा स्रोतों और सर्वेक्षणों के विस्तृत विश्लेषण के द्वारा ऐसा संभव बनाने का प्रयास किया गया हैं। हमारे अध्ययन में पिछले कुछ वर्षों में भारत में नौकरी सृजन की सुस्त गति की पुष्टि की गयी है। इस आलेख में कुछ आंकड़ों को उजागर किया जा रहा है जो भारत के रोजगार संकट की गंभीरता को रेखांकित करता है।

सबसे पहला, श्रम ब्यूरो के वार्षिक घरेलू रोजगार सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े (ब्यूरो के त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षणों के साथ भ्रमित नहीं होना है, यह केवल चयनित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले उद्यमों पर आधारित हैं) कुल रोजगार में 480.4 मिलियन (2013-14) 467.6 मिलियन (2015-16) रोजगार में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाने वाली एकमात्र क्षेत्र थोक और खुदरा व्यापार था जहां रोजगार 43.7 करोड़ से बढ़ाकर 48.1 मिलियन हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में (दोनों संगठित और असंगठित) रोजगार 51.4 मिलियन से घटकर 48.1 मिलियन रह गए हैं।

दूसरा, हम इंडस्ट्रीज के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के आंकड़ों की जांच करते हैं, एक एंटरप्राइज सर्वे जो केवल संगठित विनिर्माण क्षेत्र को कवर करता है। यहां, हम 2013-14 और 2014-15 के बीच 12.94 मिलियन से 13.25 मिलियन से बढ़कर रोजगार प्राप्त करते हैं। यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि इस अवधि में कुल 3.15 लाख नौकरियों का निर्माण हुआ, 85.02 प्रतिशत अनुबंध की नौकरी यह देखते हुए कि 2014-15 से आगे कोई एएसआई डेटा नहीं है, हम राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) से डेटा का उपयोग करते हुए इस क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक रोजगार श्रृंखला तैयार करने का प्रयास करते हैं। हालांकि, NAS रोजगार के आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं करता है, यहाँ रोजगार अनुमानों को उत्पन्न करने के लिए रिपोर्ट किए गए सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) डेटा का उपयोग किया गया हैं। हमने एनएएस में रिपोर्ट किए गए प्रत्येक उद्योग समूह के लिए जीवीए के रोजगार की लोच का अनुमान लगाया है। जीवीए में परिवर्तनों का उपयोग NAS में रिपोर्ट किया गया है और हमारे लोच अनुमान के अनुसार, हम रोजगार में परिवर्तन की गणना करते हैं। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि भारत के एनएएस में संशोधन के कारण पहले से संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित विनिर्माण क्षेत्र को अब निजी कॉर्पोरेट विनिर्माण क्षेत्र (पीसीएमएस) और घरेलू क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जबकि यहाँ पद्धतिगत अंतर मौजूद हैं। हमारे अध्ययन में जो रोजगार श्रृंखला हम बनाते हैं वह पीसीएमएस से मेल खाती है और संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करती है। हमारी गणना बताती है कि 2014-15 और 2015-16 के बीच, पीसीएमएस में लगभग चार लाख रोजगार की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित समय अवधि (2015-16 से 2016-17) में, इस क्षेत्र में तीन लाख से अधिक नौकरियों का निर्माण हुआ। यह देखते हुए कि यह एक संगठित क्षेत्र है जहां अच्छी उत्पादक नौकरिया हैं, नौकरी सृजन की गति पर्याप्त से दूर है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब हमारे अध्ययन में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति हमें रोजगार का अनुमान देती है, तो यह हमें बताए गए नौकरियों की गुणवत्ता के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। हालांकि, पिछले दो दशकों में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में संविदा श्रमिकों के शेयरों में तेजी से वृद्धि के कारण, यह मानने में अनुचित नहीं होगा कि इन नौकरियों की बड़ी संख्या वास्तव में संविदागत नौकरियों में थी।

तीसरा, हम एनएसएसओ की हाल ही में जारी रिपोर्ट अनगॉरपोरेटेड नॉन-एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेज (73 वें दौर) की जांच करते हैं, जो 2015-16 के लिए गैर-कृषि क्षेत्र (निर्माण को छोड़कर) में अपंजीकृत/असंगठित फर्मों पर डेटा प्रदान करता है। पिछले ऐसे सर्वेक्षण 2010-11 में आयोजित किए गए थे। इन दोनों दौरों से डेटा की तुलना करते हुए, हम पाते हैं कि असंगठित विनिर्माण उद्यमों में लगे श्रमिकों की संख्या 2010-11 और 2015-16 के बीच 34.88 मिलियन से बढ़कर 36.04 मिलियन हो गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घरेलू उद्यम था (जो किसी भी काम पर रखने वाले श्रमिक के बिना काम करता है) जो कि इस वृद्धि (1.82 मिलियन) के बराबर है। दूसरी तरफ, गैर-घरेलू प्रतिष्ठानों (जो कम से कम एक मजदूर को काम पर लगाते हैं) में शामिल श्रमिकों की कुल संख्या 0.67 मिलियन की गिरावट आई है। गैर-घरेलू प्रतिष्ठानों की तुलना में घरेलू उद्यम कम वेतन का भुगतान करते हैं और कम उत्पादकता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, घरेलू से गैर-घरेलू उद्यम प्रतिष्ठानों में संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण कल्याण लाभ हैं। घरेलू उद्यमों में बढ़ते रोजगार इस प्रकार की एक घटना है, जो वैकल्पिक सभ्य रोजगार के अवसरों की कमी का नतीजा लगता है।

चौथा, हम विभिन्न प्रशासनिक डेटा सेट के आंकड़ों की जांच करते हैं। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय स्रोत है सरकार की हाल ही में लॉन्च की गई राष्ट्रीय कैरियर सर्विसेज (एनसीएस), जो नौकरी पाने वालों और नियोक्ताओं के लिए राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान

करने का प्रयास करती है। मार्च 2016 तक, 36.25 मिलियन नौकरी चाहने वालों को एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत किया गया था। अक्टूबर, 2017 तक यह एक्सचेंज पर तैनात केवल 7.73 लाख पदों के मुकाबले 39.92 मिलियन हो गया था। एनसीएस डेटा का एक विश्लेषण सीमित कवरेज जैसे कई चुनौतियों से भरा है और तथ्य यह है कि एक्सचेंज पर पंजीकृत नौकरी तलाशने वाले पहले से ही कम भुगतान प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं और अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों में बेहतर वेतन की तलाश में हैं। चेतावनियों के बावजूद, ये संख्या नौकरी सृजन की गति और उत्पादक नौकरियों की मांग के बीच भारी अंतराल को सुदृढ़ करती हैं।

कई डाटासेटों की एक परीक्षा ने भारत के रोजगार संकट की ताकत को फिर से समझा है। यह समय है कि हम नौकरी सृजन पर सार्थक बहस में कमी के लिए विश्वसनीय और समय पर डेटा की कमी का बहाना ना बनाए।

संबंधित तथ्य

- वर्ष 1991 में घोषित अंतिम औद्योगिक नीति के बाद से, भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।
- पिछले तीन सालों में मजबूत स्थूल-आर्थिक मूल सिद्धांतों और कई अन्य आर्थिक एवं नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग विश्वव्यापी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में अपना एक अलग मुकाम हासिल करने में सक्षम हो पाया है।
- भारत की यह सफलता इसकी सशक्त रणनीति, प्रगतिशील विचारों तथा योजनाओं एवं नियमों के सटीक क्रियान्वयन का परिणाम है।
- हालाँकि, इस संबंध में अभी और भी रणनीतिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है ताकि भारत को विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किया जा सके।
- नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा।

नई औद्योगिक नीति

- उल्लेखनीय है कि नई औद्योगिक नीति को तैयार करने के लिये एक परामर्शदात्री दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- भारतीय उद्योग के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिये विशिष्ट समूहों, सरकारी विभागों के सदस्यों, उद्योग संगठनों, शिक्षाविदों और थिंक टैंक द्वारा विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस नई नीति का निर्माण किया गया है।
- नई नीति के अंतर्गत् निम्नलिखित छह महत्त्वपूर्ण विषयगत क्षेत्र शामिल हैं- विनिर्माण और एम.एस.एम.ई., प्रौद्योगिकी और नवाचार; व्यापार करने में आसानी; बुनियादी ढाँचा, निवेश, व्यापार और राजकोषीय नीति; भविष्य के लिये कौशल तथा रोजगार।
- भारत के आर्थिक विकास हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिये एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो नई औद्योगिक नीति के लिये निविष्टियाँ प्रदान करेगी।

उद्देश्य

- नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना है, ताकि संपूर्ण विश्व के समक्ष भारत को एक सशक्त विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त इस नीति के अंतर्गत उन्नत विनिर्माण के लिये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धि और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

वर्तमान में भारत के समक्ष रोजगार से जुड़ी कई जटिल चुनौतियाँ विद्यमान हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र (जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण और कृषि) जिन्होंने विगत वर्षों में देश में रोजगारों का सृजन करने में योगदान किया है, अब चिंता का विषय बने हुए हैं। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)

At present, there are many complex challenges related to employment in front of India, because such areas (such as information technology, construction and agriculture) that have contributed in the creation of jobs in the country in the past years have now become a matter of concern. Analyze this statement. ***(200 words)***

अयोग्य कार्यवाही : एक प्रश्न

साभार: द हिन्दू
(14 दिसंबर, 2017)

विवेक के. अग्निहोत्री
(राज्यसभा के पूर्व महासचिव)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

1985 के ऐतिहासिक दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य देश की राजनीति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पार्टी को संबोधित करते हुए व्यक्तिगत और राजनीतिक विचारों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दल-बदल को रोकना था। हालांकि यह कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हेतु लाया गया था, लेकिन कुछ राजनेताओं ने वर्षों में इसकी निंदा करने के तरीकों का भी पता लगा लिया। 4 दिसंबर को, जब राज्यसभा के अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू ने दो विधायक जनता दल (यूनाईटेड) के नेताओं को विशेषाधिकारों की समिति के बिना संदर्भित किए जाने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया, तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यह जल्दबाजी में निर्णय या त्वरित न्याय का मामला है?

नियम: संसद के एक सदस्य या राज्य विधानसभा को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि वह पार्टी की दिशा के विपरीत कार्य करते हुए स्वेच्छा से पार्टी या वोटों की सदस्यता को छोड़ देता है या अपने विधायिका में मतदान करने से बचना चाहता है। वर्तमान मामलों में, शरद यादव और अली अनवर अन्सारी के सदस्यों के खिलाफ आरोप यह था कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है जिससे उन्होंने पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ दिया, अर्थात् जेडी (यू) को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता को छोड़ देना इस्तीफा का पर्यायवाची नहीं है यह पार्टी-विरोधी गतिविधियों में सदस्य की भागीदारी में निहित हो सकता है। दल-बदल विरोधी कानून एक उचित सुधार था, लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून की मारक क्षमता को कम कर दिया। जो दल-बदल पहले एकल होता था, अब सामूहिक तौर पर होने लगा। अत: वर्ष 2003 को संसद को 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामूहिक दल-बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया।

एक साथ दो आदेशों में श्री नायडू ने घोषणा की कि अंसारी और श्री शरद यादव राज्यसभा के सदस्यों के अनुच्छेद 2(1ए) के संदर्भ में अयोग्यता के कारण तत्काल प्रभाव से राज्यसभा के सदस्य नहीं है। संविधान के दसवीं अनुसूची श्री अन्सारी 2 अप्रैल, 2018 को राज्य सभा के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे थे, जबकि शरद यादव की अवधि 7 जुलाई, 2022 को समाप्त होने वाली है।

मामलों के तथ्य: वर्तमान मामले में, प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल (राष्ट्रीय जनता दल) के साथ संलिप्तता सहित, उत्तरदाताओं द्वारा किए गए पार्टी-विरोधी गतिविधियों से संबंधित तथ्यों के बारे में थोड़ा विवाद है। रक्षात्मक रूप से यह तर्क दिया गया था कि जिन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वे वास्तविक पार्टी के थे और वास्तव में, उन्होंने जेडी (यू) के सदस्य की अयोग्यता के लिए एक प्रति-याचिका दायर की थी। हालांकि, यह तर्क कमजोर पड़ गया, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी कि जेडी(यू) पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में थी। किसी भी मामले में, प्राकृतिक न्याय के हितों में, उत्तरदाताओं को उनके खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपनी बहस पेश करने का पर्याप्त मौका दिया गया था। लिखित बयानों के अलावा, सदस्यों को व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर दिए गए, जिसका उन्होंने लाभ उठाया। मामलों का निर्णय तीन महीने की एक छोटी अवधि में किया गया था, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। हांलाकि, इस कानून के कुछ प्रावधान विसंगतियुक्त हैं, उदाहरण के लिये यदि कोई अपनी ही पार्टी के फैसले की सार्वजनिक आलोचना करता है तो यह माना जाता है कि संबंधित सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से दल छोड़ना चाहता है। यह प्रावधान पार्टियों को किसी स्थिति की मनमाफिक व्याख्या की सुविधा प्रदान करता है।

आदेश देते हुए श्री नायडू ने यह स्पष्ट किया कि असंतोष एक राजनैतिक अधिकार है, इसे पार्टी-आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के कामकाज की जड़ों पर बिना जल्दबाजी किये हुए उचित रूप से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। श्री नायडू का आदेश अयोग्यता के मामलों का निर्णय लेने में विलंब की बीमारी के संदर्भ के साथ समाप्त होता है। ऐसी याचिकाएं जो लोकतांत्रिक कार्य की जड़ों से जुड़ी होती हैं, चाहे किसी विशेष विधायक (विधायक) को विधानसभा में बैठने का हकदार से संबंधित हो या नहीं हो, इसे लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। इस तरह की सभी याचिकाएं लगभग तीन महीने के भीतर प्रेसीडिंग अधिकारियों द्वारा कानून के मुताबिक एक अवसर देकर संबंधित सदस्यों को, जिनके खिलाफ आरोप हैं, का निपटारा कर लिया जाना चाहिए।

यह उल्लेख करना यहां जरूरी है कि अध्यक्ष ने याद किया कि तत्कालीन कानून मंत्री ए.के. सेन ने 1985 में लोकसभा में बिल का संचालन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि पार्टी के प्रतिबोध को प्रभावी ढंग से गैरकानूनी घोषित किया जाता है तो हमें एक ऐसा मंच चुनना होगा जो इस मामले को निडर और शीघ्रता से हल करे।

विरोधी चरमपंथी विधेयक के इरादे पर विस्तार से बताते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में राज्यसभा में यह कहा था: हमने इस बिल में जो करने की कोशिश की है, उसे यथासंभव ब्लैक और वाइट बनाना है ताकि कोई ग्रे क्षेत्र का निर्माण न हो जहाँ कोई खुद से फैसला ले सके। निर्णय स्वचालित होना चाहिए, घटनाओं के एक अनुक्रम द्वारा समर्थित होनी चाहिए, जो रिकॉर्ड पर दर्ज हो, ताकि इसके बारे में कोई और बहस नहीं हो सके।

इसके अलावा, राज्य सभा के सदस्यों के नियम 7 (3) (नियमों के आधार पर अपात्रता) स्पष्ट करता है कि जिस सदस्य के खिलाफ याचिका की गई है, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अध्यक्ष को अपनी टिप्पणी को अग्रेषित करना होगा। याचिका के सात दिन का समय स्पष्ट रूप से याचिका के शीघ्र निपटान की आवश्यकता को इंगित करता है।

श्री नायडू के आदेश उन उदाहरणों के संदर्भ में महत्व देते हैं, जहां सदस्यों ने अपना पक्ष बदल दिया और दूसरी सरकारों में मंत्री बन गए, जिन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिर भी, ऐसी घटनाओं में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो दल बदल विरोधी कानून के उद्देश्य को ठेस पहुंचाता है। उम्मीद की जाती है कि राज्य विधान सभा के अध्यक्ष पद के अधिकारियों ने राज्य सभा के अध्यक्ष की सही भावना में सलाह ली होगी।

संबंधित तथ्य

क्या है दल-बदल कानून?

- राजनीति समाप्त करने के लिए दल-बदल कानून 8वें लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी सरकार ने 24 जनवरी, 1985 को 52वां संविधान संसोधन विधेयक के जरिए लोकसभा में पेश किया था। 30 जनवरी को लोकसभा और 31 जनवरी को राज्यसभा में विधेयक पारित राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दल-बदल अधिनियम अस्तित्व में आया।
- इसके जरिए अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में बदलाव किया गया। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दरसअल, 10वीं अनुसूची को ही दल-बदल कानून के तौर पर जाना जाता है। यह संसोधन 1 मार्च, 1985 से लागू हो गया था।

ऐसे जाएगी संसद या विधानसभा की सदस्यता:

- संसद या राज्य विधानमंडल सदस्यों की सदस्यता कैसे समाप्त हो, इसकी व्याख्या दल-बदल कानून में स्पष्ट रूप से की गई है।

1. कोई सदस्य सदन में पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करे या गैरहाजिर रहे तो सदस्यता जाएगी, लेकिन दल 15 दिन के भीतर सदस्य को माफ करे तो सदस्यता बची रहेगी।
2. यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें तो सदस्यता जाएगी।
3. कोई निर्दलीय चुनाव के बाद किसी दल में चला जाए तो सदस्यता जाएगी।
4. यदि मनोनीत सदस्य कोई दल ज्वाइन कर ले तो सदस्यता जाएगी।

अपवाद:

1. 52वें संविधान संसोधन अधिनियम के पेरा 3 में एक तिहाई का नया दल बनाने की अनुमति थी।
2. अधिनियम के पैरा 4 में दो या अधिक दल अपनी सदस्यता के दो तिहाई बहुमत से विलय का अधिकार
3. कोई सदस्य अध्यक्ष के पद पर चुनाव से पहले दलीय निष्पक्षता की दृष्टि से दल से इस्तीफा दे दें।

- हालांकि, दल-बदल अधिनियम आयाराम-गयाराम रोकने के लिए एक अच्छा कदम माना गया, लेकिन पैरा 3 और पैरा 4 ने मकसद को अधूरा छोड़ दिया, इसका नतीजा रहा कि 16-दिसंबर-2003 को संसद को 97वां संविधान संसोधन विधेयक पारित करना पड़ा।
- इस विधेयक में ना केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक दल-बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया। 97वें संसोधन के जरिए मंत्रीमंडल का आकार भी 15 फीसदी सीमित कर दिया गया। हालांकि, किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस संसोधन के द्वारा 10 अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें एक-तिहाई सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। अब दो-तिहाई से कम सदस्य अपना दल नहीं छोड़ सकते।

क्या है संविधान की दसवीं अनुसूची?

- भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
- यह 'दल-बदल क्या है' और दल-बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है।
- इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जन-प्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे।

दसवीं अनुसूची की जरूरत क्यों?

- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम् हैं और वे सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं।
- लेकिन आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी।
- विधायकों और सांसदों के जोड़-तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगीं। 1960-70 के दशक में 'आया राम गया राम' अवधारणा प्रचलित हो चली थी।
- जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी।
- अत: वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के जरिये दल-बदल विरोधी कानून लाया गया।

संभावित प्रश्न

दल-बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत किये जाने की जरूरत है, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो सके। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द)

Anti-defection law can play a very important role in ensuring discipline and good governance in the parliamentary system, but it needs to be refined so that the world's largest democracy can prove to be the best democracy. Critically analyze this statement. *(200 words)*

आपदा प्रबंधन की समस्या

साभार: द हिन्दू
(15 दिसंबर, 2017)

एम.जी. देवासहायम
(सेवा निवृत्त अधिकारी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (आपदा प्रबंधन) से संबंधित है।

यदि आपदा प्रबंधन कार्य योजना ठीक से लागू की गई होती तो अधिक से अधिक मछुआरों को बचाया जा सकता था।

आपदा एक ऐसी घटना है जो समाज के विकास में अत्यधिक व्यवधान का कारण बनती है। इससे बड़े पैमाने पर मानवीय, भौतिक और पर्यावरणीय रूप से हानि होती है, जो प्रभावित लोगों की क्षमता से परे हैं जिससे वे खुद से सामना नहीं कर सकते हैं। अधिकांश आपदाएं – बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन – प्रकृति के रोष के कारण होते हैं। जब कोई आपदा मृत्यु और विनाश का कारण बनती है, तो वह मानवीय सहनशक्ति से परे एक आपदा बन जाता है। यह तब हुआ जब ओखी चक्रवात ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले और केरल के कुछ हिस्सों को 29 नवंबर की रात और 30 की सुबह दस्तक दी।

तमिलनाडु और केरल में मछुआरों के संगठनों द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक 120 से अधिक मछुआरे इस घटना में मारे गए हैं और लगभग 900 से भी ज्यादा गायब हैं। मछुआरों ने बचाव अभियान में मदद करने के लिए समुद्र में गये। हालांकि, वे इनमें से कई शवों को वापस किनारे तक लाने में असमर्थ रहे। तमिलनाडु सरकार अब तक मौतों की संख्या के संबंध में इनकार मोड में कायम है।

चक्रवात ओखी ने कन्याकुमारी जिले में विनाश का बड़ा रास्ता खोल दिया है। अब यहाँ सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के जरिए तेजी से प्रतिक्रिया देने का इंतजार किया जा रहा है।

क्षति नियंत्रण में विफलता

सरकार की प्रतिक्रिया में तीन मूलभूत असफलताएं देखी जा सकती हैं: चक्रवात चेतावनी में हो रही देरी; चेतावनी जब तक दी गयी वह अप्रभावी साबित हुई, क्योंकि यह चेतावनी उन हजारों मछुआरों तक नहीं पहुंचाया जा सका जो पहले से ही समुद्र में मौजूद थे; और एक बार जब चक्रवात ने दस्तक दे दी, उसके बाद भी कोई युद्ध स्तर पर कार्रवाई नहीं की गयी, जो एक अच्छे आपदा प्रबंधन की पहचान नहीं है।

चक्रवात ओखी का तबाही 29 नवंबर को पहली बार समुद्र तट चेतावनी के 12 घंटों के भीतर शुरू हुआ था। इस तरह की स्थिति तमिलनाडु के अन्य भागों में मछुआरों को प्रभावित करती है, लेकिन कन्याकुमारी में नहीं, जहाँ पर भारत में मछुआरों का घनत्व उच्च हैं। पासशोर जल में मछली की सीमित मात्रा को देखते हुए, कई मछुआरों ने गहरे समुद्र और लंबी दूरी तक मछली पकड़ने में विविधता अपनाई है। यह देखते हुए कि उनकी मछली पकड़ने की यात्राएं कभी-कभी दस दिनों से एक महीने से अधिक समय तक चलती हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात पूर्वानुमान का समय व्यर्थ साबित होता है।

सरकार के स्वयं के अनुमान बताते हैं कि कन्याकुमारी और केरल के 3,677 मछुआरे समुद्र में खो गए हैं। 30 नवंबर को सुबह, कार्रवाई की योजनाएं शुरू होनी चाहिए और इसके लिए भारतीय तट रक्षको के साथ-साथ समुद्री जहाजों और हेलीकाप्टरों के माध्यम से आपातकालीन खोज और बचाव अभियान शुरू किया जाना चाहिए था। कोस्ट गार्ड के जहाजों को गांवों से कुछ मछुआरों के साथ नेविगेशन सहायक के रूप में लिया जाना चाहिए था (क्योंकि उन्हें पता था कि वे लापता लोग कहाँ जा सकते हैं) और उस क्षेत्र को तीव्रता से समेटना चाहिए था। अगर ऐसा हो गया होता, तो मछली पकड़ने वाली नौकाओं और सैकड़ों मछुआरों को कम समय के भीतर बचाया जा सकता था।

लेकिन विडंबना यह है कि इस प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ, सबसे खराब प्रभावित गांवों अर्थात नीरोड़ी, मार्थादममुरई, वल्लविल्लाई, ईरावीपुतेंथुरई, चिन्नतुरई, थुंघुर, पठुराई, एन्नमपुथथुथुराई के मछुआरों का कहना है कि उन्हें तटरक्षक बालों की बहुत कम सहायता प्राप्त हुई है। यहां तक कि जब तट रक्षक अनिच्छा से बोर्ड पर कुछ मछुआरों के साथ गये, तब बाद में उनका कहना था कि वे लगभग 60 समुद्री मील तक ही जा सकते हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्राधिकार से परे नहीं जा सकते हैं।

फिर भी, भारतीय नौसेना अपने विशाल जहाजों, विमान और राज्य के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को कन्याकुमारी में आने के लिए, समीक्षा करने के लिए और कुछ वादे किये जाने के लिए मजबूर किया गया। कुछ दिनों बाद, सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के समुद्र तटों पर उतरने वाले कई हजार मैकेनाइज्ड / मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नौकाओं और 3,000 से अधिक मछुआरों की बचाव की घोषणा की। जबकि, जहाँ एक तरफ तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना इस बचाव अभियान पर दावा करते हैं, वहीं मछली पकड़ने वाले समुदाय के नेताओं का कहना है कि इन सभी नौकाओं और मछुआरे अपने दम पर तट पर वापस आये थे।

अब यहाँ सवाल उठता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005), आपदा प्रबंधन (2009) पर राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और बुनियादी ढांचे को क्या हुआ है? क्या दिल्ली में आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष बिल्कुल भी काम नहीं करता? ग्रामीणों की माने तो उन्होंने ने अपने आँखों से मृतकों की संख्या को देखा है और यह संख्या 100 से कम नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह सरकार इस बात को खारिज करते हुए इस तथ्य को गलत बता रही है।

क्षतिपूर्ति की आवश्यकता

फसलों, केले, रबर, नारियल और वन वृक्षों के विनाश के कारण तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका के लिए चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया है। राहत और पुनर्वास एक महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है और राज्य सरकार अकेले ही चक्रवात के पीड़ितों को सभ्य क्षतिपूर्ति देने का भारी बोझ नहीं उठा सकती।

केंद्र और राज्य सरकार (कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग) और विभिन्न विभागों (रबड़ बोर्ड, नारियल बोर्ड, मसाले बोर्ड, आदि) के संयुक्त प्रयासों के साथ अन्य पहलों के लिए केंद्रीय राहत आयुक्त को आगे आना चाहिए, जो तुरंत जिला स्तर पर कार्य करे और यथार्थवादी आकलन करते हुए तुरंत उचित मुआवजा पीड़ितों को प्रदान करे।

संबंधित तथ्य

क्या है ओखी चक्रवात?

- यह एक शीतोष्ण चक्रवात नहीं, अपितु एक 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' है, जो नवंबर-दिसंबर में बंगाल की खाड़ी में लौटते मानसून के प्रभाव में उत्पन्न होता है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में इस चक्रवात की दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर होती है, जिस वजह से यह प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है।
- गौरतलब है कि इस चक्रवात की तीव्रता वर्ष 2015 में अरब सागर में आए 'मेघ चक्रवात' से भी अधिक है, जो कि इसे काफी शक्तिशाली और खतरनाक बनाता है। इसकी वजह से प्रमुख रूप से दक्षिण-पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय भारत सहित श्रीलंका के तटीय क्षेत्र प्रभावित हैं। चूँकि इंडोनेशिया विषुवत रेखीय क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ कोरियॉलिस बल का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। इस कारण इन क्षेत्रों में 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' का प्रभाव सीमित अथवा न के बराबर होता है।

क्यों रखा जाता है चक्रवातों का नाम?

- हरीकेन रिसर्च डिविजन के मुताबिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम पूर्वनुमानियों के बीच आसानी से बात हो सके, इसलिए दिया जाता है। आम जनता को इनके बारे में भविष्यवाणी और चेतावनियां समझ आएं इसलिए चक्रवातों का नाम देना जरूरी हो जाता है। उत्तरी हिंद महासागर में बने चक्रवातों का नाम भारतीय मौसम विभाग रखता है। उत्तरी हिंद महासागर में आए पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम साल 2004 में बांग्लादेश ने रखा था जिसे ओनिल कहा गया था।

कैसे शुरू हुई नाम रखने की परंपरा?

- ओखी तूफान का नाम बांग्लादेश का दिया हुआ है, जिसका बंगाली में मतलब आंख होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमिशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (ESCAP) ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम रखना साल 2000 में शुरू किया था। दुनियाभर के चक्रवातों का नाम 9 क्षेत्रों- उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी-उत्तर प्रशांत, मध्य-उत्तर प्रशांत, पश्चिमी-उत्तरी प्रशांत, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलियाई, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिण अटलांटिक द्वारा दिया जाता है।

सभी देश एक-एक कर रखते हैं नाम

- उत्तरी हिंद महासागर के आठ देशों, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मालदीव और ओमन ने मिलकर 8 नाम दिए हैं जो चक्रवातों की 64 नामों की सूची में शामिल है। मई में पूर्वोत्तर भारत में आए तूफान मोरा का नाम थाईलैंड ने रखा था। मोरा नाम का मतलब समुद्र का स्टार है और कीमती पत्थरों में से एक का नाम मोरा भी है। अगले चक्रवाती तूफान का नाम भारत रखेगा, जोकि अभी से तय कर लिया या है। अगले तूफान का नाम सागर होगा।

ज्यादा तबाही मचाई, तो लिस्टो से आउट

- इसमें भी एक नियम बनाया गया है। जिन तूफानों से भारी तबाही मची, मसलन कैटरीना, मिच और ट्रेसी जैसे नाम को लिस्ट से हटा दिया गया है, ताकि इन्हें दोहराया न जा सके, क्योंकि इनकी अलग पहचान बन चुकी है।

ऐसे बनते हैं चक्रवात

- समुद्री तूफान को चक्रवात कहते हैं। भूमध्य रेखा के नजदीकी अपेक्षाकृत गुनगुने समुद्र चक्रवातों के उद्गम स्थल माने जाते हैं। इसमें समुद्र के ऊपर की हवा सूर्य से ऊष्मा लेकर गर्म होती है और तेजी से ऊपर उठती है। अपने पीछे की ओर यह एक कम दवाब का क्षेत्र यानी लो प्रेशर रीजन का निर्माण करती । इस प्रक्रिया में यह वायु से नमी लेती चलती है। इससे घने बादल बनते हैं और तेज हवाएं चलती हैं।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

भारत की भौगोलिक अवस्थिति इसे चक्रवातों के प्रति संवेदनशील बनाती है। इसके पीछे उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें। साथ ही भारत के द्वारा इस प्राकृतिक आपदा से बचने हेतु उठाए गए कदमों की भी चर्चा करें। (200 शब्द)

The geographical location of India make it vulnerable to cyclones. Explain the causes responsible for it. Also discuss the several efforts made by India to save itself from this natural disaster. *(200 words)*

विश्व व्यापार संगठन में गतिरोध

साभार: द हिन्दू
(16 दिसंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

अमेरिका के अवरोध ने विकृत-विकासशील देशों को विभाजित कर दिया है।

विश्व व्यापार संगठन के 11वें द्वितीय द्विवार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन एक गतिरोध के साथ समाप्त हो गया, जिसने अन्य देशों को औद्योगिक और विकासशील लाइनों पर विभाजित कर छोड़ दिया है। जहाँ भारत आंशिक सफलता के परिणाम ढूंढ रहा है; हांलाकि इसके आक्रामक हितों में से इसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी रक्षात्मक रुचियां सुरक्षित हैं। हालांकि, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भोजन के सार्वजनिक संग्रहण करने के लिए स्थायी समाधान के आसपास एक सर्वसम्मति सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रयास को यू.एस. द्वारा बिगाड़ दिया गया, जिसके तहत देश अपनी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश की सब्सिडी के विकास के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। भारत की कृषि संबंधी मांगों को लेकर अमेरिका ने नकारात्मक भूमिका निभाई और खाद्य सुरक्षा की मांग को लेकर एक साझा स्तर पर पहुंचने से अमेरिका ने मना कर दिया और खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गया।

ई-कॉमर्स वार्ताओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए औद्योगिक देशों की विफलता और प्रतिबद्धताओं से सब्सिडी में कटौती के मुद्दे को कम से कम 2019 में अगली मंत्रिस्तरीय तक चर्चा नहीं होगी और इसे भारत के पक्ष में जोड़ कर देखा जा रहा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और बाकी के बीच में दरार स्पष्ट है। चार दिवसीय यह बैठक बिना किसी मंत्रिस्तरीय घोषणा या बिना किसी ठोस परिणाम के ही समाप्त हो गई। बस मत्स्य और ई-वाणिज्य के क्षेत्र में ही थोड़ी प्रगति हुई है क्योंकि इसके लिए कामकाजी कार्यक्रमों पर सहमति बनी है।

औद्योगिक देशों ने अपने एजेंडा को विकास से आगे बढ़ाने के लिए उत्सुकता दिखाई है, जो वर्ष 2001 में शुरू हुए दोहा राउंड का उल्लेख करते हैं। विकासशील देशों को दोहा राउंड के प्रतिबद्धताओं को पश्चिम के हित के विषय से पूरा करना होगा, जैसे कि ई-कॉमर्स और छोटे उद्यमों के लिए बाजार की पहुंच। अमेरिका ने कहा है कि वह विकास की अपनी समझ को स्पष्ट करना चाहता है और यह तर्क दिया कि सदस्य नियमों से छूट प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर रहे थे और कुछ सबसे अमीर देशों (संभवत: पूर्ण प्रति व्यक्ति जीडीपी पदों में) इस स्थिति का दावा कर रहे थे । उसने यूरोपीय संघ और जापान के साथ एक संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसका लक्ष्य मुख्यत: चीन में था, व्यापार-विकृत प्रथाओं जैसे कि अधिक-क्षमता और अनिवार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीतियां, जबकि भारत और चीन ने पश्चिमी देशों के व्यापार-विकृत कृषि सब्सिडी को खत्म करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। जी-33 समूह के सहयोग से उन्होंने खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर स्थायी समाधान के पक्ष में मजबूती से अपनी बात रखी। यह मामला दुनियाभर के 80 करोड़ लोगों की जीविका का अहम मुद्दा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों का खाद्य सब्सिडी बिल उनके द्वारा उत्पादित कुल खाद्यान्न के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

खाद्य उत्पादन का यह मूल्य निर्धारण 1986-88 की दरों पर तय होता है। भारत इस मूल्य निर्धारण की गणना के फार्मूला में संशोधन की मांग कर रहा है, ताकि सब्सिडी की इस सीमा की गणना संशोधित हो सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बहुपक्षीय मंचों और समझौतों के प्रति तिरस्कार, जिसे वह अमेरिका के लाभ के अवसरों के रूप में देखते है, ब्यूनस आयर्स में परिलक्षित होता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लिथिथेजर ने सम्मेलन के समापन से पहले ही चले गये, जिस स्थान को उनके यूरोपीय संघ के समकक्ष, सेसिलिया माल्मस्ट्रम ने असफल प्रयासों के साथ भरने की कोशिश की।

वास्तव में, श्री ट्रंप के कार्यालय आने के बाद ही, प्रशासन ने अमेरिका के विवाद समाधान के तंत्र का लगातार उपयोगकर्ता होने के बावजूद, विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय के न्यायाधीशों के पुनर्निर्माण को अवरुद्ध कर दिया था। भारत ने बिलकुल सही तर्क दिया कि इसकी जीडीपी बढ़ रही है, जबकि देश में सैकड़ों लाख लोग बिना खाद्य सुरक्षा के गरीबी में रहते हैं। हालांकि, भारत भुखमरी को समाप्त करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण विकसित कर सकता है और साथ ही यह स्पष्टीकरण प्राप्त करना बेहद जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा के लिए सब्सिडी प्रदान करने का उसका सार्वभौम अधिकार विश्व व्यापार संगठन द्वारा समझौता नहीं करता है। ब्यूनस आयर्स में यह स्पष्ट हुआ कि बहुपक्षीय मंचों पर महत्वपूर्ण व्यापारिक मुद्दों पर समर्थन के लिए भारत ट्रम्प प्रशासन पर भरोसा नहीं कर सकता है।

सम्मेलन के अंत में भारत द्वारा जारी बयान में कहा गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व व्यापार संगठन के मौजूदा लक्ष्यों एवं नियमों पर आधारित कृषि सुधारों को एक सदस्य राष्ट्र के विरोध करने से कोई परिणाम बाहर नहीं आ सका और न ही अगले दो साल के लिए कोई कार्ययोजना कार्यक्रम तैयार हो सका। इस सम्मेलन के परिणामों से रुष्ट विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो एजवेडो ने भी बातचीत की प्रगति को लेकर अपनी निराशा जाहिर की और सदस्य राष्ट्रों से अंतरात्मा का अवलोकन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय वार्ता में आप को वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जो संभव है।

संबंधित तथ्य

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- विश्व व्यापार संगठनश की स्थापना 1 जनवरी, 1995 की गई थी। विश्व व्यापार संगठन (WTO), अनेक देशों के बीच व्यापार के नियमों के सन्दर्भ में एक संगठन है, जोकि उनके मध्य के अनेक व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने में न केवल मदद करता है बल्कि व्यापारिक कार्यक्रमों के संदर्भ में अनेक गतिविधियों को अंजाम देता है। यह विश्व के देशों के बीच एक व्यापार के सन्दर्भ में वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- यह समझौतों के माध्यम से अपनी व्यापरिक गतिविधियों को सम्पादित करता है, जोकि इन्हीं देशों के सामूहिक हस्ताक्षर के द्वारा प्रकाश में आये हुए रहते हैं। इस संस्था में लागू किये जाने वाले कानून उन देशों की सांसदों में पारित किये हुए रहते हैं। इस संस्था का मूल उद्देश्य व्यवसायिक गतिविधियों को अंजाम देने। माल और सेवाओं के आयात करने, आयातकों और निर्यातकों को अनेक सुविधाएं देने आदि के सन्दर्भ में अनेक सुविधायें उपलब्ध कराता है।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

- विश्व व्यापार संगठन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है।
- यह विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचाल हेतु सुबिधाएं प्रदान करता है।
- व्यापार और प्रशुल्क से सम्बंधित किसी भी भावी मसाले पर सदस्यों के बीच विचार-विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता हैं।
- विवादों के निपटारे से सम्बंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करता है।
- वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व वैंक से सहयोग करता है।

विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता और मुख्यालय-

- विश्व व्यापार संगठन (अंग्रेजी: वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन (डब्ल्यू टी ओ)) विश्व की सबसे प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो विश्व व्यापार के लिये दिशा निर्देशों को जारी करती है और सदस्य देशों को जरुरत के मुताबिक घ्ण उपलब्ध कराती है। यह नए व्यापार समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। इस संगठन में 164 सदस्य देश शामिल हैं। चीन इसमें 2001 में शामिल हुआ था। डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी संस्था मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस) है। यह प्रत्येक दो वर्ष में अन्य कार्यों के साथ संस्था के महासचिव और मुख्य प्रबंधकर्ता का चुनाव करती है। साथ ही वह सामान्य परिषद (जनरल काउंसिल) का काम भी देखती है। सामान्य परिषद विभिन्न देशों के राजनयिकों से मिल कर बनती है जो प्रतिदिन के कामों को देखता है। डब्लयूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महानिदेशक राबर्ट एज्बेड़ो हैं। अब तक इसके छह मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस) हो चुके हैं।

क्या है कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार समझौता?

- दरअसल वर्ष 1994 से विश्व व्यापार समझौता कृषि क्षेत्र में लागू हुआ। यह समझौता कृषि क्षेत्र में निवेश और व्यापार के नियमों को वैश्विक स्तर पर संस्थाबद्ध किये जाने का प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उत्पाद एवं व्यापार का निजीकरण करना था।
- विश्व व्यापार संगठन का तर्क यह था कि यदि देश अपने सुरक्षित अन्न भंडार की सीमा कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं तो इससे विश्व व्यापार उस दिशा की ओर मुड़ जाएगा, जहाँ माँग अधिक होगी। किसानों को विनियमित बाजारों से लाभ होगा और उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। बाजार की स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के कारण उपभोक्ताओं को भी सस्ते मूल्य पर खाद्य सामग्रियाँ प्राप्त होंगी।

कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार समझौते का प्रभाव

- विश्व व्यापार समझौतों के तहत सरकारी खरीद तथा समर्थन मूल्य को कम कर दिये जाने से किसान बेबस और लाचार हो गए। दूसरी ओर विकसित राष्ट्रों ने तरह-तरह के बहाने बनाकर अपने किसानों को भारी सहायता जारी रखी। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि न तो सभी देशों की व्यावसायिक क्षमताएँ एक जैसी होती हैं, न उनके हित समान होते हैं, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शीर्ष संस्था विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी को लेकर अंतर्विरोध रह-रह कर सतह पर आ जाते हैं।
- विकसित देशों के किसानों की व्यक्तिगत उत्पादन लागत कम हुई और बाजारों में कम कीमत पर अपने उत्पादों को बेचकर भी वे मुनाफे में रहे, वहीं हमारे किसान अपनी अत्यधिक कृषि लागत और कम बाजार भाव के कारण ऋणग्रस्त होकर आत्महत्या करने को मजबूर हुए।

संभावित प्रश्न

हाल ही में सम्पन्न हुए विश्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बातचीत असफल रही है। इसकी अहम वजह अमेरिका का सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटना है। इस कथन के आलोक में भारत जैसे अन्य विकासशील देशों पर इस असफल बैठक का क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

Talks have failed in the recently concluded 11th Ministerial Conference of the World Trade Organization. The key reason for this is the withdrawl of America from its commitment to find a permanent solution to the issue of public food storage. In the light of this statement, discuss the impact of this unsuccessful meeting on other developing countries like India. ***(200 words)***

बिटकॉइन की समस्याओं से परे सोचना

साभार: लाइव मिंट (18 दिसंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

क्रिप्टो-करेंसी का भविष्य इस स्तर पर अनिश्चित है, इसलिए हमे ब्लॉकचेन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

हाल के कई महीनों से बिटकॉइन वित्तीय दुनिया की सुर्खियों में इस साल में अब तक 1,700% से अधिक की वापसी के साथ छाया हुआ हैं। बढ़ती कीमतें अधिक निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं, हालांकि कुछ विशेषज्ञ ब्याज की बढ़ती स्तर पर नजर टिकाये हुए हैं। लेकिन, यहाँ केवल यही एकमात्र समस्या नहीं है।

बिटकॉइन एक अनियमित क्रिप्टो-करेंसी है जो उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क द्वारा ब्लॉकचेन के रूप में जाने वाले एक खुले और वितरित बहीखाता के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। प्रत्येक लेनदेन नेटवर्क द्वारा सत्यापित किया जाता है। चूंकि यह एक वितरित बहीखाता है और कोई भी व्यक्ति या संगठन इसे नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए तकनीकी रूप से, इस प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दुनिया भर के लोग बिटकॉइन या अन्य ऐसे आभासी मुद्राओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कई कारण हैं।

कुछ लोग इस विचार को पसंद करते हैं कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की औपचारिक व्यवस्था के बिना इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन करना वास्तव में संभव है। संभावना है कि इस तरह के एक साधन की मांग समय के साथ बढ़ेगी जिससे कीमतें बढेंगी। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, कुछ लोग आर्थिक और राजनैतिक अस्थिरता के कारण घरेलू मुद्रा से अपनी बचत प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि, बड़ी संख्या में निवेशक सिर्फ बढ़त प्राप्त करने और त्वरित रिटर्न देने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। अनियमित क्रिप्टो-करेंसी की बढ़ती कीमतों में औपचारिक वित्तीय प्रणाली के लिए कई समस्याएं हो सकती हैं।

सबसे पहला, अगर बिटकॉइन और अन्य मुद्राओं की कीमतें इसी तरह काफी समय तक बढ़ती रहती है, तो तीव्र गिरावट देखने को मिल सकता है। कीमतों पर स्पष्ट रूप से अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि उन्हें वापस करने के लिए कोई अंतर्निहित संपत्ति मौजूद नहीं है। इसके अलावा बढ़ती कीमतें इस तरह की मुद्राओं को शुरू करने और उनमें निवेश करने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करती हैं। इससे औपचारिक वित्त के साथ आभासी मुद्राओं के संपर्क में वृद्धि होगी और यह बाजार में विकास वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करेगा। बिटकॉइन में वायदा कारोबार की शुरुआत इसे और अधिक मुख्यधारा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, भले ही इसके परिणाम अच्छी तरह से समझ नहीं आते हो।

दूसरा, यदि बिटकॉइन को अपनाने का अनुपात इसी तरह बढती रही, तो केंद्रीय बैंकों के लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। मूल्य कि स्थिरता के साथ अधिकतम वृद्धि हासिल करने के लिए एक केंद्रीय बैंक प्रणाली में पैसे की आपूर्ति और लागत का प्रबंधन करता है। लेकिन अनियमित क्रिप्टो-करेंसी की दुनिया में केंद्रीय बैंकों को आर्थिक गतिविधि के स्तर का प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है। बिटकॉइन, उदाहरण के लिए डिजाइन द्वारा अपस्फीति है। बड़े स्तर पर अपनाने से पूंजी नियंत्रण की गतिशीलता में विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव आ सकता है।

तीसरा, ऐसे उपकरणों के उपयोग में वृद्धि से वित्तीय मध्यस्थता, निवेश और विकास प्रभावित हो सकती है। इसलिए, नीति निर्माताओं के लिए अनियमित क्रिप्टो-करेंसी के उपयोग में संभावित वृद्धि और संभावित लाभों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि, जैसा कि आज चीजें खड़ी होती हैं, उतार-चढ़ाव का उच्च स्तर बिटकॉइन और अन्य ऐसे उपकरणों की सीमा को दर्शाता है। यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि व्यक्ति या फर्म एक मुद्रा में अनुबंध लिखने को तैयार हों, जिसका मूल्य 20-30% तक किसी भी दिशा में किसी भी समय बदलता है। लेकिन यह संभव है कि कुछ आभासी मुद्राएं समय के साथ अधिक स्थिर हो सकती हैं।

हालांकि बिटकॉइन के दृष्टिकोण इस स्तर पर काफी अनिश्चित हैं, हालांकि जिस तकनीक पर यह काम करता है वह काफी व्यापक अपील करता है और कई क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि हम पहले भी पढ़ते आये हैं कि ब्लॉकचेन में भारत जैसे देश में संपत्ति संबंधी मुकदमेबाजी समाप्त करने की क्षमता है। सरकार के पास एक अवरोधन हो सकता है जहां स्वामित्व और लेनदेन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसी तरह, अवरोधक सामाजिक क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में सरकारी खर्च अधिक कुशल बना सकता है, क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगा। लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जा रहा है। इससे वित्तीय संस्थानों की लागत और अन्य कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कम करने में मदद मिल सकती है।

जबकि ब्लॉकचेन लागत को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, यह सिस्टम में जोखिम प्रबंधन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। इस साल के शुरूआती भाषण में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने उदाहरण के तौर पर कहा था: यदि एक जोखिम भरा प्रबंधन, स्मार्ट अनुबंध और इसी तरह के उपकरण एक नेटवर्क में तैनात किए जाते हैं, तो तेज और कड़ी मेहनत के दायित्वों और नकदी प्रवाह एक नेटवर्क द्वारा विस्तृत हो सकता है। यह असंतुलन प्रशासनिक और मजबूत जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रचनात्मक संगठनात्मक विचार का निर्माण करेगा।

क्रिप्टो-करेंसी का भविष्य इस स्तर पर अनिश्चित है, क्योंकि यह संभवत: लेनदेन का निपटान करने के तरीके को रूपांतरित कर सकता है। नियामकों को इस क्षेत्र में विकास की बारीकी से अच्छी तरह से काम करना चाहिए, ताकि सिस्टम में गोद लेने के बढ़ने से वित्तीय स्थिरता के जोखिम से बचा जा सके।

संबंधित तथ्य

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्या है?

- ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो एक सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन -देनों का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करती है। लेन-देन के इस साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
- वास्तव में ब्लॉकचेन डाटा ब्लॉकों की एक श्रृंखला होती है तथा प्रत्येक ब्लॉक में लेन-देन का एक समूह समाविष्ट होता है। ये ब्लॉक एक-दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होते हैं तथा इन्हें कूट-लेखन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- इस तकनीक की एक प्रमुख विशेषता इसका विकेंद्रीकृत होना है जिसका अर्थ यह है कि लेन-देनों को पूरा करने के लिये इसमें किसी विश्वसनीय मध्यस्थ (जैसे- बैंक) की आवश्यकता नहीं होती।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम एवं सबसे बड़ा उदाहरण बिटकॉइन नेटवर्क है।
- यह तकनीक सुरक्षित है। इसे हैक करना मुश्किल है। साइबर अपराध और हैकिंग को रोकने के लिये यह तकनीक सुरक्षित मानी जा रही है।
- भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पायलट परियोजना के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। इसका इस्तेमाल आँकड़ों के सुरक्षित भंडार के रूप में किया जा सकता है।
- मास्टरकार्ड इसी तरह के एक नेटवर्क पर काम कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर वितरित वित्तीय नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लाभों को शामिल कर सकता है।

इसे कौन विनियमित करेगा?

- भारत में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति इसे विनियमित करने के लिये विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।
- इसे बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के भुगतान विनियामक बोर्ड के तहत लाने पर विचार किया जा रहा है। इस बोर्ड में केंद्रीय बैंक और केंद्र से प्रत्येक के तीन सदस्य होंगे।
- बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को रैनसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ सकता है। अत: इसका विनियमन बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है।
- **क्या है बिटक्वाइन?** बिटक्वाइन एक डिजिटल मुद्रा है, जो विनिमय को वैध बनाते हुए विनिमय करने वाले पक्षों की पहचान को उजागर नहीं करती। सरकारी अथवा निजी किसी भी संस्था के पास न तो इसका स्वामित्व है और न ही नियंत्रण है। एक बिटक्वाइन का मूल्य 60 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर होता है। हाल ही में इनका बाजार कैप $100 बिलियन को पार कर गया है। एक अप्रैल तक इनका बाजार कैप मात्र $25 बिलियन ही था। इस तरह यह पिछले साठ दिनों में तीन सौ फीसदी बढ़ा है।
- **क्रिप्टोकरेंसी की वैधता के संबंध में वर्तमान स्थिति:** "नॉन-फिएट" क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक समूह, क्रिप्टोकरेंसी को वैधानिक मान्यता देने के मसले पर गंभीरता से विचार कर रहा है। आरबीआई ने संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक को 'फिएट क्रिप्टोकरेंसी' से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह "नॉन-फिएट" क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटक्वॉइन को लेकर खासा चिंतित है।
- **फिएट क्रिप्टोकरेंसी' और 'नॉन-फिएट क्रिप्टोकरेंसी' में अंतर:** नॉन फिएट' क्रिप्टोकरेंसी उदाहरण के लिये बिटक्वॉइन, एक निजी क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि 'फिएट क्रिप्टोकरेंसी' एक डिजिटल मुद्रा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
- **भारत में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता:** आरबीआई समय-समय पर बिटक्वॉइन के संभावित खतरों के प्रति आगाह करता आया है। हालाँकि, असली तस्वीर तब सामने आएगी जब आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगी, जिसे भौतिक मुद्रा के तौर पर संचित करने के बजाय साइबर स्पेस में रखा जा सकता है। जहाँ तक 'नॉन फिएट' क्रिप्टोकरेंसी का सवाल है तो आरबीआई इसे लेकर सहज नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी तक अपनी किसी योजना का खुलासा नहीं किया है।
- **भारत में बिटकॉइन की खरीद की प्रक्रिया:** वर्तमान में चार बिटकॉइन एक्सचेंज प्रभाव में है- जेबपे (zebpay), यूनोकॉइन (unocoin), BTCX इंडिया तथा कॉइनसिक्योर (coinsecure)। इन चार एक्सचेंजों में ही उद्यम पूंजी (venture capital) तथा निजी शेयर पूंजी (private equity capital) का धन के रूप में निवेश किया जा रहा है।
- **बिटकॉइन की पूर्ति का स्रोत:** भारत में अधिकतर बिटकॉइन मुद्रा का प्रसार चीन से होता है, जिसका प्रसार क्षेत्र बहुत बड़ा होने के साथ-साथ प्रभावी भी है। कुछ समय पहले यूनोकॉइन एक्सचेंज ने प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत भेजी जाने वाली धनराशि (remittances) को बिटकॉइन के रूप में भेजने के लिये नई व्यवस्था भी प्रदान की है।
- **बिटकॉइन का संग्रहण:** देश के सभी एक्सचेंज बिटकॉइन खरीदारों द्वारा अपनी मुद्रा को संचित करने के लिये बिटकॉइन वॉलेट्स (wallets) की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में देश में दो तरह की संग्रहण व्यवस्था कार्यरत है- ऑनलाइन संग्रहण के रूप में एवं वास्तविक संग्रहण के रूप में। ध्यातव्य है कि ये दोनों ही व्यवस्थाएँ नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
- **बिटकॉइन मुद्रा के विषय में भारतीय परिदृश्य:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि बिटकॉइन एक करेंसी अथवा मुद्रा नहीं है। हालाँकि, कुछ निजी शेयर कंपनियाँ बिटकॉइन के लेनदेन, व्यापार इत्यादि में निवेश कर रही हैं।
- **जोखिम एवं नियम:** बिटकॉइन के विषय में सबसे बड़ी समस्या इसका ऑनलाइन होना हैं, क्योंकि सम्पूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण इसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। दरअसल, इसके चलते इसके हैक होने का खतरा बना रहता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसके नियंत्रण एवं प्रबन्धन की है। भारत जैसे कई देशों ने अभी तक इसे मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की हैं, ऐसे में इसका प्रबन्धन एक बड़ी समस्या है। विशेषज्ञों के अनुसार, इंटरनेट के आविष्कार के बाद तकनीकी रूप से यह 21वीं सदी की दूसरी सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज है। हालाँकि, बहुत से आर्थिक विशेषज्ञों ने इससे दूरी बनाए रखने यानी बिटकॉइन के अंतर्गत निवेश न करने की सलाह भी दी है।

संभावित प्रश्न

बिटकॉइन क्या है? भारत के सन्दर्भ में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए बताएं कि क्या ब्लॉकचेन का उपयोग लागत को कम करने और दक्षता में वृद्धि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? (200 शब्द)

What is bitcoin? Explaining its relevance in the context of India, explain whether blockchain be used to reduce costs and increase efficiency? ***(200 words)***

एक सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए

साभार: द हिन्दू (19 दिसंबर, 2017) **सुबी चतुर्वेदी** (सं.रा. इंटरनेट गवर्नेंस फोरम- मल्टी स्टेकहोल्डर सलाहकार समूह की पूर्व सदस्य)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

भारत सरकार को अपने प्रत्येक नीति और योजना में साइबर सुरक्षा को एकीकृत करना चाहिए।

डिजिटल और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है, जो दुनिया के आउटसोर्सिंग बाजार में 50% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। आधार, MyGov, सरकारी ई-मार्केट, डिजीलॉकर, भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे अग्रणी और प्रौद्योगिकी-प्रेरित कार्यक्रम, तकनीकी क्षमता और परिवर्तन के प्रति भारत को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत पहले से ही दुनिया में प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है और इसके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 2020 तक 225 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

हालांकि, ये उपलब्धियां एक समस्या के साथ आती हैं अर्थात साइमनटेक द्वारा 2017 की इंटरनल सिक्यूरिटी थ्रेट रिपोर्ट के अनुसार, प्रौद्योगिकी में नवीनता, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और वाणिज्य और प्रशासन में बढ़ती हुई एकीकरण, दुनिया में साइबर सिक्योरिटी उल्लंघनों के मामले में दुनिया का पांचवां सबसे कमजोर देश बन गया है। भारतीय कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2017 तक देश में 27,482 साइबर सुरक्षा खतरों की सूचना मिली थी। चूंकि यह 2014 के आंकड़ों से 23% अधिक है, इसलिए यह आईसीटी क्षेत्र में तेजी से विकास और नवीनता के साथ मेल खाता है।

अच्छी खबर यह है कि भारत इसे अच्छी तरह जानता है। जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी की गई दूसरी वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसने साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रों की प्रतिबद्धता को मापा, पाया गया कि भारत 165 देशों में 23वें स्थान पर रहा।

हमलों के प्रकार: साइबर सिक्योरिटी हमलों में से, पिछले कुछ वर्षों में रैनसमवेयर के हमले सबसे आम हैं (रैनसमवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी व्यक्ति के डेटा को प्रकाशित करने या उसे ब्लॉक करने के लिए धमकी देता है जब तक कि फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है)। वाना क्राई और पेट्या के अलावा अन्य रैनसमवेयर हमलें अर्थात लॉकी, सर्बर, बोकबी, शार्करास, क्रिप्टएक्सएक्सएक्स और सैमसम विश्व स्तर पर काफी सुर्खियों में रहा है। इनमें से प्रत्येक प्रेरित नए हमलों की सफलता से फिरौती की मांग में भी वृद्धि हुई - सिमेंटेक के मुताबिक, 2016 में + 294 की राशि के औसत से औपनिवेशिक रूप से मांग की गई, जो 2016 में बढ़कर 1077 डॉलर हो गई थी।

भारत में, मई 2017 में फूड डिलीवरी ऐप, जोमेटो (Zomato) में डेटा की चोरी होने से करीब 17 मिलियन उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो गयी और डार्कनेट पर बिक्री के लिए डाल दी गयी। अंत में कंपनी को हैकरों से जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने के लिए बातचीत करना पड़ा था। इसी तरह, हैकर्स ने 57 मिलियन उबेर यात्रियों और ड्राइवरों का डेटा चुरा लिया। इन्हें भी अंत में डेटा को सार्वजनिक नहीं होने देने के लिए हैकरों को 100,000 डॉलर का भुगतान करना पड़ा था।

हालांकि, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा साइबर हमलों के लिए कमजोर पाया गया है, पिछले कुछ सालों में एंड्रॉइड डिवाइसेज पर शक्तिशाली क्रिप्टो-रैनमावेयर हमलों सहित कई एंड्रॉइड खतरों की सूचना मिली है। ये हमले मोबाइल फोन और ई-पैड तक सीमित नहीं हैं। एंड्रॉइड का उपयोग करने वाले टीवी सहित सभी डिवाइस भी संभावित रूप से कमजोर हैं। 2016 में, मैक उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले केरेंजर (KeRanger) नामक पहले ज्ञात रैनसमवेयर की भी सूचना मिली थी। साथ ही मिराई बोटनेट (Mirai botnet) मैलवेयर 2.5 लाख होम राउटर उपयोगकर्ताओं और अन्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को प्रभावित किया था। जावास्क्रिप्ट में कई वायरस, मैलवेयर और क्रिप्टोवार्म भी विकसित किए जा रहे हैं, जो हमलावरों को क्रॉस-प्लेटफॉर्म विकल्प प्रदान करता है।

कार्रवाई: ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की भारी संख्या और सस्ती पहुंच पर जारी प्रयासों को देखते हुए नीति और योजना के हर पहलू में साइबर सुरक्षा को एकीकृत किया जाना चाहिए। दिल्ली में 15वीं एशिया पैसिफिक कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मजबूत साइबर सुरक्षा नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सरकार साइबर सिक्योरिटी रिसर्च को निधि करने के लिए उत्सुक है। जहाँ सरकार ने यह घोषणा की है, कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में नवाचारों पर काम शुरू करने के लिए 5 करोड़ रूपए का निवेश करेगी।

हाल ही में साइबर स्पेस की ग्लोबल कांफ्रेंस के समापन पर सुषमा स्वराज ने कहा था कि पहला क्षेत्र है आधारभूत ढांचा, ताकि यह सुविधा हरेक नागरिक के पास उपलब्ध हो। दूसरा बिंदु है- सुशासन और इच्छानुसार सेवाएं मिलना। तीसरा क्षेत्र है- नागरिकों का डिजिटल एम्पावरमेंट करना। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में इतनी ताकत है कि वह भारत को विकासशील से एक विकसित ज्ञान अर्थव्यवस्था बना सकता है।

भारत को एक उचित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रता से एक उपयुक्त और अद्यतित साइबर सुरक्षा नीति तैयार करने, पर्याप्त बुनियादी ढांचा बनाने और उन सभी के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 2017 में साइबरस्पेस पर वैश्विक सम्मेलन में कहा कि अन्य सभी देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए और सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए कार्रवाई करने के लिए एक वैश्विक समर्थन की पुष्टि की जानी चाहिए, ताकि युद्ध के समय इंटरनेट के केंद्र पर हमला नहीं किया जा सके। यह इस तथ्य पर भी स्पष्ट रूप से जोर देता है कि पहले से कहीं ज्यादा इंटरनेट पर सुरक्षित, खुले और सार्वभौमिक नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रों के बीच कुछ उच्च स्तरीय सिफारिशों पर सहमत होने के लिए जिनेवा जैसी कन्वेंशन की आवश्यकता है।

संबंधित तथ्य

साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीएस), 2017

- इस कॉन्फ्रेंस का थीम साइबर फॉर ऑल था। यह सम्मेलन 23 नवंबर और 24, 2017 को नई दिल्ली में एरोसिटी में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

मुख्य तथ्य:

- भारत में इस कॉन्फ्रेंस का पहली बार आयोजन किया गया।
- इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी।
- जीसीसीएस का पहला सम्मेलन 2011 में लंदन में आयोजित किया गया था, दूसरा 2012 में बुडापेस्ट में, 2013 सियोल में तीसरा था नीदरलैंड के हेग में चौथी कॉन्फ्रेंस अप्रैल 2015 में हुई थी।
- यह साइबर स्पेस पर दुनिया के सबसे बड़े दो दिवसीय सम्मेलन में से एक है।
- सम्मेलन से पहले जीसीसीएस के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए भारत और विदेशों में कई रन-अप की योजनाएं बनाई गई।
- जीसीसीएस साइबर स्पेस में सहयोग को बढ़ावा देने, साइबर स्पेस में जिम्मेदार व्यवहार के लिए मानदंडों और साइबर क्षमता निर्माण को बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर इकट्ठा विचार-विमर्श किया गया
- जीसीसीएस 2017 साइबर विश्व में सामने आने वाले मुद्दों, अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए उद्योग और इसके एसोसिएशन, सिविल सोसायटी, अकादमी, सरकारों हेतु एक बेहतर मंच है और बेहतर डिजिटल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
- जीसीसीएस 2017 में साइबर सुरक्षा मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में से एक थी, खासकर जब केंद्र सरकार अलग-अलग क्षेत्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, ताकि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हो और प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।
- सम्मेलन वैश्विक विचारों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक आदर्श मंच साबित हुआ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच निकट सहयोग को बढ़ावा मिला।

रैनसमवेयर क्या है?

- यह एक प्रकार का मॉलवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस को ब्लॉक कर देता है और डेटा को चुरा लेता है। इसके बाद साइबर अपराधी आपके डेटा को वापस लौटाने के लिए फिरौती की मांग करते हैं। 'वाना क्राई' रैनसमवेयर विंडो पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला करता है। इसमें डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और डिस्क्रिप्ट करने के लिए बिटकॉइन की मांग की जाती है।

भारत के लिये चिंता का कारण

- इस प्रकार के हमलों से संग्रहित फिरौती का उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण में किया जा सकता है।
- ऐसे हमले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों एवं रक्षा संस्थानों के कंप्यूटरों को प्रभावित कर उनके महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- विमुद्रीकरण के पश्चात भारत में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन ऐसे हमले न केवल इन प्रयासों को विफल कर सकते हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया पहल को भी प्रभावित कर सकते हैं।

क्या है पेट्या रैनसमवेयर?

- पेट्या/नॉटपेट्या (Petya/Notpetya) रैनसमवेयर, एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर में फाइलों को लॉक कर देता है और उन फाइलों को अनलॉक करने के लिये उपयोगकर्त्ता से फिरौती की मांग करता है।
- वर्तमान साइबर हमला पेट्या रैनसमवेयर का एक रूपांतर माना जा रहा है, जो वर्ष 2016 से अस्तित्व में है।
- कैस्परस्काई, जो कि एक साइबर सुरक्षा प्रदाता है, के प्रारंभिक जाँच के अनुसार, वर्तमान साइबर हमला पेट्या रैनसमवेयर का एक रूपांतर नहीं है, बल्कि एक नया रैनसमवेयर है। वह इसे नॉटपेट्या कह रही है।
- पेट्या अथवा नॉटपेट्या रैनसमवेयर, वान्नाक्राई (WannaCry) वायरस के बाद दूसरा प्रमुख वैश्विक रैनसमवेयर है, जिसका प्रभाव इतना व्यापक है। गौरतलब हो कि वान्नाक्राई वायरस ने इस वर्ष मई महीने में विश्व के 200 देशों के 3,00,000 कंप्यूटरों को प्रभावित किया था।
- वान्नाक्राई रैनसमवेयर की तरह पेट्या भी अपने आप को प्रचारित करने के साधन के रूप में बाह्य ब्लू (एक्सटर्नल ब्लू) का उपयोग करता है।
- पेट्या रैनसमवेयर न केवल फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है, बल्कि यह सम्पूर्ण डिस्क को लॉक कर देता है, जिससे यह तब तक कार्य करना बंद कर देता है, जब तक इसे हटाया नहीं जाता। यह पूरी कार्य प्रणाली को बंद कर देता है एवं उसे चालू करने के लिये बिटक्वाइनों के रूप में 300 डॉलर फिरौती की माँग करता है।

डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत के निर्माण के लिये आवश्यक कदम

- अधिक कठोर साइबर नीति एवं विनियामक फ्रेमवर्क की स्थापना।
- भारत सरकार को डेटा की सुरक्षा के लिये सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं व्यवहार की मदद लेनी चाहिये।
- केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी संचालित किये जाने चाहिये।
- साइबर एवं डिजिटल अपराधों के मामले में समुचित एवं कठोर सजा के लिये उपयुक्त प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये।
- साइबर सुरक्षा से सर्बाधित देश की सबसे प्रमुख एजेंसी CERT-IN को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिये।
- सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किये जाने के बाद से कोई अन्य व्यवस्था मौजूद नहीं है।

संभावित प्रश्न

हाल फिलहाल की घटनाओं से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भारत को सुरक्षित, समावेशी और सुदृढ़ साइबर स्पेस का निर्माण करने के लिए क्या व्यापक कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। **(200 शब्द)**

As per the information received from the recent developments, cyber security concerns are increasing day by day in the whole world. In such a scenario, what comprehensive steps should be taken to create India's safe, inclusive and strong cyberspace? Discuss. ***(200 words)***

मानसिक हेल्थकेयर अधिनियम में व्याप्त कमियां

साभार: लाइव मिंट
(20 दिसंबर, 2017)

राजीव सातव
(महाराष्ट्र में हिंगोली से संसद सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सचिव)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

मानसिक हेल्थकेयर अधिनियम कई खामियों से ग्रस्त है, जो यूपीए-2 सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल विधेयक में शामिल था।

ऐसे कानून की आवश्यकता जो मानसिक बीमारी वाले लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है, भारत जैसे राष्ट्र के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2001 की इरवाडी मेंटल होम में लगी आग, जिसमें जंजीरग्रस्त मरीजों की मृत्यु हो गई थी, मानसिक रूप से विकलांगों की ओर हमारी उदासीनता का एक अनुस्मारक है। मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से सामने आती है जिसका अनुमान है कि 5 करोड़ भारतीय इस अवसाद से पीड़ित हैं।

मानसिक हेल्थकेयर अधिनियम, 2017 को वर्तमान सरकार द्वारा अधिनियमित करना मानसिक रूप से बीमारियों के अधिकारों की रक्षा करने और नागरिकों को मानसिक बीमारी के मामले में इलाज की विधि पर निर्णय लेने का एक प्रयास है, ताकि उनके साथ दुर्व्यवहार या उन्हें उपेक्षित न किया जा सके।

भारत ने अक्तूबर, 2007 में विकलांग लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन की पुष्टि की। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार (यूपीए -2) ने शुरू में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दायित्वों के अनुरूप कानून लाने के लिए अगस्त 2013 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक पेश किया था। लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेतृत्व में 16वीं लोकसभा ने अगस्त, 2016 में 134 संशोधन के साथ विधेयक को फिर से शुरू किया गया। संशोधनों ने मूल विधेयक के इरादे, संरचना और प्रावधानों के पूर्ण कायापलट का निर्माण किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भावना गायब थी। यूपीए -2 के विधेयक का ओवरहाल इस बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है कि इसके उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा या नहीं।

मार्च, 2017 में विधेयक को लोकसभा में चर्चा के दौरान, मैंने (लेखक) विधेयक के प्रावधानों को स्पष्ट करने और मजबूत करने के लिए परिभाषाओं में हुए बदलावों से संबंधित चार महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव रखा। दोनों सदनों द्वारा पुनः प्रस्तावित विधेयक को पारित किया गया; इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 के रूप में लागू हो गया।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत तैयार किए जाने वाले मसौदा के नियम और विनियम तैयार किए गए और सार्वजनिक जांच के लिए तैयार किए गए। प्रस्तावित नियमों पर हितधारकों और विशेषज्ञों से टिप्पणियों को प्राप्त करने की आवश्यकता कानून द्वारा अनिवार्य है, लेकिन उसे अपनाने और लागू करने के लिए मंत्रालय बाध्यकारी नहीं है।

विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों ने सार्वजनिक बहस शुरू की और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मसौदा नियमों और विनियमों में व्याप्त खामियों को उजागर किया। यहाँ लेखक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, जिन्हें मंत्रालय को मान लिया जाना चाहिए ताकि ऐसे कानून मानसिक रूप से विकलांगों के उचित इलाज के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर सकें पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले, इस अधिनियम ने मानसिक बीमारी को एक नैदानिक समस्या के रूप में मान्यता दी है जिसका इलाज केवल दवाओं और नैदानिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है।

मानसिक कल्याण की रोकथाम और बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मुद्दा उपेक्षित किया गया है। अनुसंधान से पता चलता है कि मानसिक बीमारी के मामलों में एक उन्नत चरण में चिकित्सा में हस्तक्षेप किये जाते हैं। बीमारी भी एक की सामाजिक सेटिंग का परिणाम है और प्रारंभिक उपचार योग्य मनोचिकित्सक, सलाहकारों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

इस चिंता को लोकसभा में ध्वजांकित किया गया था और सदन ने मनोचिकित्सा, सलाहकारों और मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की परिभाषा का विस्तार करने के लिए मंत्री से आग्रह किया था।

मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की वर्तमान परिभाषा नैदानिक मनोचिकित्सकों और पेशेवरों को आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी में स्नातकोत्तर उपाधि तक सीमित होती है अर्थात सभी नैदानिक पक्षों पर। हालांकि दवा के गैर-एलोपैथिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करना सराहनीय है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर क्यों मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों को बाहर रखा गया था।

प्रभारी मंत्री ने सदन में कहा कि परिभाषा का विस्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक मसौदा नियमों और विनियम इसका समाधान करने में विफल रहे हैं।

दूसरा, अधिनियम में एक अग्रिम चिकित्सीय निर्देश का प्रस्ताव शामिल है, जिसके माध्यम से व्यक्ति निर्देशित कर सकता है कि उन्हें कैसा इलाज चाहिए और कैसा इलाज नहीं चाहिए और उस सदस्य को नामांकित कर सकते हैं जो उनकी ओर से यह निर्णय ले सकता हैं, लेकिन यह इसे तैयार करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करने में असमर्थ साबित हुआ है।

2013 के मूल विधेयक में बताया गया है कि एक व्यक्ति अग्रिम निर्देश कैसे बना सकता है, जिसमें निदेशालय के आवेदन से पहले एक मानकीकृत प्रक्रिया के माध्यम से मानसिक योग्यता का पता लगाना और एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन भी शामिल है। इन धाराओं को अधिनियम से हटा दिया गया है और नियमों में उल्लेख नहीं मिल रहा है। अधिनियम उपलब्ध विकल्पों के पूर्ण सूची के लिए प्रदान करने में विफल रहता है, इसलिए बिना किसी समस्या के विषमता के निर्णय को व्यक्तिगत रूप से लिया जा सकता है।

तीसरा, अधिनियम समय-समय पर समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रदान करता है। न तो अधिनियम और न ही नियम समिति के संदर्भ के संविधान, प्रक्रिया और शर्तों को परिभाषित करते हैं। इस तरह के एक महत्वपूर्ण निकाय को अधिक पारदर्शी और सार्वजनिक जांच के अधीन होना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 एक महत्वपूर्ण कानून है जो एक प्रगतिशील राष्ट्र का संकेत है। मंत्रालय को उन हितधारकों को सुनना चाहिए जिन्होंने अंतिम रूप देने से पहले मसौदा नियमों और विनियमों पर प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की हैं।

कानून प्रभावी होगा यदि हितधारकों द्वारा उठाए गए अंतराल पर चर्चा और हल किया जाए। धीमी क्रियान्वयन अच्छे से अधिक नुकसान का कारण होगा।

संबंधित तथ्य

मेंटल हेल्थ केयर बिल

- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को सरकार द्वारा वित्त पोषित या वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार का उपयोग करने का अधिकार है। बिल मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए निःशुल्क उपचार का आश्वासन देता है कि अगर वे बेघर या गरीब हैं, भले ही उनके पास गरीबी-रेखा के नीचे का एक कार्ड न हो।
- स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने लोकसभा में कहा, यह बिल राज्य को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाने के लिए मजबूर करता है और यह व्यक्ति को शक्ति देता है, उन्होंने कहा कि बिल में सेवा उपयोगकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण है।
- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक उन देखभालकर्ताओं की भूमिका को स्वीकार करता है, जिन्हें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों या मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों के सदस्यों के नामित प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- आत्महत्या का खंडन करने वाली धाराओं में, बिल में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसे गंभीर तनाव होने के लिए अनुमान लगाया जाना चाहिए, और उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जे पी नड्डा ने कहा, आत्महत्या एक मानसिक बीमारी है, यह एक आपराधिक कृत्य नहीं होगा, यह दोषमुक्त होगा। यह गंभीर मानसिक तनाव के तहत किया जाता है।
- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक मानसिक रूप से बीमार लोगों को मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में गोपनीयता का अधिकार प्रदान करता है। व्यक्तियों से संबंधित फोटो या किसी भी अन्य जानकारी को मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति की सहमति के बिना मीडिया को नहीं छोड़ा जा सकता है।
- सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित करेगी और हर राज्य में एक मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित करेगी। मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों और मानसिक स्वास्थ्यकर्मियों सहित हर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों को इस प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना होगा।
- मानसिक बीमारी के साथ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अग्रिम निर्देशों का प्रबंधन करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक के तहत, प्रावधानों का उल्लंघन करने की सजा छह महीने तक जेल में या 10,000 रुपये या दोनों के लिए आकर्षित होगी। ऐसा दोबारा करने पर अपराधियों को दो साल तक जेल या 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस विधेयक के अनुसार, आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव की स्थिति में होने के कारण परेशान होता है और इसी के परिणामस्वरूप वह आत्महत्या करने का प्रयास करता है।
- ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आत्महत्या करने की कोशिश) की धारा 309 के तहत दंड देने के बजाय, जुर्माना (भले ही ज्यादातर मामलों में यह एक टोकन राशि की क्यों न हो) या एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है।
- स्पष्ट है कि यह विधेयक आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को सजा देने की बजाय उसकी देखभाल करने के विकल्प को अधिक प्राथमिकता देता है। वस्तुतः इसका उद्देश्य व्यक्ति को ऐसे किसी भी कृत्य को पुनः करने से रोकना है।
- नए विधेयक के अनुसार, सरकार द्वारा विशेष रूप से आत्महत्याओं एवं आत्महत्याओं के प्रयासों को कम करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत कुछ विशेष पहलों, नियमों एवं डिजाइनों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

धारा 309 की संवैधानिकता पर प्रश्न

- वर्ष 1985 में, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर.ए. जहागीरदार द्वारा चार ऐसे कारण प्रस्तुत किये गए जिनके परिणामस्वरूप आईपीसी की धारा 309 के संबंध में असंवैधानिकता का प्रश्न खड़ा हो गया।
- इन कारणों में सबसे पहला कारण यह था कि कोई भी व्यक्ति इस बात पर सहमत नहीं है कि आत्महत्या के मुद्दे पर किसका नियंत्रण होना चाहिये और कम आत्महत्या वाला प्रयास कौन सा होता है?
- दूसरा, आत्महत्या के मामलों में आपराधिक मनोवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है।
- तीसरा, अस्थायी पागलपन, जो आत्महत्या के प्रयास को बढ़ावा देता है, नरहत्या जैसे मामलों में एक वैध बचाव की स्थिति होती है और चौथा, व्यक्तियों को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने वाली मानसिक दशा को दंड की नहीं वरन् देखभाल की आवश्यकता होती है।

संभावित प्रश्न

आजादी के बाद से अब तक भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार का प्रयास करने हेतु कई नीतियों का क्रियान्वयन किया जा चुका है, इसके बावजूद अभी तक पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं हो सकी है। इस कथन के सन्दर्भ में मानसिक हेल्थकेयर अधिनियम में व्याप्त कमियों पर चर्चा करते हुए बताये कि सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने हेतु क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? (200 शब्द)

Since independence, so many policies have been implemented to try to improve health status by various governments in India, despite this, success has not yet been fully achieved. In relation to this statement, while discussing the deficiencies in the Mental Health Act, how can the government take necessary steps to overcome these shortcomings? *(200 words)*

भारतीय कानूनों की समीक्षा

साभार: द हिन्दू (21 दिसंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

भारत में कानूनों की समीक्षा करने और अप्रचलित कानूनों को बाहर करने के लिए एक स्थायी तंत्र की आवश्यकता है।

हाल ही में लोकसभा ने 245 पुराने एवं अप्रसांगिक कानूनों को निष्प्रभावी बनाने वाले निरसन और संशोधन विधेयक 2017 तथा निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी है। यदि कानून बनाना एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा कानूनों को उजागर करना एक समान कठिन काम है। इस तथ्य को ऐसे समझा जा सकता है कि तीन साल पहले तक उनकी प्रासंगिकता और उपयोगिता को खोने के बावजूद बहुत सारे अप्रचलित अधिनियम कानून की किताबों में कायम थे। लेकिन इसके बाद लगभग 1800 अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया गया। नवीनतम दौर में, 235 पुराने अधिनियम और 9 पूर्व स्वतंत्रता अध्यादेशों को निरस्त कर दिया गया है।

कानून के ये टुकड़े उस समय प्रासंगिक और आवश्यक हो सकते थे, जब वे पेश किए गए थे, लेकिन एक आवधिक समीक्षा के अभाव में वे सांविधिक कोष पर बोझ ही हैं। ये कानून प्राचीन इसलिए हो गये है, क्योंकि मुख्य रूप से जो सामाजिक, आर्थिक और कानूनी शर्तों की आवश्यकता जो आज है, उसकी तुलना में ये कानून उपयुक्त नहीं प्रतीत होती है; साथ ही ये स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र की प्रगति के अनुरूप नहीं हैं।

रद्द किए गए अधिनियमों में राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911, बंगाल आतंकवादी हिंसा दमन अनुपूरक अधिनियम, 1932 और निवारक निरोध अधिनियम-1950 शामिल है। देश में अभी भी आतंकवाद विरोधी कानून के साथ निवारक निरोध अधिनियम का एक समूह है। हालांकि इस तरह के कानून, कानून की पुस्तकों में ही रहते हैं और इसलिए ये विशेष अधिनियम अनावश्यक हैं। इसलिए ऐसे अप्रचलित अवधारणाओं और धारणाएं जो कानून बनाने के लिए आवश्यक हैं, उनकी जांच करना आवश्यक हो जाती है।

2014 की अंतरिम रिपोर्ट में अप्रचलित कानूनों पर चार ऐसी रिपोर्टों में से पहला, कानून आयोग ने नोट किया कि पैनल अधिनियमों की अतीत में अपनी कई रिपोर्टों में निरस्त की जाने वाले कानूनों की पहचान कर रहा है। इसके 96 वें और 148 वां रिपोर्टों ने इस तरह के कानूनों की एक अच्छी संख्या की सिफारिश की है। 1998 में, पी.सी. जैन आयोग ने कानून के एक बड़े निकाय को वापस लेने की सिफारिश की और यह भी कहा कि निष्कासन के बाद भी ऐसे 253 अधिनियमों की पहचान की गयी है जो बेवजह कानून की किताब पर कायम है।

यह अजीब है कि हावड़ा अपराध अधिनियम, 1857 हैकनी-कैरिज अधिनियम, 1897 और नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876, वर्तमान शताब्दी में प्रभावी रहे हैं। यह सुशासन के लिए एक स्वागत योग्य संकेत है कि वर्तमान सरकार कानून की किताब को तब्दील कर रही है। यह देखते हुए कि विधान राज्य विधानसभाओं में विशेष रूप से एक असरदार गतिविधि है, यह कानून के मौजूदा निकाय की समीक्षा करने और उनकी पहचान करने के लिए एक स्थायी कमीशन को स्थापित करने की सलाह देता है।

संबंधित तथ्य

क्या है निवारक निरोध?

- 'निवारक निरोध', राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिये हिरासत में ले सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' के तहत गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त 'गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण' का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' के तहत केवल चार आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है:
  1. राज्य की सुरक्षा।
  2. सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना।

3. आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रखरखाव तथा रक्षा।

4. विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा।

- निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद-19 तथा अनुच्छेद-21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ प्राप्त नहीं होंगी।

निरसन और संशोधन विधेयक, 2017

- लोकसभा ने आज 245 पुराने एवं अप्रसांगिक कानूनों को निष्प्रभावी बनाने वाले निरसन और संशोधन विधेयक 2017 तथा निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुराने एवं अप्रसांगिक कानून को समाप्त करने की यह जो पहल शुरू की गई है, वह स्वच्छता अभियान है। आजादी के 70 वर्ष बाद भी अंग्रेजों के जमाने के कानून अब भी मौजूद हैं। ये ऐसे कानून हैं जो आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए थे। हम उन्हें समाप्त करने की पहल कर रहे हैं।
- उन्होंने कहा कि देश में कानून बनाना संसद का काम है और कौन सा कानून चलेगा या नहीं चलेगा, वह भी संसद को तय करना है। हम इस अधिकार को आउटसोर्स नहीं कर सकते। हमने इस बारे में सभी पक्षों के साथ व्यापक चर्चा की है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से दोनों विधेयकों को पारित कर दिया।
- निरसन और संशोधन विधेयक, 2017 के तहत 104 पुराने कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक 2017 के तहत 131 पुराने एवं अप्रसांगिक कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
- निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक 2017 के माध्यम से 131 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें सरकारी मुद्रा अधिनियम, 1862, पश्चिमोत्तर प्रांत ग्राम और सड़क पुलिस अधिनियम 1873, नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876, राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911, बंगाल आतंकवादी हिंसा दमन अनुपूरक अधिनियम 1932 शामिल है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान 1200 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर चुकी है। इसके माध्यम से पुलिस अधिनियम 1888, फोर्ट विलियम अधिनियम 1881, हावड़ा अपराध अधिनियम 1857, सप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम 1942, युद्ध क्षति प्रतिकर बीमा अधिनियम 1943 जैसे अंग्रेजों के समय के पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
- विधेयक में शत्रु के साथ व्यापार (आपात विषयक उपबंधों का चालू रखना) अधिनियम 1947, कपास उपकर संशोधन अधिनियम 1956, दिल्ली किराएदार अस्थाई उपबंध अधिनियम 1956, विधान परिषद अधिनियम 1957, आपदा संकट माल बीमा अधिनियम 1962, खतरनाक मशीन विनियमन अधिनियम 1983 सीमा शुल्क संशोधन अधिनियम 1985 शामिल है।
- अंतिम बार 2004 में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में यह काम हुआ था जिसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में हर रोज एक ऐसे कानून को निष्प्रभावी बनाने की बात कही थी। सरकार ने दो सदस्यों की समिति बनाई और 1824 कानूनों को निष्प्रभावी करने की आवश्यकता लगी। प्रसाद ने बताया कि सरकार ने अब तक 1183 ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया है।
- विधेयक को चर्चा एवं पारित कराने के लिए प्रसाद ने इस संबंध में 1911 के एक ब्रिटिश कालीन कानून का उदाहरण दिया, जिसमें देशद्रोहियों के बैठक करने पर रोकथाम लगाने संबंधी प्रावधान था।

संभावित प्रश्न

हाल ही में मोदी सरकार ने पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करके एक नयी पहल शुरू की है। क्या आपके नजरिये से इन कानूनों को समाप्त करने से कानून व्यवस्था में सुधार संभव है? टिप्पणी कीजिये। (200 शब्द)

Recently, Modi Government has started a new initiative by abolishing the old and irrelevant laws. Is it possible to improve the law and order by eliminating these laws from your point of view? Comment. *(200 words)*

घोटाला या लोककथा? 2 जी मामले के फैसले पर

साभार: द हिन्दू (22 दिसंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में पिछले एक दशक से चर्चा में शामिल रहे 2 जी मामले में हुई रिहाई के बाद अब राजनीतिक भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के पहले मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक सांसद कनिमोड़ी समेत सभी आरोपी तीनों मामलों में बरी हो गए हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासनिक कानून के दृष्टिकोण से जो अवैध हो, वो जरूरी नहीं कि आपराधिक न्यायालय के नजरिए से भी एक अपराध हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में घोषित किया था कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन अवैध था और सत्ता द्वारा एक मनमाने ढंग से इस पर कार्यवाही की गयी थी। वर्ष 2008 के शुरूआती दिनों में ए. राजा के कार्यकाल के दौरान संचार मंत्री के रूप में कंपनियों को आवंटित सभी 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दोषी उन सभी लोगों के मुकदमे को अदालत के समक्ष सामूहिक रूप से पेश किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला था। 2जी घोटाला जैसे बहुचर्चित मामले पर गुरुवार को आया सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओ पी सैनी का फैसला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पूरा देश विभिन्न माध्यमों पर इस केस और इस पर आए फैसले पर अपनी राय दे रहा है।

प्रत्येक स्तर पर सीबीआई ने यह साबित करने की कोशिश की कि श्री राजा ने 'पहले आओ पहले पाओ' प्रणाली के पलट जाकर स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक वायरलेस के पक्ष में जाकर हेरफेर किया था और उनकी हिस्सेदारी बेचकर उन्हें अप्रत्याशित लाभ प्रदान करने में मदद की थी, जिसे विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने तत्काल रूप से खारिज कर दिया। नतीजा यह है कि द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जिसमें श्री राजा भी हैं और उनकी राष्ट्रीय सहयोगी, कांग्रेस, अंततः इस धारणा को हिचकिचाएगी कि वे भ्रष्टाचार के कारण अनिच्छा से घिरे थे।

कांग्रेस, विशेष रूप से अब यह दुहाई देने की स्थिति में है कि स्पेक्ट्रम आवंटन के परिणामस्वरूप शून्य हानि हुई है; यह भी कि, 2004 और 2014 के बीच उसका नियम घोटाला-दागी के रूप में नहीं था, क्योंकि यह आम तौर पर किया गया था। एक धारणा जिसके परिणामस्वरूप इसके चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित किया गया है। अब सारा ध्यान विनोद राय पर होगा, जिसकी सनसनीखेज रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में है, जिन्होंने स्पेक्ट्रम को 1.76 लाख करोड़ रुपये में नीलामी नहीं किये जाने के कारण बड़े नुकसान को दर्शाया है, जो एक बड़े घोटाले को दर्शाता है।

देखा जाये तो इस केस के सामने आने से देश की अर्थव्यवस्था को जो चोट लगी थी, उससे उबरने में उसे बरसों लग गए। टेलीकॉम सेक्टर की हालत खराब हो गई। सरकार ने नए सिरे से स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया और नतीजा यह हुआ कि आम उपभोक्ता के लिए सर्विस महंगी हो गई। कई लोगों ने तर्क दिया था कि यह आंकड़ा केवल काल्पनिक था। श्री राजा ने कहा कि प्रवेश शुल्क को संशोधित नहीं करने और स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करने से सस्ते टेलीफोनी सुनिश्चित किया गया, टेली घनत्व में वृद्धि हुई और इसने क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान दिया। यह निस्संदेह साबित हो चुका है, लेकिन लंबे समय से 2जी गाथा सभी के लिए एक सबक है: सार्वजनिक धारणा और ऑडिट रिपोर्ट आपराधिक परीक्षणों का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है; जांच एजेंसियों को मुकदमा चलाने का निर्णय लेने से पहले उपलब्ध सामग्री को ध्यान से रखना चाहिए।

सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को खत्म करना, न केवल चुनाव के दौरान आरोपों को छेड़ने के बारे में है, बल्कि मेहनती जांच और कुशल अभियोजन के बारे में भी है। अदालत द्वारा इस मामले पर कम ध्यान देनें के साथ इसने सीबीआई की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। भ्रष्टाचार से लड़ने की मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता पर बादल छाए हुए है। सीबीआई ने कहा है कि वह अभी भी खुद सही साबित करने के लिए फैसले पर फिर से अपील करेगा। ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के बारे में लोककथा भ्रष्टाचार की वास्तविक घटनाओं से भी बड़ा है। क्या यह 2 जी घोटाले के बारे में भी सच हो सकता है?

संबंधित तथ्य

क्या था पूरा मामला?

- 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के पहले मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक सांसद कनिमोड़ी समेत सभी आरोपी तीनों मामलों में बरी हो गए हैं। फैसला आते ही कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि सबूतों के अभाव में सभी अरोपियों को बरी किया गया है। फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में नाकाम रही है।

अदालत का फैसला

- वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि जज ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में नाकाम रही है, इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। सीबीआई ने अभी पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम फैसले की कॉपी

का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। इधर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट जाने का निर्णय लिया है।

- हालांकि ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। 2जी घोटाले में बरी किए गए सभी आरोपियों से 5 लाख का बेल बॉन्ड भराया गया है, ताकि उच्च अदालत में मामला गया तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। वैसे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन को मनमाना बताते हुए फरवरी, 2012 में सभी लाइसेंस रद कर दिए थे।

ऐसे बदल गया टेलीकॉम सेक्टर

- लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द कर दिए. अचानक कई कंपनियां इस सेक्टर से बाहर हो गई। स्वान, एस-टेल और लूप टेलीकॉम जैसी कंपनियां सेक्टर से बाहर हो गईं। कई और कंपनियों को सेक्टर में बने रहना भारी पड़ने लगा।
- इंडस्ट्री के दिग्गजों का कहना है कि इस वजह से टेलीकॉम कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। अब हालत यह है कि इस सेक्टर में बहुत ही कम कंपनियां बची हैं और जो बची भी हैं, उन पर कर्ज का भारी बोझ है।
- खबरों के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर में लगातार कर्मचारियों की छंटनी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक कुछ महीनों में करीब 1.5 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है।
- मतलब यह कि सीएजी की एक रिपोर्ट आने के बाद इस सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा और अब कोर्ट का फैसला आया है कि जिस 2जी स्कैम पर इतना हंगामा हुआ था उसमें कोई दोषी ही नहीं है।

क्या है 2जी घोटाला

- 2 जी घोटाला साल 2010 में प्रकाश में आया जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाए 'पहले आओ और पहले पाओ' की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें भारत के महालेखाकार और नियंत्रक के अनुसार सरकारी खजाने को एक लाख 76 हजार करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ था। आरोप था कि अगर लाइसेंस नीलामी के आधार पर होते तो खजाने को कम से कम एक लाख 76 हजार करोड़ रूपयों और प्राप्त हो सकते थे।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

हाल ही में अदालत ने अपने एक फैसले में 2 जी मामले के सभी आरोपी को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के सन्दर्भ में तर्क सहित टिपपणी करे कि क्या यह मामला राजनीतिक मकसद के लिए संस्थाओं के इस्तेमाल की जीती-जागती मिसाल है?

(200 शब्द)

Recently, the court acquitted all the accused in the 2G case in one of his decisions. In the context of the court's decision, please comment with logic whether this matter is a living example of the use of institutions for political purpose? ***(200 words)***

स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करना

साभार: इकनॉमिक टाइम्स (23 दिसंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य) से संबंधित है।

भारत में निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का उत्तरोत्तर विस्तार गौरव का विषय होने के साथ हताशा का भी मुद्दा है। निजी क्षेत्र के कई अस्पतालों ने हृदय रोग, कैंसर रोग, जटिल शल्य चिकित्सा और अंगों के प्रत्यारोपण जैसी विशेषज्ञ सेवाएं देने में कामयाबी हासिल की है। परिष्कृत निदान ने चिकित्सकीय इलाज को क्रांतिकारी रूप से बदल डाला है और विदेशों की तुलना में इस इलाज की लागत भी काफी कम है। इसके बावजूद आम धारणा यही है कि निजी अस्पताल अक्सर अनैतिक, लालची, इलाज को कारोबार मानने वाले और अस्पताल में भर्ती मरीज को अपने मुनाफे का जरिया मानते हैं। नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, मापदंड और कीमत को निर्धारित करने वाले नियमों का पूरी तरह अभाव है।

देखा जाए तो, भारत जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में अभी तक यह सवाल कायम है कि निजी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने के लिए क्या उपाय किये जाये? इस प्रश्न में दो धारणाएं हैं जो की अस्वस्थ हैं। पहला, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मिशन सभी के लिए स्वास्थ्य-सुलभ और सस्ता बनाना है, लेकिन यहाँ यह जानना आवश्यक है कि एक निजी अस्पताल पूरी लागत पर गुणवत्ता की देखभाल और एक प्रीमियम जो अस्पताल के मुनाफे को दर्शाता है और यह सरकार का काम है कि वह सस्ती देखभाल को सर्वव्यापी बनाए। दूसरी धारणा यह है कि अस्पतालों को अत्यधिक मुनाफा होता है लेकिन, वास्तविकता में, उनके ऑपरेटिंग मार्जिन आम तौर पर, अधिकांश उद्योगों की तुलना में कम है जो आम आदमी को सेवा प्रदान करता है। लेकिन इसका अभी भी यह अर्थ नहीं हुआ कि अस्पतालों के शुल्क को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास कई दीर्घकालिक उपाय मौजूद है।

एक सबसे महत्वपूर्ण सुधार अस्पताल के लिए देखभाल की लागत को बढ़ाना, उपभोग सामग्रियों के अत्यधिक उपयोग या अनावश्यक प्रक्रियाओं और जांच के माध्यम से प्रोत्साहन को दूर करना है। इसमें दो स्तर होंगे: संपूर्ण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य भुगतान को कम करे और प्री-पेड सेवा उपलब्ध कराएं। हांलाकि, इस तरह के सिस्टम को आगे बढ़ने में समय लगेगा। बीच में, सरकार अस्पतालों के लिए जमीन की लागत को कम करने के लिए काम कर सकती है, जो उनकी पूंजी लागत का सबसे बड़ा हिस्सा है।

असल चुनौती स्वास्थ्य नीति को जमीन पर उतारने की है। यह तभी कारगर हो पाएगी जब राज्य सरकारें इसे गंभीरता से लें। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य अपनी प्राथमिकता के आधार पर इसका बजट रखते हैं। जैसे, यूपी जैसा बड़ा राज्य सबसे कम खर्च हेल्थ पर ही करता है। जबकि गोवा, जहां की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी के 1 फीसदी से भी कम है, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति पांच गुना ज्यादा खर्च करता है। योजना आयोग के भंग होने के बाद राज्य सरकारों की भूमिका और बढ़ गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती हुई है और विकास मद का ज्यादा बड़ा हिस्सा राज्यों को हस्तांरित हुआ है। जाहिर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ राज्यों पर निर्भर करता है। अगर इस क्षेत्र में आमूल बदलाव करना है तो इसे समवर्ती सूची में लाने पर क्यों नहीं विचार किया जाता।

केंद्र सरकार 2010 में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट लेकर आई थी जिसमें सभी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, उनके मापदंडों, कार्यबल की योग्यताओं के नियमन का जिक्र था। लेकिन अभी तक एक भी राज्य ने अपने यहां स्वास्थ्य सेवाओं के नियमन के लिए निकाय बनाने की पहल नहीं की है। आधे से अधिक राज्यों में तो ऐसे नियम भी नहीं हैं जो निजी स्वास्थ्य केंद्रों को लाइसेंस लेने के लिए बाध्य करते हों। जिन राज्यों में दिल्ली नर्सिंग होम्स ऐक्ट 1953 जैसे कानून लागू भी हैं वहां पर इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर महज 100 रुपये का ही दंड लगाया जा सकता है। अस्पतालों को ऐसी दवाइयां और उपभोग सामग्रियों को खरीदने के लिए कहा जा सकता है जो थोक मूल्यों के जरिये कम कीमतों पर बातचीत करते हैं। किसी भी मामले में, इन कीमतों में बेंचमार्क सेट किये जाने चाहिय ताकि इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सके।

संबंधित तथ्य

भारत की स्वास्थ्य चिंताएँ

- भारत संक्रामक रोगों का पसंदीदा स्थल तो है, ही साथ में गैर-संक्रामक रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष लगभग 5.8 भारतीय हृदय और फेफड़े से संबंधित बीमारियों के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। प्रत्येक चार में से एक भारतीय हृदय संबंधी रोगों के कारण 70 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही मर जाता है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता का मुद्दा भी काफी गंभीर है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ज्यादा बदतर है। इसके अलावा बड़े निजी अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का घनघोर अभाव है। उन राज्यों में भी जहाँ समग्र औसत में सुधार देखा गया है, उनके अनेक जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थिति नाजुक बनी हुई है। निजी अस्पतालों की वजह से बड़े शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता संतोषजनक है, लेकिन चिंताजनक पहलू यह है कि इस तक केवल संपन्न तबके की पहुँच है।
- तीव्र और अनियोजित शहरीकरण के कारण शहरी निर्धन आबादी और विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों

की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। आबादी का यह हिस्सा सरकारी और निजी अस्पतालों के समीप रहने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को पर्याप्त रूप में नहीं प्राप्त कर पाता है। सरकारी घोषणाओं में तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत सभी चिकित्सा सेवाएँ सभी व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध है और इन सेवाओं का विस्तार भी काफी व्यापक है। हालाँकि, जमीनी सच्चाई यही है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधा आवश्यकताओं के विभिन्न आयामों को संबोधित करने में विफल रही है।

- महँगी होती चिकित्सा सुविधाओं के कारण, आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च में बेतहासा वृद्धि हुई है। एक अध्ययन के आधार पर आकलन किया गया है कि केवल इलाज पर खर्च के कारण ही प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग निर्धनता का शिकार हो रहे हैं। ऐसा इसलिये हो रहा है, क्योंकि कि समाज के जिस तबके को इन सेवाओं की आवश्यकता है, उसके लिये सरकार की ओर से पर्याप्त वित्तीय संरक्षण उपलब्ध नहीं है, और जो कुछ उपलब्ध हैं भी वह इनकी पहुँच से बाहर है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

- 15 मार्च, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017' को अनुमोदित किया था।
- इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है।
- इस नीति का लक्ष्य सभी विकास नीतियों में एक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल दिशा-निर्देश के माध्यम से सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना है।
- जिसके परिणामस्वरूप किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना बेहतरीन गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।
- नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
- इसके अलावा नीति में जिन प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है, वे निम्नलिखित हैं-
- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 70 वर्ष करना।
- वर्ष 2022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्याप्तता तथा इसके रुझान को मापने के लिए विकलांगता समायोजित आयु वर्ष (DALY) सूचकांक की नियमित निगरानी करना।
- वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR) को घटाकर 2.1 पर लाना।
- वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना तथा एमएमआर के वर्तमान स्तर को वर्ष 2020 तक घटाकर 100 करना।
- नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर एक अंक में लाना।
- वर्ष 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना जिसे एचआईवी/एड्स के लिए 90:90:90 के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
- अर्थात एचआईवी पीड़ित सभी 90% लोग अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में जानते हैं, सभी 90% एचआईवी संक्रमण से पीड़ित लोग स्थायी एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्सा प्राप्त करते हैं तथा एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले सभी 90% लोगों में वॉयरल रोकथाम होगा।
- वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, वर्ष 2017 तक कालाजार तथा वर्ष 2017 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को बनाए रखना।
- क्षयरोग के नए स्पुटम पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों में कमी लाना, ताकी वर्ष 2025 तक इसे समाप्त किया जा सके।
- वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को घटाकर 0.25/1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर एक-तिहाई करना।
- हृदयवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को वर्ष 2025 तक घटाकर 25% करना।
- नीति में गैर-संचारी रोगों की उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- नीति में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई है जिसमें क्रांस रेफरल, सह-स्थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियां शामिल हैं।
- इसके अलावा नीति में औषधियों और उपकरणों का सुलभता से विनिर्माण करने, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने तथा चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने की अपेक्षा की गई है।

संभावित प्रश्न

स्वास्थ्य सेवा लोगों की बुनियादी जरूरतों में शामिल है। लेकिन वर्तमान में भारत में निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का उत्तरोत्तर विस्तार गौरव का विषय होने के साथ हताशा का भी मुद्दा बन चुका है। इस कथन पर विचार करते हुए भारत की निजी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं में सुधार हेतु आवश्यक प्रयासों का वर्णन कीजिये। (200 शब्द)

Healthcare is one of the basic needs of the people. But progressively expanding private health care sector in India has become an issue of worry as well as being a matter of pride. Considering this statement, describe the efforts needed to improve India's personal health care system. ***(200 words)***

न्याय की कीमत (The Price of Justice)

साभार: इंडियन एक्सप्रेस
(25 दिसंबर, 2017)

सिद्धार्थ दवे
(अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

न्यायालयों में लंबित पड़े मामले को कम करने के लिए सरकार द्वारा न्यायपालिका में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र में, चुनी गई सरकार अक्सर एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका को संदेह के रूप में देखते हैं। कानून के भागों को काफी लोकलुभावन रंगों के साथ, लेकिन अक्सर वैध नहीं होते हैं, न्याय के तराजू से निष्पादित होते हैं। विचारधारा की परवाह किए बिना, राजनेता एक कमजोर और विनम्र न्यायपालिका की इच्छा रखते हैं जिससे ये चुनावों से पहले किए गए वादे को पूरा करने के रास्ते में नहीं आए। अक्सर, न्यायपालिका को दबा दिया जाता है। वर्ष 1930 के दशक में, अमेरिकी राष्ट्रपति एफडी. रूजवेल्ट ने धमकी दी थी कि जो अपनी विचारधारा के अनुरूप रहेंगे उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायालय को जजों के साथ पैक कर दिया जायेगा और आगे चल कर यह धमकी काम कर गयी। जिसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक रूप से हतोत्साहित कानूनों को बंद कर दिया। लेकिन ऐसे हिंसक विधियों का सहारा लेने के बावजूद कार्यकारी हर समय न्यायपालिका को जांच में रखने की कोशिश करता है।

2017-18 के लिए, केंद्रीय बजट में न्यायपालिका को 1,744 करोड़ रूपए आवंटित किए गए जो कुल बजट का लगभग 0.4 प्रतिशत है। इस परिप्रेक्ष्य में, उच्चतम गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) वाले 12 कंपनियों में से प्रत्येक के पास न्यायपालिका के बजट से कम से कम आठ से 10 गुना अधिक कर्ज होता है। मार्च 31, 2017 तक 10,333 करोड़ रुपये का सकल कर्ज के साथ मोनेट इस्पात की नेट वर्थ -1602 करोड़ रुपये है।

यह मुख्य रूप से एक मितव्ययी सरकार के कारण है जिसके कारण कई मामले अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं। निर्बल जनशक्ति और ढहते हुए बुनियादी ढांचा, मुकदमेबाजी में तेजी के साथ, न्यायपालिका को कमजोर कर दिया है। नतीजतन, कोर्ट लंबित मामलों के तहत दफन हो कर रह गये हैं। नए कानून न्यायिक अधिकारियों या अदालतों में उचित वृद्धि के बिना संसद द्वारा अधिनियमित किए गए थे। उदाहरण के लिए, 1988 में चेक के अपमान को आपराधिक अपमान बना दिया गया था। पूरे भारत में मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे 38 लाख मामले लंबित पड़े हुए हैं, जिसके कारण अन्य मामलों से जनशक्ति गायब हो गयी और लंबित पड़े मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हो गयी। वर्त्तमान में सभी अदालतों में 3.4 करोड़ मामले लंबित हैं।

राजनीतिज्ञ अक्सर न्यायपालिका की आलोचना करने के लिए सांख्यिकी का उपयोग करते हैं; उनका कहना हैं कि यह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और इसलिए इसकी दक्षता में सुधार करना चाहिए। अप्रैल, 2017 तक उच्च न्यायालयों में 430 न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायधीश के पद रिक्त थे और जिला स्तर और इससे निचले स्तर (अवर स्तर) पर 5000 पद खाली थे। जब रिक्तियों को भरने के लिए सुझाव मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए जाते हैं, तो सरकार की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह यही रहती है कि उनके पास इसके लिए पैसा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि रिक्त पदों को भरे बिना लंबित पड़े मामलों की संख्या को कैसे कम किया जा सकता है?

जो भी न्यायपालिका की आलोचना करते हैं वे केवल दो चीजों को पर ध्यान केन्द्रित करते है: बुनियादी ढांचे के ढहने और न्यायाधीशों द्वारा पेश किए गए मामलों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट में, प्रत्येक न्यायाधीश को सोमवार और शुक्रवार को 60 से अधिक मामलों को पढ़ने का काम सौंपा जाता है, यानि दो दिनों में कम से कम 120 मामले। दूसरे दिन, न्यायाधीशों को शायद कम मामलों को पढ़ना पड़े, लेकिन लंबे समय तक तर्क सुनना पड़ सकता है। एक नौकरशाह या राजनीतिज्ञ के विपरीत, जिसका काम मुख्य रूप से अधिकारियों की एक सेना के माध्यम से सरकारी नीति को मंजूरी या कार्यान्वित करना है, न्यायिक निर्णय एक जटिल और लम्बी अवधि वाली प्रक्रिया है। यह सीधे व्यक्तियों के अधिकारों और आजीविका को प्रभावित करता है, जो बदले में तथ्यों, कानूनी मिसाल और दोनों पक्षों के वकीलों के तर्कों पर सुनवाई की मांग करता है।

भारत में 1.7 अरब लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट में 31 और उच्च न्यायालय में 1,079 न्यायाधीश है। बाद में कभी भी 600 से अधिक न्यायाधीशों को किसी भी बिंदु पर नियुक्त नहीं किया गया है। यहां तक कि अगर सरकार इसकी संख्या में वृद्धि नहीं करना चाहती, तो उन रिक्तियों को भरना चाहिए जिन पर वह सुप्रीम कोर्ट के साथ तकरार रहता है। इसे अदालतों में दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या में कटौती करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मामले की अधिकतम संख्या दर्ज की है। यह सरकार के लिए भी समझदारी होगी कि जब भी कानून, (मुख्य रूप से आर्थिक और आपराधिक) जो नए प्रकार के विवाद का निर्माण करता है, को प्रस्तावित किया जाता है, उदाहरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इस तरह के मामलों से निपटने के लिए नई अदालतों की स्थापना और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मामलों को पहले आपराधिक अदालत फिर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए सरकार को मामलों की संख्या में इस तरह के उछाल का अनुमान लगाने और न्यायपालिका के बजट में आनुपातिक रूप से वृद्धि करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की तुलना में निचली और जिला अदालतों की हालत ज्यादा खराब है। मुकदमों की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन यहां न तो पक्षकार सुरक्षित हैं और न ही उनके मुकदमों से जुड़े दस्तावेज। जाली दस्तावेज और गवाहों के आधार पर किस तरह यहां मुकदमे दायर होते हैं, यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है। ज्यादातर दीवानी मामलों में जमीनों का गलत लगान निर्धारण, दखल-कब्जा घोषित आदि कई ऐसे प्रसंग हैं, जो न केवल विवाद को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उसकी परिणति में सामूहिक हत्याएं भी

होती हैं। मध्य बिहार में हुए ज्यादातर नरसंहारों की मूल वजह भूमि विवाद ही रही है। जमीन-विवाद के कारण देश में हर साल हजारों लोगों की हत्याएं होती हैं। दीवानी मुकदमों का आलम यह है कि आखिरी फैसला आने तक कितनो की मृत्यु तक हो जाती है और मामला दीवानी के साथ-साथ फौजदारी में भी तब्दील हो जाता है।

यहाँ एक कारण था कि क्यों बड़े पैमाने पर अदालतों का निर्माण हुआ। बड़ी इमारतें अचरज का निर्माण करती है और न्याय के लिए आए लोगों के मन में उस स्थान के लिए सम्मान की भावना को बढाती है। आज, निचली अदालतें (दिल्ली को छोड़कर) बस स्टैंड से भी बदतर स्थिति में हैं। बुनियादी ढांचे की कमी के चलते उच्च न्यायालयों में भी फूट पड़ी हुई है। किसी भी स्तर पर न्यायाधीशों को दिया जाने वाला वेतन कम ही है। फिर भी न्यायाधीश बिना किसी लालच, परिश्रम से काम करते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाये और न्यायपालिका को पर्याप्त वृद्धि प्रदान करे।

संबंधित तथ्य

न्यायिक समीक्षा

विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों के व्यापक अधिकार क्षेत्र के साथ भारत की एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायिक समीक्षा को सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसे आम तौर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की बुनियादी संरचना के रूप में जाना जाता है (इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला)।

विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अर्थ वह शक्ति है जो विधायिका द्वारा पारित कानून को संविधान में निहित प्रावधानों और विशेषकर संविधान के भाग 3 (पढ़ने का सिद्धांत) के अनुसार सुनिश्चित करती है। निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के मामले में, उदाहरण के लिए जब एक कानून को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि इसे बगैर किसी प्राधिकरण या अधिकार से विधायिका द्वारा पारित किया गया है, विधायिका द्वारा पारित किया गया कानून वैध है या नहीं, इसके बारे में फैसला लेने का अधिकार अदालत के पास होता है। इसके अलावा हमारे देश में किसी भी विधायिका के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वे अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय की अवज्ञा या उपेक्षा कर सकें।

अदालतों के पास न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्तियां हैं, इन शक्तियों का बड़ी सावधानी और नियंत्रण के साथ प्रयोग किया जाता है। इन शक्तियों की निम्न सीमाएं हैं:

- इसके पास केवल निर्णय तक पहुँचने में प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया है कि नहीं, तक ही अनुमति होती है लेकिन स्वयं निर्णय लेने की अनुमति नहीं होती है।
- इसे केवल हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसी अदालतों को सौंपा जाता है।
- जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो तब तक नीतिगत मामलों और राजनीतिक सवालों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- एक बार कानून के पारित होने पर यह स्थिति बदलने के साथ असंवैधानिक हो सकता है, यह शायद कानून प्रणाली में खालीपन पैदा कर सकती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अदालत द्वारा दिए गये निर्देश तभी बाध्यकारी होगें जब तक कानून अधिनियमित नहीं हो जाते हैं, अर्थात् यह प्राकृतिक रूप से अस्थायी है।

न्यायिक सक्रियता

इसे न्यायिक निर्णय लेने के एक ऐसे दर्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां न्यायाधीश संविधानवाद की बजाय सार्वजनिक नीति के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करते हैं। भारत में सक्रियता से कुछ मामलों इस प्रकार हैं:

- गोलकनाथ मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की थी कि भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता है।
- केशवानंद भारती मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत पेश किया, यानी संसद के पास संविधान के मूल ढांचे में फेरबदल किए बिना संशोधन करने की शक्ति है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2 जी घोटाले की सीबीआई जांच में एक पर्यवेक्षी भूमिका निभायी है।
- हसन अली खान के खिलाफ आतंकी कानूनों को लागू करने में।

इसके अलावा, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को भी कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। सबसे पहले, अक्सर यह कहा जाता है कि सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका अक्सर व्यक्तिगत राय का पुनर्लेखन करती है। दूसरा, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पराभूत होना है। हालांकि, इसके महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह पीड़ित व्यक्तियों के लिए आशा की एक जगह वाली संस्था है।

समीक्षा और सक्रियता के बीच केवल अलगाव की एक पतली रेखा है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ कानून/अधिनियम के संविधान के अनुरूप होने के बारे में निर्णय करना है। वहीं दूसरी ओर न्यायिक सक्रियता का संबंध न्यायाधीश की एक व्यवहारिक अवधारणा से है। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक हित, मामलों के शीघ्र निपटान आदि पर आधारित है।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ, अदालतें मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भारत के बुनियादी संविधान के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संभावित प्रश्न

भारत में न्यायालयों के विभिन्न स्तरों पर लाखों मामले लंबित पड़े हैं एवं उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाना अपेक्षित है? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

In India, millions of cases are pending at various levels of courts and their number is increasing steadily. What is the expected steps taken by the government to diagnose this problem? Discuss. (200 words)

विश्व व्यापार संगठन का विकास एवं अवनति

साभार: द हिन्दू
(26 दिसंबर, 2017)

सी. राममनोहर रेड्डी
(डेमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक मनी के लेखक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

जैसा कि यू.एस. व्यापार में बहुपक्षीयवाद में रुचि खो चुका है, तो अब भारत को सक्रिय रूप से संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का निर्माण होने के 25 सालों से कम समय में, बहुपक्षीय व्यापार नियमों की देखरेख के रूप में इसका भविष्य अब संदेह में लगता है। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में मंत्रिस्तरीय बैठक की विफलता केवल इसके महत्व में गिरावट को दर्शाता है।

अधिक महत्वाकांक्षी?

जब वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का निर्माण टैरिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) पर जनरल एग्रीमेंट के स्थान पर हुआ था, तो इसने विश्व व्यापार के समक्ष कई नियमों को पेश किया था। उन देशों को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया, जो इन नियमों का उल्लंघन करते थे। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के इतिहास में क्या असामान्य विकास होना चाहिए, डब्ल्यूटीओ पर इसकी असाधारण महत्वाकांक्षाओं का वजन डाल दिया गया। परिणामस्वरूप, 2000 के दशक के उत्तरार्ध से संगठन बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के सफल संचालन की निगरानी के अपने मूल कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहा है, जिसके कारण विकास एवं अवनति जल्दी-जल्दी देखी जा सकती है।

वर्ष 1990 के दशक के शुरूआत में वैश्विक निगमों ने प्रमुख व्यापारिक शक्तियों अर्थात यू.एस., यूरोपीय संघ (ईयू), जापान और कनाडा को एक जीएटीटी समझौते के लिए आगे बढाया जिससे विदेशी बाजारों में उनके उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। वे 1994 के मराकेश समझौते के साथ सफल रहे जो एक शानदार सौदा माना जाता था। यू.एस. और ईयू के कृषि सहायक, कृषि को जीएटीटी नियमों के अंतर्गत लाने के लिए सहमत हुए। बदले में, विकासशील देशों को विनिर्माण पर आयात शुल्क घटाना पड़ा, सेवाओं के लिए अपने बाजार खोलने पड़े और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सख्त सुरक्षा के लिए सहमति से सामने आना पड़ा। मराकेश समझौते ने व्यापार विवाद पर फैसला करने के लिए नए विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) का भी निर्माण किया। यह सब नई विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रबंधित होंगे।

डीएसबी के तहत एक विश्व व्यापार संगठन के पैनल का निर्णय केवल एक नकारात्मक सहमति (यानी मौजूद सभी सदस्यों-देश शासन को समाप्त कर दे) द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता था। शिकायत करने वाले देश के पक्ष में एक अंतिम फैसले से दूसरे देश पर दंड लगाने का अधिकार होता है। और आरोप-प्रत्यारोप के सिद्धांत के तहत, ये दंड अधिकृत होने पर उस क्षेत्र के निर्यात पर लगाया जा सकता है, जहां विवाद स्थित था। इससे छोटे देशों को नुकसान पहुंचा था और बड़े देशों को लाभ होता था।

निर्णयों को लागू करने के लिए डीएसबी की नई क्षमता का लाभ उठाना बहुत अच्छा है। 1990 के दशक में थोड़े समय के लिए, विश्व व्यापार संगठन को सिर्फ सुपर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरह देखा जाता था, जिसकी प्रमुख शक्तियां चाहते थे। अगर सभी व्यापार और गैर-व्यापारिक मुद्दों को एक निकाय के तहत लाया जा सकता है जिसमें प्रवर्तन के लिए जरूरी अधिकार शामिल हो, तो फिर किसी भी देश के लिए छिपने की कोई जगह नहीं होगी। विश्व व्यापार संगठन के तहत कई नए गैर-व्यापारिक मुद्दों को लाने का दबाव था। अगर अमेरिका की श्रम और पर्यावरण मानकों की आवश्यकता शामिल थी, तो यूरोपीय संघ विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा और सरकारी खरीद चाहता था।

विकासशील देश, जिन्होंने महसूस किया था कि वे मराकेश समझौते में शामिल थे, वर्ष 1990 के दशक के अंत से विश्व व्यापार संगठन में अधिक सक्रिय थे। सामरिक गठजोड़ के संयोजन और बस हां कहते हुए इनकार करने के माध्यम से वे कुछ युद्ध जीतने लगे।

चीनी कारक

2001 में डब्ल्यूटीओ में चीन के आगमन ने भी तस्वीर बदल दी। चीन ने अपने नए अधिगृहित सबसे पसंदीदा राष्ट्र स्थिति का इस्तेमाल पूरी तरह से किया था। इसने निर्यात की विविधता को यूरोपीय संघ और यू.एस. तक कई गुना बढ़ाया। दरअसल, अमेरिका के विनिर्माण से छुटकारा पाने के लिए एक प्रभावशाली निकाय चीन की निर्यात की सफलता के लिए जिम्मेदार है।

इसके भाग में यू.एस. को जल्द ही यह एहसास हुआ कि वे इसके सर्वेक्षण के अनुसार सभी मामलों का स्वामी नहीं था। यूरोपीय संघ के साथ संघर्ष में एक डीएसबी जो हमेशा उपकृत और अधिक मुखर नहीं होता है, विकासशील देश गुट (ब्राजील और भारत के नेतृत्व में कुछ समय के लिए) कि सुपर विश्व व्यापार संगठन की आशा धीरे-धीरे कमजोर हो गयी।

फिर भी, 2001 में, ब्रुसेल्स वाशिंगटन के साथ संबद्ध हुए ताकि वे नए व्यापार वार्ता के लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) के साथ एक नया दौर, जिसमें पुराने और नए मुद्दे शामिल थे, 2001 में कतर की राजधानी में शुरू किया गया था। हालांकि, वर्षों में कोई भी ईमानदार रियायतें देने से इनकार करते हुए अमेरिका, एक तैयार डब्ल्यूटीओ सचिवालय की सहायता से वर्ष 2000 के दशक के अंत में डीडीए को अधिक या कम कमजोर बना दिया। इस अतिक्रमणता से पता चला है कि विश्व व्यापार संगठन और इसके प्रमुख सदस्य-देश, अधिकांश सदस्यों की चिंताओं से पहले असंवेदनशील बने रहते हैं। यू.एस. और ईयू ने भी औपचारिक रूप से डीडीए को समाप्त करने की मांग की है।

प्रमुख शक्तियां अब व्यापारिक मुद्दों पर बड़ी सावधानी से कदम बढ़ा रही हैं। इस प्रकार 2014 में, व्यापार सुविधा (जिसमें कस्टम के नियम और प्रक्रियाएं शामिल है) को डीडीए से वापस ले लिया गया और एक अकेले समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि अमेरिका

और यूरोपीय संघ इसमें रुचि रखते थे। इसने वास्तव में पारस्परिकता के सिद्धांत को नष्ट कर दिया था जिसके तहत प्रत्येक देश दूसरों को रियायतें देकर विशिष्ट क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करना चाहते थे।

संपूर्ण अमेरिका और यूरोपीय संघ व्यापार में बहुपक्षीयवाद में रुचि खो रहे हैं। यू.एस. ने भी विश्व व्यापार संगठन के कई तत्वों को कमजोर करना शुरू कर दिया है, जिसने 1990 के दशक के शुरूआत में इसे बढ़ावा दिया था। अब इसने कुछ डीएसबी निर्णयों को लागू करने से भी इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन के लिए प्रमुख शक्तियों का कोई उपयोग नहीं है।

वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत जल्द ही विश्व व्यापार संगठन के लिए नए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मिनी मिनिस्टीरियल का आयोजन करेंगे। भारत को अपनी पकड़ को कैसे मजबूत बनाया जाये, उस पर कार्य करना चाहिए और फिर विश्व व्यापार संगठन को अधिक न्यायसंगत संगठन बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

संबंधित तथ्य

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी, 1995 की गई थी। विश्व व्यापार संगठन (WTO), अनेक देशों के बीच व्यापार के नियमों के सन्दर्भ में एक संगठन है, जोकि उनके मध्य के अनेक व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने में न केवल मदद करता है बल्कि व्यापारिक कार्यक्रमों के संदर्भ में अनेक गतिविधियों को अंजाम देता है। यह विश्व के देशों के बीच एक व्यापार के सन्दर्भ में वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- यह समझौतों के माध्यम से अपनी व्यापरिक गतिविधियों को सम्पादित करता है, जोकि इन्हीं देशों के सामूहिक हस्ताक्षर के द्वारा प्रकाश में आये हुए रहते हैं। इस संस्था में लागू किये जाने वाले कानून उन देशों की सांसदों में पारित किये हुए रहते हैं। इस संस्था का मूल उद्देश्य व्यवसायिक गतिविधियों को अंजाम देने। माल और सेवाओं के आयात करने, आयातकों और निर्यातकों को अनेक सुविधाएं देने आदि के सन्दर्भ में अनेक सुविधायें उपलब्ध कराता है।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

- विश्व व्यापार संगठन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है।
- यह विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचाल हेतु सुबिधाएं प्रदान करता है।
- व्यापार और प्रशुल्क से सम्बंधित किसी भी भावी मसाले पर सदस्यों के बीच विचार-विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता हैं।
- विवादों के निपटारे से सम्बंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करता है।
- वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व वैंक से सहयोग करता है।

विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता और मुख्यालय-

- विश्व व्यापार संगठन (अंग्रेजी: वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन (डब्ल्यू. टी.ओ.)) विश्व की सबसे प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो विश्व व्यापार के लिये दिशा निर्देशों को जारी करती है और सदस्य देशों को जरुरत के मुताबिक ऋण उपलब्ध कराती है। यह नए व्यापार समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। इस संगठन में 164 सदस्य देश शामिल हैं। चीन इसमें 2001 में शामिल हुआ था। डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी संस्था मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस) है। यह प्रत्येक दो वर्ष में अन्य कार्यों के साथ संस्था के महासचिव और मुख्य प्रबंधकर्ता का चुनाव करती है। साथ ही वह सामान्य परिषद (जनरल काउंसिल) का काम भी देखती है। सामान्य परिषद विभिन्न देशों के राजनयिकों से मिल कर बनती है जो प्रतिदिन के कामों को देखता है। डब्लयूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महानिदेशक राबर्ट एज्बेड़ो हैं। अब तक इसके छह मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस) हो चुके हैं।

क्या है कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार समझौता?

- दरअसल वर्ष 1994 से विश्व व्यापार समझौता कृषि क्षेत्र में लागू हुआ। यह समझौता कृषि क्षेत्र में निवेश और व्यापार के नियमों को वैश्विक स्तर पर संस्थाबद्ध किये जाने का प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उत्पाद एवं व्यापार का निजीकरण करना था।
- विश्व व्यापार संगठन का तर्क यह था कि यदि देश अपने सुरक्षित अन्न भंडार की सीमा कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं तो इससे विश्व व्यापार उस दिशा की ओर मुड़ जाएगा, जहाँ माँग अधिक होगी। किसानों को विनियमित बाजारों से लाभ होगा और उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। बाजार की स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के कारण उपभोक्ताओं को भी सस्ते मूल्य पर खाद्य सामग्रियाँ प्राप्त होंगी।

संभावित प्रश्न

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के अभी 25 वर्ष भी नहीं बीते हैं, किन्तु इसका भविष्य बहुपक्षीय व्यापार नियमों की देखरेख के रूप में अब संदेहास्पद लगता है। इस कथन के सन्दर्भ में भारत को सक्रिय रूप से संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्या अपेक्षित उपाय अपनाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

The establishment of the World Trade Organization (WTO) has not completed even 25 years, but its future seems suspicious now in the form of overseeing multilateral trade rules. In relation to this statement, should India adopt the necessary measures to actively strengthen its hold on the organization? Discuss. (200 words)

भारत अयोग्य पेटेंटों का त्याग कैसे कर सकता है?

साभार: द हिन्दू
(27 दिसंबर, 2017)

फरोज अली (प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास) और
सुदर्शन राजगोपाल (लंदन में, पेटेंट विश्लेषक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, वि. एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

पेटेंट के लिए सशक्त मानकों ने अच्छे से खराब फिल्टर किया है, कम से कम प्रशासनिक और वित्तीय बोझ के साथ।

वर्ष 2005 में, भारत ने भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में कुछ उल्लेखनीय संशोधन किए थे, ताकि देश में दवाइयां सस्ती हो सकें। तब से हम केवल वैश्विक फार्मास्युटिकल उद्योग से ही नहीं, बल्कि यू.एस. और यूरोपीय संघ सहित विकसित दुनिया से भी प्रतिकूल परिणाम का सामना कर रहे हैं।

इस मामले का मुख्य केंद्र पेटेंट के लिए मजबूत मानदंड हैं जो भारत ने प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में बेहतर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेश किया था, जिसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के साथ पूर्ण अनुपालन किया गया था। इसके विपरीत, विकसित देशों के बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्रों द्वारा निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप कमजोर मानदंड हैं। बारह साल बाद, अब हम जानते हैं कि इसका क्या मतलब है: भारत विकसित देशों की तुलना में कहीं ज्यादा अयोग्य पेटेंटों को अस्वीकार करता आया है।

पृष्ठभूमि: एक नए अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार, वर्ष 2009 और 2016 के बीच भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) द्वारा सभी 1,723 फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोगों को खारिज करना काफी आश्चर्यचकित करता हैं।

भारत के पेटेंट कानून का बचाव: भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (डी), जो ज्ञात फार्मास्यूटिकल पदार्थों के नए रूपों के पेटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए एक प्रावधान, कैंसर विरोधी दवा, ग्लिवेक के लिए नोवार्टिस द्वारा पेटेंट आवेदन को अस्वीकार करने में इसके उपयोग के बाद अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया। हमने पाया कि अधिनियम की धारा 3 में पेटेंटिबिलिटी के अपवाद, जिसमें धारा 3 (डी) शामिल हैं, सभी अस्वीकृत दवा पेटेंट आवेदनों के 65% के लिए जिम्मेदार थे।

अपने छोटे जीवनकाल में धारा 3 (डी) ने मद्रास हाईकोर्ट से पहले अपनी संवैधानिकता के लिए एक चुनौती बचा रखी है और नोवार्टिस ने अपने पेटेंट की अस्वीकृति के खिलाफ लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों न्यायालयों ने धारा 3 (डी) की वैध ता को बनाए रखने के लिए निर्णायक रूप से फैसला किया। डब्ल्यूटीओ मानदंडों के साथ पूर्ण अनुपालन के बावजूद, संयुक्त राज्य के व्यापार प्रतिनिधि ने बार-बार अपने स्पेशल 301 रिपोर्ट में इस प्रावधान के लिए भारत को फटकार लगाई। हालांकि, इस कानूनी प्रयोग पर दुनिया का ध्यान अभी इस पर केन्द्रित है कि भारतीय संसद ने कानून पेश किया था, लेकिन आईपीओ ने धारा 3 (डी) को लागू करने के बारे में जानकारी की कमी की है। हमने पाया कि यह अच्छे से खराब को फिल्टर करता है, जिसमें सबसे कम संभव प्रशासनिक और वित्तीय बोझ शामिल है।

धारा 3 (डी): सभी 45% अस्वीकार किए गए फार्मास्यूटिकल पेटेंट आवेदन, कारण के रूप में धारा 3 (डी) का हवाला देते हैं: आवेदन ज्ञात यौगिकों के एकमात्र रूप में पहचाने गए थे, जिनमें चिकित्सकीय मूल्य में स्पष्ट वृद्धि नहीं थी।

हमारे नए कानून से पहले 1995 और 2005 के बीच, भारत ने आईपीओ में दवा उत्पादों के लिए पेटेंट आवेदन प्राप्त करने के लिए एक अस्थायी उपाय प्रदान किया, जिसे मेलबॉक्स सिस्टम कहा जाता है। यद्यपि वर्ष 2005 में शुरू की गई, धारा 3 (डी) का उपयोग धीरे-धीरे 2009 से बढ़ गया, जब मेलबॉक्स अनुप्रयोगों की जांच की गई। स्पाइक नोवार्टिस मामले में अप्रैल, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ मेल खाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस फैसले ने आम तौर पर भारतीय पेटेंट कानून को कानूनी निश्चितता प्रदान की है और विशेष रूप से धारा 3 (डी), आईपीओ को नगण्य नवाचारों से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है।

पेटेंट कार्यालय में: पिछले दशक में हमने पाया कि आइपीओ ने सभी दवाओं के लगभग 95% पेटेंट आवेदनों को अपने दम पर खारिज कर दिया था। केवल 5% एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के माध्यम से थे, जैसे पूर्व-अनुदान विरोधी। हमारा मूल पेटेंटिबिलिटी मानदंड में एक अविष्कारणीय पहल के साथ (जिसे गैर-स्पष्टता के रूप में भी जाना जाता है) नए आविष्कार शामिल होने चाहिए, साथ ही यह औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सक्षम होना चाहिए।

धारा 3(डी) आईपीओ को अनिवार्य रूप से आवेदकों के साथ मूल्यांकन करने के लिए आईओपी तैयार करता है, जो कि मौजूदा प्रौद्योगिकी पर एकमात्र नवाचार हैं। ऐसे मामलों में जहां आविष्कार एक ज्ञात पदार्थ का एक प्रकार है, पेटेंटिबिलिटी के लिए मानदंड अपने निर्दिष्ट उपयोग के लिए आवश्यक प्रदर्शन के लिए आवश्यक सुधार का प्रमाण है, यानी वृद्धि की प्रभावकारिता। फार्मास्यूटिकल्स के संदर्भ में, जैसा कि नोवार्टिस से जुड़ा मामला था, यह चिकित्सीय प्रभावकारिता में सुधार के साक्ष्य को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, पेटेंट संरक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए क्षुद्र नवाचार का एक बेहतर उत्पाद होना चाहिए।

पेटेंट कानून की रहस्यमय दुनिया के भीतर, धारा 3 (डी) के रूप में प्रावधानों के खिलाफ एक तर्क यह है कि यह पेटेंटिबिलिटी की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक का विस्तार नहीं है अर्थात गैर-स्पष्टता निश्चित रूप से, एक आवेदन को स्पष्ट नहीं समझा जाना चाहिए, उसे पहले से ज्ञात किए जाने वाले तकनीकी उन्नयन को स्थापित करना होगा।

लेकिन गैर-स्पष्टता मानकों को आईपीओ में अधिकारियों की तुलना में कानून के एक अदालत से पहले वैधता की कार्यवाही में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। लाभ, जो धारा 3(डी) के रूप में प्रावधान प्रदान करता है कि वह महंगी और लम्बी चलने वाली मुकदमेबाजी के समक्ष जाये बिना आईपीओ में आवेदन पर सवाल पूछ सकते हैं। मुकदमेबाजी की उच्च लागत में महत्वपूर्ण बाधाएं होती हैं। पेटेंट मालिकों द्वारा बातचीत के लिए भुगतान के लिए देरी से बस्तियों में एक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मामलों को अक्सर हल किया

जाता है, जहां सामान्य निर्माताओं को बाजार से बाहर रहने के लिए अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है। पेटेंट से संबन्धित मुकदमेबाजी महंगी है, लेकिन यह ऐसा मरीज है जो अंतत: उच्च मूल्य का भुगतान करता है अर्थात अत्यधिक दवा की कीमतों के अधीन होकर अयोग्य अनन्यता से प्रेरित होता है जो खराब पेटेंट का निर्माण करता हैं।

एक जांच के रूप में: धारा 3 (डी) के बिना, भारतीय जनता को मुकदमेबाजी के माध्यम से एक खराब पेटेंट को अवैध बनाने का बोझ उठाना होगा। भारत, सरकार के लाचार बजट और तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य की जरूरतों के बावजूद दो निश्चित चुनौतियों का सामना करने में निश्चित रूप से अकेले नहीं है। जैसा कि धारा 3 (डी) भारत में अच्छे से खराब पेटेंट को अलग करने में सक्षम है, यह अन्य विकासशील देशों के लिए यह एक बेहतर कदम होगा कि वे इसी तरह की चुनौतियों से जूझने के लिए अपने कानून में समान प्रावधान को शामिल करे।

संबंधित तथ्य

क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार?

- व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किये जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुत: ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन (जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि) करता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिये। चूँकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिये ही दिया जाता है, अत: इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है।

बौद्धिक संपदा से अभिप्राय है

- नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किये जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा-सर्वदा के लिये अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिये जाते हैं।
- बौद्धिक संपदा अधिकार दिये जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिये उसके संगत अधिकारों एवं सम्बद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए। इस आधार पर इन अधिकारों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

पेटेंट क्या है?

- पेटेंट वह व्यवस्था है जिसके तहत किसी भी नई खोज से बनने वाले उत्पाद पर आविष्कारक को एकाधिकार दिया जाता है। यह अधिकार खोज करने वाले व्यक्ति (inventor यानी आविष्कारक) को सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके बाद एक निश्चित समय तक न तो कोई उस उत्पाद को बना सकता है और न ही बेच सकता है। अगर बनाना चाहे, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा और Royalty देनी होगी। विश्व व्यापार संगठन ने पेटेंट की अवधि 20 साल तय कर रखी है।
- पेटेंट हासिल करने वाला व्यक्ति (Product Inventor) अपना यह अधिकार बेच या ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा प्रोसेस पेटेंट भी होता है, जिसका संबंध नई तकनीक या किसी उत्पाद को बनाने वाली विधि से है। मतलब किसी नई विधि पर भी पेटेंट लिया जा सकता है। लेकिन पेटेंट का ये आदेश जिस देश में जारी किया जाता है, उसकी सीमाओं के भीतर ही उसे लागू माना जाता है।
- **यूटिलिटी पेटेंट :** ये उपयोगी प्रक्रिया, मशीन, उत्पाद का कच्चा माल, किसी उत्पाद का कंपोजिशन या इनमें से किसी में भी सुधार को सुरक्षित करता है। उदाहरण:- फाइबर ऑप्टिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, दवाइयां आदि।
- **डिजाइन पेटेंट :** ये उत्पाद के नए, मूल और रचना के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकता है। जैसे कि किसी एथलेटिक शूज का डिजाइन, बाइक का हेलमेट या कोई कार्टून कैरेक्टर, सभी डिजाइन पेटेंट से प्रोटेक्ट किए जाते हैं।
- **पेटेंट :** इसके जरिए नए तरीकों से तैयार की गई पेड़-पौधों की विविधता को प्रोटेक्ट किया जाता है। हाइब्रिड गुलाब, सिल्वर क्वीन भुट्टा और बेटर बॉय टमाटर आदि प्लांट पेटेंट के उदाहरण हैं। यहां गौर करने वाली बात ये है कि आप किसी आविष्कार के अलग-अलग पहलुओं के लिए यूटिलिटी और डिजाइन दोनों तरह के पेटेंट फाइल कर सकते हैं यथार्थ के ही उत्पाद को दो प्रकार से पेटेंट करवा सकते हैं।

इनका नहीं होता पेटेंट -

- प्रकृति के नियम (हवा और गुरुत्वाकर्षण)
- नेचरल चीजें (मिट्टी, पानी)
- भाववाचक (एब्स्ट्रैक्ट) आइडिया (मैथमेटिक्स, कोई फिलॉसफी)
- लिट्रेचर, नाटक, म्यूजिक जैसे क्रिएटिव काम को कॉपीराइट के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है।

इनका हो सकता है पेटेंट -

- ऐसे आविष्कार जो: 1. अनोखा या नया हो 2. सबसे अलग : इसका मतलब है कि आविष्कार पूरी तरह से अलग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, किसी दवा के किसी तत्व या आकार में बदलाव करके पेटेंट नहीं कराया जा सकता। पेटेंट हासिल करने के लिए आपका आविष्कार पूरी तरह से नया होना चाहिए, जो पहले कभी नहीं बना। 3. ऐसे आविष्कार, जो यूजफुल हों। आपका गैजट काम का होना चाहिए और कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा करता हो और जो दावे किए गए हों, उन पर यह प्रैक्टिकली खरा उतरता हो।

संभावित प्रश्न

वर्ष 2005 में पेटेंट कानून, 1970 में धारा 3 (डी) के संशोधन के लिए मजबूर करने वाले कारकों की चर्चा करते हुए बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग्लिवेक® के लिए नोवार्टिस पेटेंट के आवेदन को अस्वीकार करने के फैसले में इसका उपयोग कैसे किया गया? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (200 शब्द)

Bring out the circumstances in 2005 which forced amendment to section 3 (d) in the patent law,1970. Discuss how it was utilized by supreme court in its judgement rejecting novartis patent apllication for "glivec". Critically Analyze. (200 words)

वर्ष 2018 : भारत के विकास को मजबूत करना

साभार: फाइनेंसियल एक्सप्रेस
(28 दिसंबर, 2017)

राणा कपूर
(यस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

विकास के लिए भारत को बैंकिंग, ग्रामीण एवं कृषि, आवास तथा बुनियादी ढांचे और एमएसएमई के नेतृत्व में वृद्धि या 'ब्रह्मा' की जरूरत है।

"वेदमयनय विद्महे, हिरण्या गर्भाय धीमहि, तनों ब्रह्मा प्रचोदयात"

संस्कृत में ब्रह्मा का अर्थ अनंत विस्तार और विकास से है और साथ ही हिन्दू ब्रह्माण्ड विज्ञान और भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में एक विशेष महत्व रखता है। निर्माण को एक बड़े दृष्टिकोण के साथ-साथ इसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासों की दृढ़ता की आवश्यकता है।

जीएसटी, विमुद्रीकरण और बैंक पुनर्पूंजीकरण जैसे सुधारों के पीछे आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास से भारत एक अंतरण बिंदु पर खड़ा है। आगे बढ़ते हुए, वित्त वर्ष 19 में भारत को साक्ष्य बनाने में समर्थ होने वाले परिवर्तन के लिए ब्रह्मा की शक्ति के समान एक प्रमुख पहल की जरूरत है।

ब्रह्मा (बैंकिंग, ग्रामीण एवं कृषि, आवास तथा बुनियादी ढांचा, और एमएसएमई-आधारित वृद्धि) दृष्टिकोण भारत के आर्थिक इंजन को संशोधित करने का एक अवसर है। यह न केवल भारत को 8 से 9% जीडीपी विकास दर तक पहुंच सकता, बल्कि हर साल 10-12 मिलियन युवाओं के लिए रोजगार सृजन का भी परिणाम दे सकता है, जिससे सभी के लिए आय और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

बी (बैंकिंग): नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) संरचना को मजबूत करना: भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016 (आईबीसी) के तहत विचार किए जाने वाले मामलों के लिए एक आंतरिक सलाहकार समिति का गठन किया है- फंड और गैर-निधि आधारित बकाया राशि के साथ कंपनियों को 5,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि 31 मार्च, 2016 तक बैंकों द्वारा 60% या अधिक वर्गीकृत गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि यह कदम बैड लोन की स्थिति को अग्रिम कार्रवाई द्वारा सुलझाने का एक मास्टर स्ट्रोक था, यह महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करके अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। पिछले 18 महीनों में अंतर्निहित उद्योगों में प्रदर्शन के सुधार के मामले के संदर्भ में विचार करने के लिए एक उद्देश्य मानदंड भी शामिल है। यह पुनर्जीवित कंपनियों के तनाव को कम करेगा और बैंकों के लिए अधिक नुकसान की रोकथाम करेगा।

आईबीसी के तहत एनसीएलटी की प्रभावशीलता बढ़ाना: विशेष रूप से जनवरी से जून 2017 तक दर्ज मामलों में महत्वपूर्ण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक कौशल वाले पेशेवरों के साथ बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाना, मामले की सुनवाई के आधारभूत प्रणालीगत महत्व को प्राथमिकता देना और साझेदारी कंपनियों को आईआरपी की स्थिति प्रदान करेगी जो भागीदारों के माध्यम से अंतर्निहित क्षमताएं लाएगी।

घरेलू एम एंड ए के लिए बैंक वित्तपोषण: एनपीए संकल्प में तेजी लाने के लिए, सरकार को घरेलू स्तर पर बैंक वित्तपोषण की अनुमति देना चाहिए और अपेक्षाकृत कमजोर कंपनियों के रूप में अच्छी अंतर्निहित परिसंपत्तियों के साथ जो विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारकों के लिए एनपीए बन गए हैं। वर्तमान में आरबीआई के दिशानिर्देश ऐसे वित्तपोषण में बाधक हैं, बुनियादी ढांचे क्षेत्र के अलावा उनके महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मूल्य को देखते हुए, पूंजी बाजार के प्रदर्शन को रोकना आवश्यक है।

IndAS कार्यान्वयन का आस्थगन: आईएफआरएस को पहली बार अपनाने से बैंकों की नेट वर्थ में 25 अरब डॉलर का समायोजन होगा। इसे अपनाने से संभावित व्यवधान और व्यापक नियामक दिशानिर्देशों की कमी के प्रभाव को देखते हुए, IndAS को 1 अप्रैल, 2018 से 1 अप्रैल, 2020 तक स्थगित किया जाना चाहिए।

आरए (ग्रामीण एवं कृषि): सभी के लिए आय और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना: इस विकास दर पर, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित कृषि बुनियादी ढांचे को ऋण अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ऊपरी कैप के बिना इस कदम से प्रति वर्ष 1-2% तक फंड की लागत कम हो जाएगी और आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से कच्चे माल की खरीद के लिए खाद्य प्रोसेसर तक बढ़ाए गए ऋण को पीएसएल लघु और सीमांत किसान के रूप में योग्य होना चाहिए। इससे प्रतिवर्ष 2-3% से धन की लागत कम हो जाएगी। पीपीपी के माध्यम से शीर्ष 50 उपभोग केंद्रों के लिए 1,000 करोड़ रूपये का आबंटन लॉजिस्टिक्स / हैंडलिंग लागत को प्रतिवर्ष 2-3% कम कर सकता है।

एच (आवास और बुनियादी ढांचे): निवेश को बढ़ाना और शहरी विकास: ब्याज के रूप में 2-3% की आर्थिक सहायता प्रदान करके नगरपालिका बांडों को जारी करने के लिए यूएलबी को प्रोत्साहित करके नगर बांड बाजार को मजबूत बनाना चाहिए। किफायती आवास के लिए परियोजना के वित्त पोषण को वाणिज्यिक अचल संपत्ति के निवेश से बाहर रखा जाना चाहिए, साथ ही आरबीआई पीएसएल प्रावधानों को किफायती आवास निर्माण वित्तपोषण के लिए तैयार की गई नीतियों के साथ शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए टैक्स लाभ लेने और उधार लेने की लागत कम करने के लिए इन्फ्रा स्टेटस प्रदान करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, सरकार को ईसीबी द्वारा रुपए की अवधि के ऋण सुविधाओं के पुनर्वित्त की अनुमति देकर और 'एए' से 'ए' तक ईसीबी के पुनर्वित्त के लिए क्रेडिट रेटिंग सीमा को कम करने के जरिए बंदरगाहों, नौवहन और रसद क्षेत्र में कम लागत वाली डॉलर के वित्तपोषण तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है।

एम (एमएसएमई): निर्यात और नौकरी सृजन के लिए इंजन: सफल जीएसटी के सफल क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए, सीजीटीएमएसई (माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) में सभी एमएसएमई यूनिटों को पैन विवरण को आवश्यक बनाने होंगे, साथ ही एमएसएमई को ऋण के लिए गारंटी कवर को विभिन्न योजनाओं के तहत 50-75% से 85% तक बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे

उधार को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। चूंकि करीब 90% एमएसएमई साझेदारी या स्वामित्व हैं, इस समय हमे उनके लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल या रिपॉजिटरी का निर्माण करना होगा, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज। इससे एमएसएमई वित्तीय आंकड़ों की पारदर्शिता में सुधार होगा, वास्तविक समय निर्धारण और निर्णय लेने का समय कम होगा।

ए (त्वरण): तेज विकास: भारत की नीति वास्तुकारों में आर्थिक ऊर्जा सुस्पष्ट है। यह देश को तीन दशक तक अपनी अर्थव्यवस्था का आकार 10 गुना से बढ़ाकर वर्तमान में 2.3 खरब डॉलर तक कर दिया है। ब्रह्मा के साथ सशस्त्र और शीर्ष पर एक मजबूत विकास एजेंडा के कारण विश्वास है कि वर्ष 2018-19 में लागू नीतियां सरकार के परिवर्तनकारी एजेंडा को 9% वृद्धि के विकास के लिए प्रेरित करेगा और अर्थव्यवस्था को उच्च, स्थायी और समावेशी विकास पथ पर ले जाने में मदद करेगा।

संबंधित तथ्य

क्या है नए दिवाला और दिवालियापन संहिता में?

- नया दिवालिया और दिवालियापन संहिता- 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code-2016) आरोपी प्रबंधन के विरुद्ध शेयरधारकों, लेनदारों और कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिये लाया गया है।
- इसके प्रावधानों के तहत डिफॉल्ट के मामले में किसी बैंकिंग कंपनी को दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिये निर्देशों हेतु आरबीआई को प्राधिकृत करने के लिये 04 मई, 2017 को बैंकिंग नियमन संशोधन अधिसूचना 2017 लागू किया गया है।
- यह अधिसूचना बाध्य होने के बावजूद परिसंपत्तियों के मामले में निर्देश देने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को देता है।
- रिजर्व बैंक के तहत आंतरिक निगरानी समिति बनाई गई है।
- इस समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पाँच कर दी गई है।
- पुनर्निर्धारित निगरानी समिति को 500 करोड़ रूपए से अधिक उधार के मामलों को सुलझाने के लिये समीक्षा के अधिकार दिये गए हैं।

द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016

- विदित हो कि विगत वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता संबंधी विधेयक पारित किया था।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्ववेन्सी एक्ट और प्रोवेंशियल इन्सॉल्ववेन्सी एक्ट 1920 को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और सेक्यूरिटाईजेशन एक्ट समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।

वित्तीय समावेशन के अभाव से उत्पन्न चुनौतियाँ

- किसी व्यवस्था में वित्तीय समावेशन का अभाव होना समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिये हानिकारक होता है।
- जहाँ तक व्यक्ति का संबंध है, वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मजबूरीवश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है।
- चूँकि अनौपचारिक बैंकिंग ढाँचा कानून की परिधि से बाहर होता है, अत: उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी तरीके से निपटान नहीं किया जा सकता है।
- इसके इतर जहाँ तक सवाल है वित्तीय समावेशन के सामाजिक लाभों का, तो आपको बताते चलें कि वित्तीय समावेशन के परिणामस्वरूप न केवल उपलब्धि बचत राशि में वृद्धि होती है, बल्कि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं नित नए व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने की सुविधा भी प्राप्त होती है।
- इस परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वसुलभ बैंकिंग प्रणाली के परिणामस्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विविधीकरण में योगदान प्राप्त हुआ है।

लाभ?

- आम आदमी को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल किये जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ भी प्राप्त होते हैं।
- जहाँ एक ओर इससे समाज में कमजोर तबके के लोगों को उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिये धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे - बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन उत्पादों आदि में भाग लेकर देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
- वहीं दूसरी ओर इससे देश को पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है।
- इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी संवर्धन प्राप्त होता है।
- इसके अतिरिक्त वे लोग जो वित्तीय दृष्टि से विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं, प्राय: अपनी बचत अथवा निवेश को भूमि, भवन अथवा गहनें आदि जैसी अनुत्पादक आस्तियों में लगाते हैं।
- जबकि वित्तीय दृष्टि से अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल लोग ऋण सुविधाओं का आसानी से उपयोग कर पाते हैं, फिर चाहे वे संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हों अथवा असंगठित क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहते हों अथवा ग्रामीण क्षेत्र में।
- वित्तीय समावेशन से सरकार को सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेरा-फेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे सरकार उत्पादों पर सब्सिडी देने के बजाय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

संभावित प्रश्न

हाल के कुछ समय में देखा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सकारात्मक रूप से बढ़ रही है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की यह वृद्धि धारणीय है? वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए बताएं कि लेखक द्वारा सुझाई गयी 'ब्रह्मा' नीति कहाँ तक प्रभावी होगी? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

In recent times it has been seen that the growth rate of Indian economy is increasing positively. Is this growth of Indian economy sustainable? At present, considering the various aspects of Indian economy, how long will the 'Brahma' policy suggested by the author be effective? Discuss. (200 words)

वनों का विस्तार करना

साभार: द हिन्दू
(29 दिसंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

हरित क्षेत्रों के विस्तार के लिए एक वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय योजना का निर्माण करना बिल्कुल जरूरी है।

संसद में यह कहा जाना कि केंद्र प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 को नियमों के साथ लागू करने के लिए तैयार नहीं है, जो यह दर्शाता है कि पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख प्रतिबद्धताओं सहित विभिन्न पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार का संकल्प बेहद कमजोर है।

यह निश्चित रूप से विवादास्पद है कि क्या यह कानून राष्ट्रीय और राज्य निधियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था के साथ, जिसे जनादेश दिया जाता है, विकासशील और जैविक दबावों के कारण घने जंगलों को हो रहे नुकसान के लिए एक अच्छा उपाय है। उदाहरण के लिए सरदार सरोवर बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट में प्रतिपूरक वनीकरण पर सबूत उत्साहजनक नहीं है। लगभग 13,000 हेक्टेयरों को वहां मुआवजा दिया गया था, लेकिन केवल छोटे स्तर पर अर्थात कुछ जगहों पर कम जैव विविधता मूल्य वाले स्वस्थ एकल बागानों का विकास किया गया और कुछ क्षेत्रों में कुछेक पेड़ों के साथ अस्वास्थ्यकर वृक्षारोपण किया गया।

ऐसा हो सकता है कि गैर-वन के उपयोग के लिए जंगलों का सफाया कुछ हद तक अनिवार्य लगता है, और मुआवजे वाले फंडों में लगभग 40,000 करोड़ रूपए जमा करना निवास स्थान के महत्वपूर्ण संयोजन को दर्शाता है। यह काम उपयुक्त भूमि का आकलन करना है, जो संरक्षित क्षेत्रों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है जिसे वन विभाग के कर्मचारियों और वैज्ञानिक विशेषज्ञों से मिलकर एक संयुक्त तंत्र में प्रबंधन के लिए शुरू किया जाता है।

बेहतर हरित क्षेत्र का निर्माण करने के लिए एक वैज्ञानिक राष्ट्रीय योजना का विस्तार करना आवश्यक है, क्योंकि स्थायी रूप से प्रबंधित जंगलों के माध्यम से कार्बन की मात्रा को कम करना पेरिस समझौते के तहत बनाई गई प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण घटक है। पहले से ही हमारे पास एक ग्रीन इंडिया मिशन है, जो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए परिकल्पित ढांचे से अलग है।

केंद्र को सभी आवश्यक कार्यक्रमों के स्वतंत्र लेखापरीक्षा को सक्षम बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसे अब उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की समझदारी से तैनात किया जा सके। हालांकि इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि एक प्राकृतिक वनों की जगह वृक्षारोपण करना वास्तव में प्रकृति, वन्यजीव या वन-आश्रित समुदायों को वो सेवा नहीं प्रदान करता है, जिसके वे हकदार है और साथ ही इससे जैव विविधता के भारी नुकसान पहुंचता हैं। फिर भी वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पौधों और पेड़ों की सावधानीपूर्वक चयन के जरिए वनों को बढ़ाया जा सकता हैं। यह सब केवल वर्ष 2016 में पारित कानून के वास्तविकीकरण के साथ ही शुरु हो सकता है।

जैसा कि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पद्धति का उपयोग वनों के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए किया गया था, जिसे वे प्रदान किए गए सभी पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं हैं। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुछ गति न्यायिक निर्देशों से आ गई है, लेकिन अब इसके स्थान पर यहाँ एक नया कानून है, जिसे नियमों का एक आधार प्रदान करना चाहिए जो वैज्ञानिक विश्वसनीयता पर निर्भर हो।

प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016

पृष्ठभूमि

- पर्यावरण के कानून पर बनी एक उच्च स्तरीय समिति ने पाया कि 1951 से 2014 के बीच वन कवर की गुणवत्ता कम हुई है और इसकी वजहों में से एक है प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण की खराब गुणवत्ता।
- वर्ष 2013 में कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य के वन विभागों में प्रतिपूरक वनीकरण और वन संरक्षण के लिए नियोजन और कार्यान्वयन की क्षमता का अभाव है। राज्यों को दिए जाने वाले कोष को 10 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी करने के साथ इन कोषों का कुशल प्रयोग राज्य वन विभागों की क्षमता पर निर्भर करेगा।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक में केन्द्र के साथ-साथ प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश में भी उपयुक्त संस्थागत प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- इससे वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के रूप में उपयोग करने के बदले में प्राप्त होने वाली राशि का शीघ्र तथा पारदर्शी ढंग से उपयोग सुनिश्चित होगा।
- इससे इस तरह की वन भूमि में होने वाले बदलाव के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
- इस विधेयक में इस तरह की धनराशि के उपयोग में सुरक्षा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की गई है।

- फिलहाल इस तरह की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जा रहा है और इनका प्रबंधन एक तदर्थ निकाय द्वारा किया जा रहा है।
- इन राशियों को संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के ध्यानार्थ लाया जाएगा तथा इसे व्यापक लोकदृष्टि में भी लाया जायेगा।
- इसके लिए इन राशियों को ऐसे ब्याज युक्त कोषों में हस्तांतरित कर दिया जायेगा, जो कभी समाप्त नहीं होंगे।
- इनका सृजन भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य के लोक खातों के तहत किया जायेगा।
- प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक के तहत वनीकरण के लिए राज्यों को बड़ी निधि आवंटित करने का प्रावधान है।
- इस बारे में सभी नियम और कानून संविधान के दायरे में रहते हुए बनाए जाएंगे और इसके लिए पंचायती राज अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम को भी पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा।
- इस विधेयक के पारित होने के बाद वन भूमि के लिए रखे गए 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि को तीव्र एवं पारदर्शी ढंग से उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- इस राशि से राज्यों में वनीकरण में तेजी आएगी। इस कानून से क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के पास उपलब्ध राशि का इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा, जिसे खर्च नहीं किया जा सका है।
- मौजूदा वन कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने वाले प्रमोटर को सरकार के पास वनीकरण के लिए एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी, जिससे सरकार गैर वन भूमि में उतनी ही जमीन पर पौधरोपण करेगी।
- सीएएमपीए कोष का गठन शीर्ष न्यायालय ने किया था। इसका उद्देश्य तेजी से घटते वन क्षेत्र का दीर्घावधि समाधान करना है।
- सीएएमपीए कोष में जमा यह 42 हजार करोड़ रूपए की राशि केन्द्र या किसी एक राज्य की नहीं है, बल्कि यह देश का पैसा है और उन्हें दिया जा रहा है जिनको विकास यात्रा में हानि हुई है।
- ओडिशा को इस कोष से सबसे अधिक राशि दी जाएगी, जो लगभग छह हजार करोड़ रुपये होगी।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

वर्ष 2016 आये प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम वनीकरण के क्षेत्र में प्रभावी साबित हो सकता है, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण यह अधिनियम अभी तक कार्यरूप में परिणित नहीं हो सकी है। इस कथन के संदर्भ में सरकार द्वारा वनीकरण के विस्तार के लिए क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

The compensatory afforestation fund Act, which came in the year 2016, can prove to be effective in the field of afforestation, but due to the government's hesitant attitude, this act has not yet been in the action. In the context of this statement, what necessary steps should be taken by the government for the expansion of afforestation? Discuss. (200 words)

एक आवश्यक सुधार : हितों के संघर्ष पर

साभार: द हिन्दू
(30 दिसंबर, 2017)

फिरोज वरुण गांधी
(सांसद, सुल्तानपुर निर्वाचन क्षेत्र, भाजपा)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-IV (नीतिशास्त्र) से संबंधित है।

हमें हितों के संघर्ष के प्रकटन को अनिवार्य बनाने की जरूरत है।

वर्ष 1990 में, बीजी देशमुख, जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रधान सचिव थे, उन्होंने पूछा कि क्या वे सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़े समूह में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सरकार में दशकों तक काम किया था और अगर उन्हें अनुमति मिलती तो वे कॉर्पोरेट में भी सेवा देने के लिए बाहर जाना चाहते थे। लेकिन बड़ी बुद्धिमानी से मौखिक आश्वासन से लिखित अस्वीकृति तक की स्वीकृति प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। हांलाकि, इस अस्वीकृति के कारण भिन्न हो सकते हैं, ऐसी घटनाएं विवेकाधिकार को हटाने और वरिष्ठ नौकरशाहों को सेवानिवृत्ति या इस्तीफा देने के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्रों में खुद को शामिल करने के हितों के संघर्ष को निहित करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

कहीं और सर्वोत्तम अभ्यास: भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से स्वाभाविक रूप से हितों के संघर्ष के विचार को शामिल किया जाना चाहिए। पश्चिमी देशों में, निजी क्षेत्रो के लिए सिविल अधिकारियों द्वारा हितों का संघर्ष शक्ति के सभी दुरुपयोग की जड़ के रूप में देखा जाता है। ब्रिटेन के अधिकांश इतिहास में, शासकों और उनके अधिकारियों के साथ हितों का संघर्ष व्यापक था अर्थात हर कोई इस तरह नेताओं द्वारा अपनी स्थिति का लाभ उठाने की उम्मीद करता था। 1660 के दशक में रॉयल नेवी के महान लेखक और सुधारवादी सैमुअल पेपिस पर भी तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा था। हालांकि, समय के साथ, संस्कृति बदल गई। मंत्रियों ने ब्रिटेन में युद्धों की बढ़ती संख्या से लड़ने के लिए नौकरशाही कार्यकुशलता में वृद्धि करने की मांग की, खासकर करों के संग्रह में। बाद में एक बेहतर प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका ने कार्यकारी की शक्ति की सीमा और दुरुपयोग के लिए अपनी क्षमता का विस्तार किया। शिक्षा के प्रसार ने लोगों को अपने अधिकारों के बारे में और अधिक जागरूक बनाया और एक राष्ट्रीय लेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना से प्रशासन में भ्रष्ट व्यवहार पर लगाम लगा। 20वीं सदी तक, भ्रष्टाचार काफी कमजोर हो चुका था।

कुछ नौकरशाहों ने लोक सेवा के गुणों को सेवानिवृत्ति में निजी लाभ के लिए उपयोग किया है। वे खुद को हितों की एक संभावित संघर्ष के सामने उजागर करते हैं, जो सरकार के साथ काम करते समय भ्रष्टाचार के लिए, कार्यों और धारणाओं में स्वचालित रूप से जुड़े नहीं होते हैं। इसके बजाय, जब विस्फोटक और विवेक के साथ नेताओं को उचित प्रश्न पूछा जाता है, तब विकास-विरोधी और विरोधी निवेश जैसे शब्दों का प्रयोग उनको लक्षित करने के लिए किया जाता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए, समस्या के पैमाने को समझना महत्वपूर्ण है, हितों के संघर्ष पर हमारे सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने की दिशा में सही कानूनी तंत्र का निर्धारण करना और उस पर काम करना जरूरी है।

निहित स्वार्थों ने अधिक से अधिक विनियामक बोर्डों पर कब्जा कर लिया है, इसे साबित करने के लिए एक उदाहरण अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मामले पर विचार करते हैं। इस नियामक को सैद्धांतिक रूप से खाद्य सुरक्षा की निगरानी में स्वतंत्र माना जाता है और 2014 तक, वैज्ञानिक समितियों के लिए उद्योगों के प्रतिनिधियों को नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। ऐसा नहीं है कि नियमों के किताबों में इसके खिलाफ कोई नीतियां नहीं हैं। बल्कि भारत के पास एक आधिकारिक नीति है, जो कार्मिक मंत्रालय द्वारा विनियमित है, जिसके तहत वरिष्ठ नौकरशाहों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार की अनुमति लेनी पड़ती है। हालांकि, विराम काल (cooling-off period) की अवधि के भीतर अनुमति की अनुदान मुख्य रूप से सरकारी विवेक पर निर्भर होती है, जिसमें कोई संहिताबद्ध तंत्र नहीं होता है। देखा जाये तो अनुभवी नौकरशाहों द्वारा निजी क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने में कुछ भी गलत नहीं है - यदि पर्याप्त नियम तैयार किए गए हैं और उसका पालन किया गया तो यह हितों के किसी भी टकराव को समाप्त करने में सक्षम हैं।

हमे दंडनीय संघर्ष की गैर-प्रकटीकरण को दंडनीय बनाने के लिए कानून की आवश्यकता है। ई.एम.एस. नचियप्पन के निजी सदस्य के बिल साथ (हितों के संघर्ष के निवारण और प्रबंधन विधेयक, जिसे 2012 में शुरू किया गया था) कानून को न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी सहित सभी शासन के हथियारों को शामिल करना चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (3 मई, 2013 की रिपोर्ट संख्या 60) पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश में, अनिवार्य विराम काल (cooling-off period) की अवधि को पांच साल तक बढ़ाने के अलावा पूर्व सेवानिवृत्ति, या सेवानिवृत्ति के बाद निजी सेवा में जाने की दिलचस्पी है, तो इसे लागू करने की आवश्यकता है, ताकि रिटायर्ड नौकरशाह द्वारा कोई अनुचित प्रभाव डाला जा सके। इसके अलावा, ऐसी फर्मों में शामिल होने के लिए उनके अनुरोधों को घटाने के कारणों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक चिंताओं को सीमित किया जा सके।

पारदर्शिता की ओर: अंत में, पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। विधायी प्रतिनिधियों के लिए केवल सदस्य के हितों का गैर-सार्वजनिक रजिस्टर होना पर्याप्त नहीं है। नौकरशाह (सेवानिवृत्त और जो वर्तमान में कार्यरत है) उनके बाद सेवानिवृत्ति योजनाओं के बारे में खुले तौर पर बात करनी चाहिए। उनके हितों के सार्वजनिक प्रकटीकरण को स्पष्ट करते हुए उनके विचार को उचित योग्यता दी जानी चाहिए। सिविल सेवकों की नियुक्ति के बाद से सभी नियुक्तियों में एक खुला, सार्वजनिक डेटा प्लेटफॉर्म पारदर्शिता को बढ़ाएगा। अगर हम कॉरपोरेट जगत में रुचि के संघर्ष की स्वीकृति चाहते हैं, तो उपभोक्ता निगरानी दलों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और कार्यकर्ता शेयरधारकों के माध्यम से महत्वपूर्ण निरीक्षण के साथ, हमें भी हमारे शासन में ये बदलाव करने चाहिए।

शायद इनमें से कुछ सांस्कृतिक है। हम एक राष्ट्र के रूप में, रजत गुप्ता के मामले में अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, यू. एस. में अभियोजन पक्ष की तुलना में इस तरह के संघर्षों को कड़े कानूनी ढांचे में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए, जिससे सार्वजनिक हित

का समझौता एक गंभीर अपराध हो। व्यापार के हितों को स्पष्ट करना और इस तरह के संघर्षों पर एक नैतिक कोड को मजबूत करना आवश्यक है। इसलिए निश्चित रूप से ऐसे परिवर्तन के बिना, इंसाइडर ट्रेडिंग (अतरंगी व्यापार) के लिए भारत के समाज, प्रशासन और उसके निजी क्षेत्र खुले मैदान बने रहेंगे।

संबंधित तथ्य

भारत के लोक प्रशासन में मूल नैतिक समस्या भ्रष्टाचार की है, परंतु उसके साथ ही कुछ अन्य नैतिक समस्याएँ/मुद्दे भी लोक-प्रशासन को प्रभावित करते हैं। वे अन्य मुद्दे निम्नलिखित हैं-

- रूढ़िवादिता और अभिजात वर्गीय मानसिकता वाले सिविल सेवक और ब्रिटिश शासन की ऐसी परम्पराएँ।
- शक्ति, सत्ता व प्राधिकार का अत्यन्त विषमतापूर्ण ढाँचा होना।
- नौकरशाही पर अनैतिक राजनीतिक दबाव व उनकी कार्यशैली में अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप।
- भारतीय नौकरशाही के राजनीतिकरण से नौकरशाही में तटस्थता की भावना का अभाव।
- उचित कार्य-संस्कृति का अभाव।
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही जैसे मूल्यों की कमी।
- 'व्हिसल ब्लोअर' की सुरक्षा के उचित प्रबंधों का अभाव।

निश्चित तौर पर उपरोक्त नैतिक समस्याएँ/मुद्दे हमें चिंतित करते हैं। इन समस्याओं के निराकरण या इन्हें न्यूनतम करने के लिए लोक-प्रशासन में नैतिकता का समावेशन बहुत आवश्यक है। लोक-प्रशासन में निम्नलिखित उपायों/तरीकों से नैतिकता को समाहित किया जा सकता है-

- भावी प्रशासकों (ट्रेनी) के मूल्यात्मक एवं नैतिकतापरक प्रशिक्षण पर बल देकर।
- उनमें परानुभूति के भावों को विकसित करने का प्रयास करके।
- लोक-प्रशासकों के लिये आचार-संहिता का निर्माण कर, उसका पालन सुनिश्चित करके।
- डिजिटलाइजेशन, ई-गवर्नेन्स आदि द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता द्वारा सुशासन की नींव रखकर।
- राजनीतिक हस्तक्षेपों से नौकरशाही को मुक्त करके।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला एक मजबूत तंत्र विकसित कर, जो गैर-जिम्मेदार प्रशासकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके।

देश के विकास में सिविल सेवकों की भूमिका और चिंताएँ

- उपनिवेशीय युग में नौकरशाहों को प्राय: निरंकुश शासन के लिये इस्तेमाल किया जाता था। वे कर वसूली करने वाले और सरकार के आदेशों को लागू कराने वाले के रूप में जाने जाते थे। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में जिला प्रशासकों को 'कलेक्टर' के रूप में ही देखा जाता है। इस सोच को, जो व्यापक रूप से फैली हुई है, जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है।
- लोगों को चाहिये कि वो नौकरशाहों को इस नजर से देखें कि ये वे लोग हैं जो उनके सुख और कल्याण के लिये काम करते हैं। प्रत्येक लोक सेवक के पास यह अवसर होता है कि वह अपने कार्यकाल दौरान करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित कर सके।
- एक ऐसी शक्ति का होना, जो लोगों के जीवन को बदल सकती हो, बड़े सौभाग्य की बात है। ध्यातव्य है कि हमारे जैसे देश में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा दयनीय जिन्दगी जी रहा है और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, लेकिन हमारे पास सिविल सेवा के रूप में एक ऐसी शक्ति है जो उनकी दुर्दशा को ठीक कर सकती है।
- लेकिन यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इस सौभाग्य को बोझ में न बदलने दिया जाए। इसलिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हर नौकरशाह अपने भीतर एक स्वाभाविक और सहज सुख की स्थिति में रहे। जब तक हम खुद अपने भीतर एक सुख की स्थिति में न हों, तो कैसे हम औरों की जिन्दगी छू सकते हैं?
- हमारी नौकरशाही के जनविमुख, असंवेदनशील और भ्रष्ट होने का मतलब है कहीं न कहीं हमारे देश में नौकरशाहों की चयन प्रक्रिया में दोष है। यही वजह है कि विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोगों द्वारा समय-समय पर चयन प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु सिफारिश की जाती रही है। इसका एकमात्र मकसद है कि बदलती घरेलू और वैश्विक संरचना में भारतीय प्रशासकों की भूमिका भी बदल रही है जिसके अनुकूल चयन प्रणाली होनी चाहिये।
- आज यह एक गंभीर प्रश्न है कि देश को ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कुशल प्रशासक कैसे मिलें? कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो कई जनहित के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं। सिविल सेवकों को न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर के संबंध में भी अपनी कुशल भूमिका निभानी होती हैद्य लेकिन हम तमाम प्रयासों के बावजूद भी वांछित नौकरशाही समूह विकसित नहीं कर पा रहे हैं।

संभावित प्रश्न

'हितों के संघर्ष' से आप क्या समझते हैं? लोक सेवक कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद कैसे 'हितों के संघर्ष' का सामना करते हैं? हितों के संघर्ष को हल करने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण क्या हो सकता है? चर्चा कीजिये।

(200 शब्द)

what do you mean by conflict of interest? how do public servant face conflict of interest during their work and after retirement? what can be an effective approach to address the conflict of interest? (200 words)

You deserve the best...

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

CURRENT 360°

Revise Your Current Through Test and Text.

Under the Guidance of Ashirwad Sir

Bilingual

Fee - GS World Students — ₹ 3000 / Other Students — ₹ 3500

Test No.	Day	Date	Topic of Paper
TEST -1	Sunday	28.01.18	JUNE 2017 Month Current
TEST -2	Sunday	04.02.18	JULY 2017 Month Current
TEST -3	Sunday	11.02.18	AUG 2017 Month Currnet
TEST -4	Sunday	18.02.18	SEP 2017 Month Current
TEST -5	Sunday	25.02.18	OCT 2017 Month Current
Holi	Sunday	04.03.18	OFF
TEST -6	Sunday	11.03.18	NOV 2017 Month Current
TEST -7	Sunday	18.03.18	DEC 2017 Month Current
TEST -8	Sunday	25.03.18	JAN 2018 Month Current
TEST -9	Sunday	01.04.18	FEB 2018 Month Current
TEST -10	Sunday	08.04.18	MAR 2018 Month Current
TEST -11	Sunday	15.04.18	FULL TEST
TEST -12	Sunday	22.04.18	FULL TEST
TEST -13	Sunday	29.04.18	APR 2018 TEST-I
TEST -14	Sunday	06.05.18	APR 2018 TEST-II
TEST -15	Sunday	13.05.18	FULL TEST

Discussion Class (Only for monthly Current Test)
प्रत्येक मंगलवार 3 बजे आयोजित की जायेगी

Test-Time
Every Sunday
5:00 pm

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09 #7042772063 9654349902

You Deserve the Best...

IAS PCS

ISO 9001 Certified

GS World

Committed to Excellence

Distance Learning Programme

30 Booklets ₹ 12,500/-

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

M.D.: Niraj Singh | IAS : 2018-19 | Divyasen Singh (Co-ordinator)

Curriculum Enrichment Activities

GS World में हम एक व्यापक श्रेणी के पाठ्यक्रम संवर्धन गतिविधियों को प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक उम्मीदवार को निरंतर अभ्यास के माध्यम से स्वयं को इतना सक्षम बनाना है कि वह अंतिम रूप से सफल हो सके। ये गतिविधियां परीक्षा की मांग के अनुसार तैयार की जाती हैं ...

01 Everyday
प्रतिदिन प्रत्येक कक्षा के पूर्व 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट

02 Everyday
प्रत्येक कक्षा के पूर्व 10 मिनट का Writing Skill Development Program.

03 Everyday
अंग्रेजी समाचार पत्रों (Hindu,TOI, BS, ET, LM) का संभावित प्रश्नों के साथ अनुवादित आलेख

04 Every Sunday
Current Affairs की कक्षा के पूर्व बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट

05 Every Sunday
30 मिनट (12:30pm - 1:00pm) में 3 प्रश्नों का लिखित टेस्ट (Answer Writing Challenge)

06 Every Sunday and Monday
3-3 घंटे की Current Affairs की कक्षाएं एवं अद्यतन नोट्स

07 Every Monday
समाचार पत्रों एवं पीआईबी के महत्वपूर्ण आलेख (संभावित प्रश्नों के साथ)

08 Every Monday
Current Affairs की कक्षा के पूर्व समाचार पत्रों के आलेख पर आधारित लिखित टेस्ट

09 Every Thursday
निबंध लेखन में सुधार के लिए प्रत्येक गुरूवार को - 'Essay of The Week'

10 Every Saturday
60 मिनट (3pm - 4pm) में 50 NCERT आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट

11 Every Month
15 दिनों के अंतराल पर दो बार योजना, कुरूक्षेत्र, वर्ल्ड फोकस, ईपीडब्ल्यू आदि पर आधारित पांच प्रश्नों का लिखित टेस्ट

12 Every Month
प्रत्येक माह में एक बार दो प्रश्नों का निबंध टेस्ट (250 अंक)

A well organised and managed programme of studies.....

सिविल सेवा परीक्षा की नवीन मांग को देखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा कई नए कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं-

- अभ्यार्थियों को आंकड़ों की जकड़ से मुक्त कर विश्लेषण की ओर उन्मुख करना।
- साप्ताहिक स्तर पर समसामयिक विकास की कक्षा का आयोजन तथा समसामयिक विकास को परंपरागत टॉपिक से जोड़ना।
- निबन्ध के महत्व को देखते हुये उसकी तैयारी की दीर्घकालीन रणनीति।

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 09
Ph.:7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph. : 0522-4003197, 8756450894

JAIPUR CENTRE
Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr,
Near Mahesh Ngr Police Station,
Jaipur Ph. : 9610577789, 9680023570

http://www.gsworldias.com | http://facebook.com/gsworld1 | 9654349902